आईएसएसएन – 2457-015X

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

बैंकिंग पर व्यावसायिक जर्नल

वर्ष 35 अंक 02
अक्तूबर 2023 - मार्च 2024

सदस्य

Member

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

विषय-सूची

संपादक मंडल 1

संपादकीय 2

भाषण

- वैश्विक अर्थव्यवस्था में आधारभूत बदलाव : नई जटिलताएँ, चुनौतियाँ और नीतिगत विकल्प — शक्तिकान्त दास 5

आलेख

- बैंकों में मानव संसाधन विकास : कौशल प्रवर्तन एवं कौशल उन्नयन की अनिवार्यता — विजय प्रकाश श्रीवास्तव 10
- वैश्विक क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रणाली और पर्यवेक्षण में उनकी भूमिका — डी. के. लोहारिया 15
- कार्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया - गैर निष्पादक आस्तियों की वसूली में निजी गारंटी-एक प्रभावी विकल्प — राजेन्द्र सिंह 18
- साख सूचना कंपनियाँ - भारतीय संदर्भ में — शिवानंद जंबगी 22
- वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन, एवं उपभोक्ता संरक्षण: सिंहावलोकन और संभावनाएं — डॉ. आशीष श्रीवास्तव 24
- महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) का योगदान — नौशाबा हसन 30
- भारतीय अर्थव्यवस्था: दुर्बल पाँच से सबलता की यात्रा — कुणाल प्रियदर्शी 36
- भारत में फिनटेक – वर्तमान और भविष्य — डॉ. घनश्याम शर्मा 40

स्थायी स्तंभ

- रेग्युलेटर की नज़र से — ब्रिज राज 44
- घूमता आईना

  (राष्ट्रीय खंड) — डॉ. करुणेश तिवारी 49

  (अंतरराष्ट्रीय खंड) — डॉ. गौतम प्रकाश 53

श्री काज़ी मुहम्मद ईसा, महाप्रबंधक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, सी-9, आठवीं मंज़िल, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा एक्मे पैक्स और प्रिंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई से मुद्रित।
इंटरनेट: https://www.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध।
E-mail: rajbhashaco@rbi.org.in फोनः 022-26572801

संपादक मंडल

संरक्षक

एन सारा राजेन्द्र कुमार
मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

अध्यक्ष

पंकज कुमार
क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक

प्रबंध संपादक

काज़ी मुहम्मद ईसा
महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक

कार्यकारी संपादक

अरविंद कुमार चतुर्वेदी
महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक

उप प्रबंध संपादक

डॉ. सुशील कृष्ण गोरे
उप महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक

सदस्य

ब्रिज राज
मुख्य महाप्रबंधक,
भारतीय रिज़र्व बैंक

सुप्रिया पै
उप महाप्रबंधक एवं संकाय,
भारतीय रिज़र्व बैंक

अभिषेक कुमार
उप महाप्रबंधक एवं संकाय,
भारतीय रिज़र्व बैंक

दिवाकर झा
सहायक महाप्रबंधक एवं संकाय
स्टेट बैंक ग्रामीण बैंकिंग संस्थान

राजीव जमुआर
सहायक महाप्रबंधक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

संपादकीय कार्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय,
बांद्रा-कुर्ला संकुल, मुंबई-400051
कॉर्पोरेट ईमेल: rajbhashaco@rbi.org.in

संपादकीय सहयोग

सुरेन्द्र प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक

सदस्य-सचिव

बिजु एम वी
प्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिए गए विचार संबंधित लेखकों के हैं। यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक उन विचारों से सहमत हो। इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक को कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया गया हो।

संपादकीय

प्रिय पाठकगण,

चिंतन

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ।
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति ।।

अर्थात् उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तुम्हारे रास्ते कठिन और अत्यंत दुर्गम भी हो सकते हैं, लेकिन विद्वानों का कहना है कि कठिन रास्तों पर चलकर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है।

किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास-क्रम का मार्ग सीधी रेखा पर नहीं चलता है। आर्थिक विकास की परिभाषाएं अनेक कारकों, विस्तृत प्रक्रियाओं, समानताओं-असमानताओं, विषयों, मुद्दों, नीतियों, प्रगति के विभिन्न सोपानों, योजनाओं, संकल्पों, नवोन्मेषी दृष्टिकोणों, तकनीकों, संसाधनों, प्रौद्योगिकी, कार्यान्वयन, निष्पादन और अनुपालन आदि को अपनी परिधि में लेकर आगे बढ़ती हैं। प्रत्येक समाज और राष्ट्र एकसाथ कई-कई स्तरों, दुर्गम मार्गों से होकर गुज़रता है। प्रत्येक काल की एक पृष्ठभूमि होती है और शक्तियों का विशाल आधार होता है जिसके बलबूते देश-विशेष अपने संपूर्ण उद्यमों/उपक्रमों का इस्तेमाल करते हुए बेहतर भविष्य की ओर उन्मुख होता है। अवरुद्ध तथा निष्क्रिय मानदंडों को त्याग कर नई रणनीतियों के उपयोग का आह्वान समूचे समाज को नये सांचे में ढाल देता है और आर्थिक विकास की धुरी नई/अपेक्षित रफ्तार को धारित कर लेती है। अनेक गतिरोधों, अवरोधों को नव-परिवर्तन के माध्यम से तोड़ना पड़ता है। दृढ़ कार्यक्रम, दूरअंदेशी नज़रिया अपनाना पड़ता है। आधुनिक और पारंपरिक का समावेश करते हुए लक्ष्य का अनुगमन करने का ध्येय ही सफलता की कुंजी है। ग्लोबल-विलेज की अवधारणा के तहत घरेलू हितों को ध्यान में रखते हुए तथा अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के प्रतिकूल प्रभावों को निष्प्रभावी करते हुए नई नज़ीर पेश करनी होती है। व्यष्टि और समष्टि दोनों स्तरों पर एक हिमायती किंतु नपा-तुला रुख विकास के पहिये को संतुलित रखता है। वर्तमान दशक के पिछले एक-दो शुरुआती वर्ष को.विड के कारण जहां आर्थिक कमज़ोरी का दृश्य पेश करते हैं, वहीं 2023-24 और आगामी समय के लिए देश उठ खड़ा हुआ है, अधिक जागरूक हो गया है, नई सामर्थ्य एवं समुत्थानशीलता के साथ अग्रसर है जिसने चुनौतियों को अवसर में बदल देने का हर संभव प्रयास किया है और आर्थिक गतिविधियों को उड़ान भरने के लिए नये पंख प्रदान कर दिए हैं। शासन के समर्थन और देश के मौद्रिक प्राधिकारी के वित्तीय स्थिरता एवं आर्थिक संवृद्धि के मज़बूत उपायों और बैंकिंग व वित्तीय संस्थाओं के उत्तरोत्तर कार्यनिष्पादनों ने उपभोक्ताओं की आंखों की चमक बढ़ा दी है।

अनुचिंतन

उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी:,
दैवेन देयमिति कापुरुषा:वदन्ति।
दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या,
यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोष:।।

अर्थात् पुरुषार्थी/उद्यमी पुरुष के पास ही सदैव लक्ष्मी जाती है। सब कुछ भाग्य भरोसे है ऐसा आलसी और कायर पुरुष सोचते हैं। इसलिए भाग्य को छोड़ कर हमें उद्यम/पुरुषार्थ करना चाहिए। यथाशक्ति प्रयास करने के बावजूद भी यदि सफलता नहीं मिली तो इसमें कोई दोष नहीं है।

संवृद्धि और विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों साथ-साथ आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास, आवश्यकताओं, वस्तुओं, प्रेरणाओं और संस्थाओं में गुणात्मक परिवर्तनों से संबंधित है। यह प्रौद्योगिकी, संरचनात्मक बदलाव में वृद्धि करने वाले तत्वों को निर्धारित करता है। विकास स्थिर अवस्था में स्वत: ही परिवर्तन को प्रेरित करता है जबकि संवृद्धि, दीर्घकाल में होने वाले निरंतर परिवर्तन से है जो बचतों और जनसंख्या में वृद्धि होने पर धीरे-धीरे आती है। आर्थिक समीक्षाएं, आर्थिक सुधार, मूल्यांकन और संभावनाएं, संरचनात्मक एवं राजकोषीय सुधार, मौद्रिक प्रबंधन, वित्तीय स्थिति, पूंजी बाज़ार, सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली, वित्तीय समावेशन, कीमतें, मुद्रास्फीति, सामाजिक अवसंरचना, रोज़गार, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, मशीनीकरण, कृषि, उद्योग एवं सेवाओं का विकास, आयात-निर्यात, साइबर सुरक्षा, डिजिटलीकरण, अंतरराष्ट्रीय चुनौतियां, विकास का भावी मार्ग और अनेक विश्लेषण-दर-विश्लेषण, नये उपायों का क्रियान्वयन एवं अनुपालन, ज़मीन और आसमान को एक करने का निरंतर उपक्रम हैं। जीडीपी बढ़ रही है, आशा के नये द्वार खुल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विदेश के एक दौरे पर फरवरी 2024 में यह विश्वास व्यक्त किया था कि भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की राह में 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत 'विश्वबंधु' है और वैश्विक प्रगति एवं विश्व-कल्याण में अपना योगदान दे रहा है। इसपर बहुत बड़े जनसमूह ने "अहलन मोदी" (अर्थात् शुभागमन-अरबी में इसे अहलन कहते हैं जो ये आभास देता है कि हम आपको अपने परिवार का मानते हैं, और ये शब्द किसी महान/महत्वपूर्ण व्यक्ति के आने पर कहा जाता है) के नारे बुलंद किए थे। अभी 01 अप्रैल, 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक के 90 वर्षीय जलसे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आज हम उस मुक़ाम पर पहुंच गए हैं जहां भारतीय बैंकिंग प्रणाली को विश्व की एक मज़बूत और टिकाऊ बैंकिंग प्रणाली के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने इस बदलाव के लिए नीति, आशयों(इरादों/नीयत) और निर्णयों को श्रेय दिया। जहां इरादे ठीक होते हैं, वहां परिणाम भी सही होते हैं। 'ईज आफ डूइंग बैंकिंग' को बेहतर बनाने और जन-जन की आवश्यकता के अनुरूप सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता को उन्होंने रेखांकित किया। भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. शक्तिकांत दास ने विश्वास व्यक्त किया है कि रिज़र्व बैंक स्थिरता, समुत्थानशीलता और देश के नागरिकों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गया है। और यह रिज़र्व बैंक की कई पीढ़ियों के योगदान से संभव हो पाया है। जैसे-जैसे रिज़र्व बैंक आगामी दशक में अपने 100 साल पूरे करने के मार्ग पर अग्रसर होगा, उसका फोकस देश को स्थिर एवं सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली प्रदान पर होगा और यही आर्थिक प्रगति की आधार-शिला होगी। ऐसे ओजपूर्ण, उम्मीदों और हौसलों से भरे इतनी बड़ी हस्तियों की ज़ुबानों से निकले हुए शब्द देशवासियों में नई ऊर्जा का निश्चित रूप से संचार कर रहे थे और एनसीपीए, मुंबई का संपूर्ण परिसर केंद्रीय बैंक के अधिकारियों की कर्तल ध्वनि से गुंजायमान हो रहा था। ये देश के अगले दशक के आर्थिक/वित्तीय खाके के उद्यम की कार्यसूची का आह्वान था, प्रवेश द्वार था।

साथियो, पत्रिका के पिछले अंक से इसे मुद्रित रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। यह क्रम जारी रहेगा और आपको पत्रिका की प्रतियां नियमित रूप से आपके पते पर प्राप्त होती रहेंगी। इस अंक में ऐसे विषयों पर आलेख सम्मिलित किए गए हैं जो बैंकिंग और सामाजिक जगत के लिए महत्वपूर्ण हैं। अनेक ज्वलंत विषयों जैसे – रिज़र्व बैंक के गवर्नर महोदय के संबोधन पर आधारित आलेख 'वैश्विक अर्थव्यवस्था में आधारभूत बदलाव: नई जटिलताएं, चुनौतियां और नीतिगत विकल्प, तथा अन्य विषयों जैसे वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण, बैंकों में मानव संसाधन, क्रेडिट रेटिंग प्रणाली, साख सूचना कंपनियां, कार्पोरेट दिवालियापन और समाधान प्रक्रिया, भारतीय अर्थव्यवस्था:

दुर्बल पांच से सफलता की यात्रा, रेग्युलेटर की नज़र से' आदि से संबंधित सामग्री आपको नई जानकारियों से अवगत कराएगी। हम पत्रिका के सभी विद्वान लेखकों के आभारी हैं, जिनके लेखन से यह पत्रिका इस स्तर को प्राप्त कर सकी है। पत्रिका के पाठकों से समय-समय पर प्रतिक्रियाएं भी प्राप्त होती रही हैं जो पत्रिका के स्तर को बेहतर बनाने में सदैव उपयोगी और सहायक रही हैं। हम पत्रिका के सभी पाठकों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। संपादक मंडल के सदस्य समय-समय पर बदलते रहे हैं। संपादक मंडल के अध्यक्ष श्री पंकज कुमार जी (मुख्य महाप्रबंधक, मुंबई कार्यालय और अब क्षेत्रीय निदेशक, लखनऊ कार्यालय) और अन्य सम्माननीय सदस्यों(जो संपादक मंडल में पहले थे और वे जो वर्तमान में हैं), श्री राहुल राजेश, सदस्य-सचिव(अब रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय के वित्तीय बाज़ार और परिचालन विभाग में स्थानांतरित) के बहुमूल्य योगदान के प्रति हम विशेष रूप से आभार एवं कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।

केंद्रीय बैंक द्वारा 'बैंकिंग-चिंतन अनुचिंतन', बैंकिंग, आर्थिक एवं वित्तीय विषयों पर हिंदी में साहित्य सृजन का एक सतत प्रयास है जो बैंकिंग और वित्तीय जगत के विषय-विशेष के क़लमकारों, साहित्यकारों और फनकारों के सुदीर्घ अनुभवों, ज्ञान, चिंतन, सपनों, अवलोकनों, विश्लेषणों और नव-दृष्टि को पत्रिका के पन्नों पर लाती रही है ताकि विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर उठते, बनते, बुनते सवालों/जिज्ञासाओं को बड़े स्तर पर कुशल, विद्वान एवं सुधी पाठकों तक पहुंचाया जा सके। यही पत्रिका का विज़न है। आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

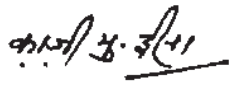

(काजी मु. ईसा)
महाप्रबंधक एवं प्रबंध संपादक

वैश्विक अर्थव्यवस्था में आधारभूत बदलाव : नई जटिलताएँ, चुनौतियाँ और नीतिगत विकल्प

(15 फरवरी, 2024 को मुंबई में 59वें दक्षिण पूर्व एशियाई केंद्रीय बैंकों (सीसेन) के गवर्नर सम्मेलन में दिया गया मुख्य भाषण)

- शक्तिकान्त दास, *गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक*

दक्षिण पूर्व एशियाई केंद्रीय बैंकों (सीसेन) के फोरम के वर्तमान अध्यक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से, मैं इस 59वें सीसेन गवर्नर सम्मेलन में केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों और अन्य प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्ष के दौरान इस समय मुंबई का मौसम सुहावना होता है और मुझे आशा है कि आपको दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए कुछ समय मिलेगा। जैसा कि इस सभागृह में हर कोई जानता है, सीसेन सदस्य केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग, ज्ञान साझाकरण और नीति समन्वय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इस तरह क्षेत्रीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता, सुदृढ़ता और सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

2. हम यहां एक महत्वपूर्ण मोड़ पर एकत्र हुए हैं जब अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य गहन परिवर्तनों से गुजर रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सॉफ्ट लैंडिंग की संभावनाएं बेहतर हुई हैं, लेकिन क्षितिज पर अनिश्चितताओं के साथ कई चुनौतियां भी हैं। सम्मेलन का विषय "आर्थिक बाधाओं को दूर करना और वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना: परिप्रेक्ष्य और चुनौतियाँ" वर्तमान नीतिगत दुविधा के मद्देनजर उपयुक्त लगता है जिसका सामना आज क्षेत्र के सभी केंद्रीय बैंक कर रहे हैं। ऐसे समय में, विवेकपूर्ण समष्टि-वित्तीय नीतियां हम सभी के लिए न केवल वर्तमान अशांति से निपटने के लिए, बल्कि अधिक आशाजनक भविष्य की दिशा में एक रास्ता तय करने के लिए और भी अधिक महत्व रखती हैं। यह जानकर खुशी हो रही है कि क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाएं उल्लेखनीय प्रगति कर रही हैं और आने वाले वर्षों में निरंतर प्रगति के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में और गहरे एकीकरण की आवश्यकता है। मुझे यकीन है कि इस सम्मेलन में किया गया अंतर्दृष्टिपूर्ण विचार-विमर्श, हमारे भावी नीति निर्माण के लिए कुछ निष्कर्ष प्रस्तुत करेगा।

3. मैंने आज अपने संबोधन के लिए विषय "वैश्विक अर्थव्यवस्था में आधारभूत बदलाव: नई जटिलताएँ, चुनौतियाँ और नीति विकल्प" चुना है। सबसे पहले, मेरा प्रस्ताव है कि मैं हाल के वर्षों में वैश्विक अर्थव्यवस्था की मजबूती पर अपनी बात रखूँ जो स्पष्ट रूप से पिछले कुछ समय के संकट के विपरीत है। इसके बाद, मैं उभरते रुझानों और बदलावों को रेखांकित करने का प्रस्ताव करता हूं जो वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपरिवर्तनीय रूप से नया आकार दे रहे हैं और नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। अंत में, मेरा प्रयास हमारे क्षेत्र के समष्टि आर्थिक परिदृश्य का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करना और उसके बाद भविष्य के लिए कुछ नीतिगत विकल्पों पर प्रकाश डालना होगा।

वैश्विक अर्थव्यवस्था की अघातसहनीयता

4. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के नवीनतम अनुमान के अनुसार, वैश्विक वृद्धि 2024 में 3.1 प्रतिशत और 2025 में 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, 2024 के लिए पूर्वानुमान को अक्तूबर 2023 के अनुमान से 0.2 प्रतिशत अंक ऊपर संशोधित किया गया है। यह ध्यान देना दिलचस्प है कि इस बार वैश्विक अर्थव्यवस्था बार-बार आने वाले आघातों को उल्लेखनीय रूप से सहते हुए कहीं अधिक आघात सह रही है। यहां तक कि वित्तीय प्रणाली ने भी मोटे तौर पर दुनिया भर में अभूतपूर्व मौद्रिक सख्ती का सामना किया है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) की

सुदृढ़ता, विशेष रूप से, अस्थिरता के पिछले दौर के विपरीत है, जिसमें ईएमई को नुकसान उठाना पड़ा था। ईएमई ने शायद अपने पिछले अनुभव से सीखा है और इस बार अच्छा प्रदर्शन किया है। हालाँकि इस तथाकथित सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में अभी तक कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता , लेकिन मैं कुछ संभावित कारकों को रेखांकित करना चाहता हूँ।

5. सबसे पहले, वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) और वैश्विक उथल-पुथल के पिछले चक्र के दौरान, बैंकिंग संकट उसकी एक सामान्य विशेषता थी जिसमें अपर्याप्त पूंजी वाले बैंक संकट के मूल में थे। इसके विपरीत, इस बार ईएमई को मार्च 2023 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में हाल की बैंकिंग क्षेत्र की उथल-पुथल से प्रतिकूल प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ा। यह बेसल III मानदंडों और सुधारों को व्यापक रूप से अपनाने के माध्यम से विवेकपूर्ण विनियमन को मजबूत करने के कारण संभव हुआ है। पर्यवेक्षी प्रथाओं के परिणामस्वरूप बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली में काफी सुधार हुआ है। दूसरा, हाल के वर्षों में ईएमई के बेहतर समष्टि आर्थिक मूल आधारों और बफर ने पिछले चार वर्षों के वैश्विक आघातों के विरुद्ध एक अवलंब प्रदान किया गया है। तीसरा, कोविड-19 के दौरान प्रदान किए गए राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन को, खासकर एई में, पूरी तरह से वापस नहीं लिया गया है। इसने अब तक एई द्वारा नीति को कड़ा करने से होने वाले स्पिलओवर की मात्रा को कुछ हद तक सीमित कर दिया है। चौथा, महामारी के बाद उद्योग और सेवाओं में प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रसार में तेजी आई है। इससे कई ईएमई में उत्पादकता बढ़ी है और मौद्रिक सख्ती जैसे कारकों से उत्पादन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की भरपाई हुई है। वास्तव में, प्रौद्योगिकी ने ईएमई के लिए, विशेषकर सेवा क्षेत्र में, अवसरों के नए द्वार खोल दिए हैं। पांचवां, केंद्रीय बैंकों की चरणबद्ध और स्पष्ट संचार को भी उचित श्रेय दिया जाना चाहिए। प्रभावी संचार अब आगे का मार्गदर्शन प्रदान करने और बाजार की अपेक्षाओं को पूरा करने में पहले की तुलना में और भी मजबूत उपकरण बन गया है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था का बदलता परिदृश्य

6. यह महामारी जीवन और आजीविका के नुकसान के मामले में एक अभूतपूर्व संकट थी। हाल के मानव इतिहास में, कृषि उत्पादन में उतार-चढ़ाव, तेल की कीमतों में तेज उछाल और वित्तीय उथल-पुथल के कारण मंदी आई है। वैश्विक वित्तीय संकट भी नीति निर्माताओं की उदारता के कारण होने वाली अनदेखी के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अनियमितताओं का नतीजा था। इसके विपरीत, महामारी एक स्वास्थ्य-आपातकाल थी, जिसके कारण एक अज्ञात दुश्मन के खिलाफ जीवन बचाने के लिए आर्थिक गतिविधि और गतिशीलता पूरी तरह से बंद हो गई थी। नतीजतन, नीति निर्माताओं के लिए अनुसरण करने के लिए कोई स्पष्ट या पहले से तैयार प्रारूप नहीं था। इसके बजाय, उन्हें अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली पर महामारी के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए उचित नीतिगत प्रतिक्रियाएँ तैयार करने में कुछ नया करना और सीखना पड़ा।

7. जब महामारी की छाया कम हो रही थी, भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों ने नई चुनौतियों को जन्म दिया और मुद्रास्फीति जोरदार तरीके से वापस आ गई। इसके परिणामस्वरूप मौद्रिक नीति में किए गए परिवर्तन ने वित्तीय बाजार की भावनाओं को प्रभावित किया जिससे 'भारी अस्थिरता' का दौर शुरू हो गया। मौजूदा मॉडल जो डेटा में ऐतिहासिक पैटर्न को समझाने के लिए बनाए गए थे, नई वास्तविकताओं को समझाने में असफल पाए गए। इन मॉडलों को अब चल रहे आघातों, भू-आर्थिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला पुनर्गठन से चुनौती मिल रही है। उदाहरण के लिए, समग्र विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करने वाले मॉडल यह समझाने में असफल रहे कि हमने महामारी के बाद क्या देखा। प्रारंभ में सेवाओं से वस्तुओं की ओर और फिर वस्तुओं से सेवाओं की ओर मांग में बदलाव का चक्र घूमता रहा। इसमें एक दौर दबी हुई मांग और अवसर मिलने पर तेज़ी से खर्च का भी रहा। इन क्षेत्रीय असंतुलनों ने मुद्रास्फीति के स्तर को ऊँचा बनाए रखा। महामारी ने वास्तव में अधिक विस्तृत और क्षेत्रीय विश्लेषण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। एक तरह से, आर्थिक सोच में आमूल-चूल बदलाव आ रहे हैं। मुझे इनमें से कुछ मुद्दों पर आगे विचार करने दीजिए।

8. पहला, महामारी के बाद श्रम बाज़ार की गतिशीलता, कार्य प्रक्रियाओं और तकनीकी गहनता की दृष्टि से दुनिया बुनियादी तौर पर बदल गई है। घर से काम, ऑनलाइन शिक्षा और खरीदारी

को व्यापक स्वीकृति मिली है, जिससे हमारे काम करने, सीखने और जीने के तरीके में बदलाव आया है। तकनीकी नवाचार और डिजिटलीकरण अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में व्याप्त हो रहा है। व्यवसाय अपने अस्तित्व के लिए इन प्रवृत्तियों को अपना रहे हैं। उत्पादकता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) जैसी अग्रणी प्रौद्योगिकियों का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। ये प्रौद्योगिकियाँ नए अवसर खोलती हैं, लेकिन वे चुनौतियाँ भी पेश करती हैं जिनका हमें समाधान करने की आवश्यकता है।

9. दूसरा, महामारी से पहले मौद्रिक नीति अपस्फीति दबावों का विरोध करते हुए विकास को पुनर्जीवित करने की अपनी खोज में लंबे समय तक निम्न स्तर पर चल रही थी। यूक्रेन में युद्ध के बाद मुद्रास्फीति के दबाव से लड़ने के लिए मौद्रिक नीति द्वारा "लंबे समय तक उच्च" दरों का रुख अपनाने से यह स्थिति अचानक और तेजी से बदल गई। उच्च ब्याज दरों और कम वृद्धि के माहौल में ऋण की अधिकता की उपस्थिति में इस तरह के शासन परिवर्तन से कई देशों में व्यापक आर्थिक स्थिरता पर चिंताएं बढ़ जाती हैं। ऊंची ब्याज दरें न केवल भारी कर्ज वाले देशों पर ब्याज चुकाने का बोझ बढ़ाती हैं, बल्कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों की बैलेंस शीट पर भी असर डालती हैं, जैसा कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में हाल ही में बैंकिंग क्षेत्र की उथल-पुथल के दौरान देखा गया था। इसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव यह हो सकता है कि मूल्य स्थिरता और वित्तीय स्थिरता के बीच तीव्र संतुलन के कारण देशों की उच्च ऋणग्रस्तता मौद्रिक नीति को बाधित कर सकती है।

10. तीसरा, वैश्वीकरण ने उत्पादकता बढ़ाकर, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं बनाकर और देशों के बीच पूंजी और श्रम की मुक्त आवाजाही करके वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। हालाँकि, वैश्वीकरण के लाभ सभी देशों में असमान रूप से पहुँचे थे। भू-आर्थिक विखंडन के हालिया रुझानों को देखते हुए, दुनिया भर में औद्योगिक और व्यापार नीतियों में बदलाव आ रहा है। कई अर्थव्यवस्थाएं अब सुरक्षा और रणनीतिक विचार संबंधी अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं को फिर से शुरू कर रही हैं, निकट-तटस्थ और मित्र-तट1 कर रही हैं । परिणामस्वरूप, व्यापार विखंडन, तकनीकी अलगाव, बाधित पूंजी प्रवाह और श्रम आंदोलन बढ़ रहे हैं। वस्तुएं और सेवाओं के लिए एक एकीकृत वैश्विक बाजार के लिए ये सभी अच्छा संकेत नहीं देते हैं।

11. चौथा, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के दृष्टिकोण से, बार-बार होने वाले भू-राजनीतिक टकराव और प्रमुख व्यापार मार्गों में गड़बड़ी के कारण खाद्य, ऊर्जा और महत्वपूर्ण औद्योगिक इनपुट में व्यापार प्रवाह में व्यवधान खाद्य सुरक्षा और व्यापक आर्थिक प्रबंधन के लिए चिंताएं बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा, वित्तीय बाजारों और पूंजी प्रवाह में अस्थिरता को देखते हुए, ये देश बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशील बने हुए हैं। ऐसे माहौल में, महत्वपूर्ण वस्तुओं के रणनीतिक भंडार के साथ-साथ विदेशी मुद्रा भंडार की एक मजबूत संविभाग (छाता) के संदर्भ में घरेलू बफर का निर्माण ईएमई के लिए अनिवार्य हो जाता है।

12. पांचवां, केंद्रीय बैंकों द्वारा अब तक उपयोग किए जाने वाले व्यापक आर्थिक मॉडल मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के मांग पक्ष पर केंद्रित हैं। आपूर्ति पक्ष के कारकों पर पर्याप्त जोर नहीं दिया गया था। महामारी, उसके बाद युद्ध और परिणामी आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों ने आपूर्ति पक्ष पर तेजी से ध्यान केंद्रित किया है। ओवरलैपिंग आपूर्ति झटके, जैसा कि हमने हाल ही में देखा, लगातार मुद्रास्फीति दबाव का कारण बना, तब भी जब कुल मांग अनुचित रूप से अधिक नहीं थी। इस संदर्भ में, आपूर्ति-पक्ष या मुद्रास्फीति पर या लागत-प्रेरित दबाव के प्रबंधन में सरकारों की भूमिका को व्यापक स्वीकृति मिली है। आगे, मौद्रिक नीति को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए अर्थव्यवस्था के आपूर्ति पक्ष की बेहतर समझ बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। इस पृष्ठभूमि में, अब मैं हमारे क्षेत्र के व्यापक आर्थिक व्यवस्था पर संक्षेप में बात करना चाहूंगा।

सीसेन क्षेत्र का माइक्रोइकनोमिक अवलोकन

14. दक्षिण-पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं ने बड़े वैश्विक आघातों के सामने उल्लेखनीय आघातसहनीयता दिखाया है। काफी हद तक, इसका श्रेय बेहतर मौद्रिक और व्यापक आर्थिक नीति ढांचे को दिया जा सकता है जिसे इन देशों ने हाल के वर्षों में अपनाया है। इस क्षेत्र में विकास मजबूत बना हुआ है, जबकि मुद्रास्फीति ओईसीडी औसत से कम रही है। खुदरा व्यापार, डिजिटल

सेवाओं, ई-कॉमर्स और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में लचीली सेवा गतिविधियों से क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को समर्थन मिला है। यह क्षेत्र घनिष्ठ व्यापार और श्रम प्रवाह संबंधों के साथ क्षेत्रीय एकीकरण का एक मॉडल बना हुआ है। फिर भी, आगे व्यापार एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण अप्रयुक्त क्षमता है। मुझे पूरा विश्वास है कि एसईएसीईएन देशों के भीतर पर्यटन को बढ़ावा देने से क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं को और मजबूत किया जा सकता है।

15. जहां तक भारतीय अर्थव्यवस्था की बात है, भारत ने कई चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है और सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया है। विवेकपूर्ण मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों ने कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए भारत की सफलता का मार्ग प्रशस्त किया है। रिज़र्व बैंक का अनुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2024-25 के दौरान 7.0 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी, जो लगातार चौथे वर्ष 7 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि को दर्ज़ करेगा। मुद्रास्फीति 2022 की गर्मियों के उच्च स्तर से कम हो गई है। हालांकि, खाद्य कीमतों में बार -बार पैदा होने वाले दबाव और भू-राजनीतिक क्षेत्र में नित -नए बदलावों ने मुद्रा स्फीति को कम करने की प्रक्रिया के लिए चुनौतियां भी पैदा की हैं। हम मुद्रास्फीति को कम करने के अंतिम लक्ष्य को हासिल करने के लिए सतर्क हैं, क्योंकि यह अक्सर यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा होता है। हम दृढ़ता से यह मानते हैं कि स्थिर और अल्प मुद्रास्फीति सतत आर्थिक विकास के लिए आवश्यक मज़बूत आधार प्रदान करेगी।

16. कई प्रतिकूल दबावों का सामना करने में भारत के समन्वित नीतिगत उपाय भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत हो सकती है। जहां मौद्रिक नीति ने मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को सीमित करने और मांग दबावों को कम करने पर काम किया, वहीं सरकार द्वारा आपूर्ति पक्ष के संबंध में किए गए उपायों ने आपूर्ति दबावों को कम किया है और लागत वृद्धि से उत्पन्न मुद्रास्फीति को भी पहले से कम किया है। भारत की सफलता का मूल प्रभावी राजकोषीय-मौद्रिक समन्वयन था।

17. अब मैं वैश्विक अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए कुछ संभावित नीति विकल्पों के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि आने वाले वर्षों में नई स्थितियां आकार लेंगी।

आगे बढ़ते नीतिगत उपाय

18. सबसे पहले, हमें वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली कई चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग और समन्वय के लिए एक प्रभावी कार्यनीति तैयार करने की आवश्यकता है। बहुपक्षवाद को फिर से सक्रिय किया जाना चाहिए। इस संबंध में, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए "क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर" और ''फूड कॉरिडोर" पर समझौतों की आवश्यकता है। ऐसी व्यवस्थाएं निष्पक्ष और न्यायसंगत होनी चाहिए।

19. दूसरा, जलवायु परिवर्तन जैसे सामान्य हितों और तात्कालिक जरूरतों वाले क्षेत्रों में सहयोग विकसित करने की आवश्यकता है, जहां कोई भी देश अकेले कार्यनीति तैयार नहीं कर सकता है। आर्थिक गतिविधि में व्यवधान और विकास क्षमता की हानि से बचने के लिए सुचारू और व्यवस्थित हरित परिवर्तन आवश्यक है। जबकि सुचारु हरित परिवर्तन के लिए निवेश की आवश्यकताएं बड़ी हैं, हरित परियोजनाओं के लिए वास्तविक वित्तीय प्रवाह अत्यधिक विषम है और, बड़े पैमाने पर, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रित है। परिणामस्वरूप, ईएमई में हरित पूंजी प्रवाह को बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही, हमें हरित परिवर्तन के संभावित वित्तीय स्थिरता प्रभावों के प्रति भी सचेत रहना होगा।

20. तीसरा, दीर्घकालिक विकास के लिए ढांचागत सुधार महत्वपूर्ण है। एक ओर जहां बुनियादी ढांचे (सड़कें, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बिजली, पानी) में निवेश महत्वपूर्ण है, वहीं सॉफ्ट (अप्रत्यक्ष) बुनियादी ढांचे (शिक्षा, स्वास्थ्य, कानूनी, वित्तीय, संस्थागत) को विकसित करने पर भी उतना ही जोर देना होगा।

21. चौथा, भारत के अनुभव से पता चला है कि लागत में कटौती करते हुए वित्तीय समावेशन और उत्पादकता लाभ को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) का उपयोग कैसे किया जा सकता है। इंडिया स्टैक और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) में हमारे निरंतर जुड़ाव ने, विशेष रूप से महामारी के दौरान और उसके बाद, हमें यह विश्वास दिलाया है कि राष्ट्रीय सीमाओं से परे बढ़ने पर डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा वैश्विक सार्वजनिक हित का एक महत्वपूर्ण हिस्सा

बन सकता है। भारतीय यूपीआई और कुछ अन्य देशों की तेज़ भुगतान प्रणालियों का जुड़ाव यूपीआई को सीमा पार भुगतान के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मॉडल बनने की क्षमता प्रदान करता है।

22. पांचवां, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) जैसे नए तकनीकी विकास कारोबारों की दक्षता और उत्पादकता में महत्वपूर्ण सुधार ला सकते हैं। तथापि, प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय भी किए जाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से, वैश्विक वित्तीय बाजार विनियामकों को वित्तीय धोखाधड़ी में कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) के संभावित दुरुपयोग के बारे में सतर्क रहने की जरूरत है।

निष्कर्ष

23. वैश्विक अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। चुनौतियाँ तो भरपूर हैं, लेकिन नये अवसर भी दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। हम सब मिलकर यहां जो निर्णय लेंगे, वही आने वाले समय में हमारा भाग्य तय करेगा। हमें ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की नई वास्तविकताओं के अनुरूप हों। अनिश्चित दुनिया में, केंद्रीय बैंकों को मूल्य और वित्तीय स्थिरता के उद्देश्यों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए तत्पर बने रहने की आवश्यकता है।

24. इस माहौल में सहयोग एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। वैश्विक चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण प्रगति करने के लिए हमें मज़बूत संकल्प और समन्वय की आवश्यकता है। सीसेन क्षेत्र के केंद्रीय बैंकों के लिए एक मंच के रूप में, उन्नत प्रगति और समृद्धि के लिए कई क्षेत्रों में अंतर्दृष्टि साझा करने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मूल्यवान मंच के रूप में कार्य करता है। देशों के बीच सहयोग में तुलनात्मक लाभ और संसाधन उपलब्ध कराने के सिद्धांतों पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि हममें से प्रत्येक को लाभ हो। आइए, हम अपने लोगों और अपनी अर्थव्यवस्थाओं की बेहतरी के लिए अपने विचार-विमर्श को अगले स्तर पर ले जाएं।

धन्यवाद, नमस्कार।

[1] "रीशोरिंग" शब्द का तात्पर्य किसी देश द्वारा वैश्विक आपूर्ति शृंखला (के भाग) को वापस अपने देश में स्थानांतरित करने (या "नियरशोरिंग" के मामले में भौगोलिक दृष्टि से अपने देश के करीब) से है। "फ्रेंड शोरिंग" आपूर्ति-श्रृंखला नेटवर्क और इनपुट की सोर्सिंग को घरेलू देश के मित्र देशों और रणनीतिक और राजनीतिक प्राथमिकताओं वाले विश्वसनीय भागीदारों तक सीमित करता है।

बैंकों में मानव संसाधन विकास : कौशल प्रवर्तन एवं कौशल उन्नयन की अनिवार्यता

- विजय प्रकाश श्रीवास्तव

हमारे आस पास की दुनिया में निरंतर बदलाव हो रहे हैं। कहते हैं बदलाव अथवा परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हम आसानी से देख सकते हैं कि यह नियम कारोबार के क्षेत्र पर उतना ही लागू है। हाल के वर्षों में बदलाव की गति में वृद्धि तो हुई ही है, बदलावों का दायरा भी व्यापक हुआ है। लोगों की खरीदने की आदत में ही पिछले केवल एक दशक में ही कितना बदलाव आ गया है। किसी ने नहीं सोचा था कि ई कॉमर्स इतनी तेजी से अपनी पैठ बना लेगा। एक उदाहरण तो हमने देख लिया, अब बैंकिंग कारोबार को देखते हैं जिससे हम में से अधिकांश लोग जुड़े हुए हैं।

यह कहना गलत न होगा कि बैंकिंग, कारोबार के उन क्षेत्रों में से है जिनमें बदलाव सर्वाधिक स्पष्ट हैं। बैंकिंग में हुए बदलाव गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों श्रेणियों में रखे जा सकते हैं। जमा हो अथवा ऋण, बैंकों ने दोनों क्षेत्रों से संबंधित बहुत सी नई योजनाएँ शुरू की हैं। खुदरा बैंकिंग कारोबार में निहित संभावनाओं के मद्देनजर बैंक इससे संबन्धित योजनाओं पर ज्यादा बल दे रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग तेजी से ज़ोर पकड़ रही है। काफी लोग ऐसे हैं जो बैंक शाखाओं में आने की बजाय घर बैठे बैंकिंग करने लगे हैं। बहुत सी बैंकिंग सेवाएँ जो पूर्व में केवल शाखाओं में जाकर ली जा सकती थीं, अब सप्ताह के सातों दिन, चौबीस घंटे मोबाइल एप के जरिए उपलब्ध हैं। भुगतान बैंकों के आने के कुछ वर्षों बाद अब फिनटेक कंपनियों का पदार्पण हुआ है जिससे प्रतियोगिता बढ़ कर एक नया रूप ले रही है । देश में जनसांख्यिकी के बदलाव के साथ वस्तुओं तथा सेवाओं के ग्राहक वर्ग का स्वरूप भी बदला है जिसके निहितार्थ बैंकों के लिए भी मायने रखते हैं। बैंकों की जनशक्ति संरचना अब पहले जैसी नहीं रही। यह बदलावों, जिनकी चर्चा इस लेख में आगे भी होती रहेगी, की एक सांकेतिक सूची है।

मुख्य प्रबन्धक एवं संकाय सदस्य (सेवानिवृत्त), बैंक ऑफ इंडिया

सभी प्रगतिशील संगठनों के लिए आवश्यक माना जाता है कि वे समय तथा जरूरतों के अनुसार अपने में बदलाव लाएँ तथा बाहर हो रहे बदलावों के साथ तालमेल बनाएँ। यहाँ संगठनों को अपनी कार्य प्रणालियों में सुधार लाना पड़ सकता है, नवीन प्रणालियाँ अपनानी पड़ सकती हैं, प्रौद्योगिकी का दामन थामना हो सकता है तथा पहले से उपयोग की जा रही प्रौद्योगिकी को उन्नत करना हो सकता है। इसके साथ संगठन को अपनी सोच तथा रणनीतियों को नई दिशा देने की आवश्यकता हो सकती है।

संगठन या कारोबार की प्रकृति जो भी हो, इसकी सफलता में इसमें कार्यरत अथवा इसे संचालित करने वाले मानव संसाधन का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। बैंकिंग जैसे सेवा उद्योग में मानव संसाधन की भूमिका और भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग के इस दौर में भी मानव संसाधन का महत्व कम नहीं हुआ है। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का चुनाव, इसका संचालन तथा इसकी देखभाल भी व्यक्तियों के जिम्मे ही होती है। बैंकों द्वारा परिष्कृत प्रौद्योगिकी को अपनाना अच्छी बात है, पर बैंकों की जनशक्ति को इस प्रौद्योगिकी की अच्छी समझ होनी चाहिए ताकि एक तरफ बैंकों को प्रौद्योगिकी में निवेश का पूरा लाभ मिले, दूसरी तरफ यह ग्राहकों के लिए भी पूरी तरह सुविधाजनक हो। बैंकों में नियोजित कार्मिकों द्वारा अपनी भूमिका उपयुक्त प्रकार से निभाने के लिए उन्हें बैंकिंग की

आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य प्रकार से भी जानकार तथा कुशल होना चाहिए।

बैंकों में प्रशिक्षण तंत्र

यदि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लें तो उनके द्वारा कार्मिक प्रशिक्षण के महत्व को काफी पहले से स्वीकार किया गया है तथा इस हेतु तंत्र स्थापित है। लिपिक तथा अधिकारी वर्ग में सेवाग्रहण करने वाले सभी कार्मिकों को बैंक प्रबोधन प्रशिक्षण प्रदान तो करते ही हैं , इससे हट कर भी कार्मिकों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया जाता है । ऐसा प्रशिक्षण पदोन्नति पर, नयी भूमिका ग्रहण करने पर हो सकता है। विशेषज्ञता के क्षेत्रों यथा जोखिम प्रबंधन, लेखापरीक्षा आदि में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बैंकों ने ऐसी व्यवस्थाएँ की हैं कि जरूरत के अनुसार कार्मिकों को समय-समय पर प्रशिक्षण मिलता रहे। एक प्रकार से देखा जाए तो बैंकों में प्रशिक्षण एक रूटीन की तरह चलता रहता है । कोविड महामारी के दौर में प्रशिक्षण कार्यकलापों में व्यवधान आया था लेकिन चीजें अब पटरी पर लौटने लगी हैं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्व की भांति संचालित होने लगे हैं ।

रूटीन प्रशिक्षण अब पर्याप्त नहीं

बैंकों में प्रशिक्षण की उपयोगिता को लेकर कोई संदेह नहीं है किन्तु हाल के वर्षों में बैंकिंग में तथा बैंकों के ग्राहक वर्ग की अपेक्षाओं में जिस तरह से बदलाव हुए हैं, उसे देखते हुए अब प्रशिक्षण से आगे बढ़ना आवश्यक हो गया है। कार्पोरेट जगत में मानव संसाधन के संदर्भ में रीस्किलिंग तथा अपस्किलिंग की इन दिनों काफी चर्चा है। इन्हें लेकर सबसे अधिक जागरूकता सूचना प्रौद्योगिकी का व्यवसाय करने वाली कंपनियों में देखी जा रही है, संभवतः इसलिए कि यहाँ चीजें तेजी से पुरानी पड़ती जा रही हैं तथा इनमें नवोन्मेष को अपनाने पर काफी ज़ोर है।

लेकिन रीस्किलिंग तथा अपस्किलिंग की आवश्यकता उन सभी संगठनों के लिए है जो प्रासंगिक बने रहना चाहते हैं तथा अपने मानव संसाधन में विश्वास दर्शाते हुए उनमें निवेश के महत्व को समझते हैं। बैंक भी इन संगठनों में निश्चित रूप से शामिल हैं।

इस लेख में रीस्किलिंग तथा अपस्किलिंग के लिए हिन्दी में हमने क्रमशः कौशल प्रवर्तन तथा कौशल उन्नयन पद का प्रयोग किया है। इन पदों से ही इनके अर्थ का थोड़ा संकेत मिल जाता है । हम कौशल प्रवर्तन तथा कौशल उन्नयन के अर्थों को थोड़ा विस्तार से समझेंगे ताकि हम इनकी उपयोगिता एवं आवश्यकता को ठीक से जान सकें ।

कौशल प्रवर्तन

बहुत सी जानकारी या कुशलताओं जिन्हें हमने पहले हासिल किया होता है, के उपयोग की आवश्यकता समय के साथ खत्म हो जाती है। इसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं जैसे किसी उत्पाद को हटा लिया जाना, पुरानी की जगह नयी प्रणाली अथवा प्रौद्योगिकी का उपयोग आदि । यहाँ यह जरूरी हो जाता है कि संबंधित कार्मिकों को नयी प्रणाली अथवा प्रौद्योगिकी के उपयोग की जानकारी हो और वे नए उत्पादों / नयी योजनाओं के बारे में भी जानकारी से युक्त हों। इसे ही कौशल प्रवर्तन कहते हैं। परंतु कौशल प्रवर्तन में सबसे अधिक ज़ोर नयी कम्प्टेंसी के विकास पर होता है । यहाँ नयी कम्प्टेंसी से आशय एक कार्मिक में उस योग्यता से है जो उसके पास उसकी बदली हुई या उच्चतर भूमिका निभाने हेतु आवश्यक रूप से मौजूद होनी चाहिए। बैंकों में शाखा प्रबन्धक की भूमिका निभाने वाले कई लोग आगे चल कर आंचलिक प्रबन्धक के पद पर आसीन होते हैं। कतिपय कुशलताएँ दोनों भूमिकाओं के लिए उपयोगी हो सकती हैं, पर आंचलिक प्रबन्धक की भूमिका में कारगर होने के लिए कौशल प्रवर्तन अनिवार्य होगा ।

कौशल उन्नयन

कार्मिकों के पास जो जानकारी या कुशलताएँ पहले से हैं उनका विस्तार करने की भी आवश्यकता हो सकती है। पहले से मौजूद जानकारी अथवा कुशलता आगे के समय में भी पर्याप्त होगी, ऐसा निश्चित रूप से बिलकुल नहीं कहा जा सकता। कौशल उन्नयन में कार्मिक अपने मौजूदा कौशलों में सुधार करते हैं, अपने ज्ञान को गहरा करते हैं, अपनी सामर्थ्य को बढ़ाते हैं तथा उनकी कुशलता का जो भी क्षेत्र हो, उसमें अपने प्रभाव का विस्तार करते हैं। इस प्रकार वे अपने विशिष्ट कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त दायित्वों तथा

उच्चतर भूमिकाओं को संभालने हेतु बेहतर स्थिति में होते हैं। उदाहरण के लिए बैंक में एक विपणन पेशेवर को बैंक के वर्तमान तथा भावी ग्राहकों से सोशल माध्यमों पर जुड़ाव अथवा संपर्क हेतु डिजिटल साधनों का उपयोग सीखने की आवश्यकता हो सकती है। कौशल उन्नयन की रणनीति में यह सुनिश्चित किया जाता है कि कार्मिकों की प्रतिभा का विकास होता रहे, उनका ज्ञान अद्यतन हो तथा नयी चुनौतियों का सामना करने हेतु वे खुद को तैयार पाएँ।

आपमें से कुछ ने वह प्रसंग पढ़ा होगा जिसमें अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि प्रश्न भले ही पुराने हों, पर उत्तर बदले हुए हो सकते हैं। बैंकिंग के संदर्भ में भी यह कथन आज व्यावहारिक प्रतीत होता है तथा इस कथन को कौशल प्रवर्तन एवं कौशल उन्नयन की आवश्यकता के साथ जोड़ कर देखा जा सकता है।

कौशल प्रवर्तन एवं कौशल उन्नयन को कौशल विकास का अंग माना जा सकता है, इसका पर्याय नहीं।

बैंकिंग उद्योग में कौशल प्रवर्तन तथा कौशल उन्नयन पर ध्यान देने की अनिवार्यता हेतु कुछ प्रमुख कारण नीचे दिए गए हैं –

बैंकिंग कारोबार के स्वरूप में बदलाव : जैसा कि हम सभी जानते हैं पहले की बैंकिंग पूरी तरह शाखा आधारित थी। छोटी से छोटी आवश्यकता के लिए लोगों को अनिवार्यतः बैंक शाखा में आना पड़ता था। विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग काउंटर हुआ करते थे। अब स्थिति काफी बदल चुकी है। इंटरनेट बैंकिंग से आगे बढ़ कर लोग मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करने लगे हैं। काफी बैंकिंग आवश्यकताएँ घर बैठे या राह चलते पूरी की जा सकती हैं। शाखाओं में एक ही काउंटर पर विविध प्रकार की सेवाएँ मिल जाती हैं, इस प्रकार शाखाओं का आकार सिमटता जा रहा है तथा उनमें नियोजित जनशक्ति की संख्या भी पहले की अपेक्षा कम हो गई है। इस प्रकार बैंकों में प्रत्येक कार्मिक द्वारा किए जाने वाले कार्यों का दायरा विस्तृत हुआ है। इन सब बातों को देखते हुए जरूरत के हिसाब से कौशल प्रवर्तन या कौशल उन्नयन अथवा दोनों की आवश्यकता हो सकती है।

ग्राहकों की बढ़ी हुए जागरूकता तथा अपेक्षाएँ: हम सभी विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं के ग्राहक वर्ग में शामिल हैं और हम खुद देख सकते हैं कि इनके संबंध में हमारी अपेक्षाएँ बीते वर्षों में किस प्रकार से बढ़ी हैं। इस परिवर्तन को अन्यत्र भी देखा जा सकता है। आज के ग्राहक वर्ग में बहुतों के पास पूछने को ढेर सारे सवाल होते हैं, तुलना करना उसकी आदत बनती जा रही है, वह त्वरित उत्तर एवं सेवा चाहता है, उसके पास प्रतीक्षा करने को समय नहीं होता तथा उसकी कामना होती है कि उसे पेशेवर व्यवहार मिले। बदलते परिदृश्य में ग्राहकों की इस तरह की अपेक्षाएँ बिलकुल वाजिब हैं तथा कार्मिकों के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करती हैं। किन्तु इस चुनौती के साथ अवसर भी जुड़े हुए हैं। ग्राहक, आखिरकार उन्हीं बैंकों की ओर उन्मुख होंगे जहां उनका कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से, बिना अनावश्यक विलंब के हो, उनके प्रश्नों के यथोचित उत्तर मिलें, उन्हें मिलने वाली सेवा पेशेवर हो तथा वे संतुष्ट होकर लौटें। इस तरह का परिणाम कार्यकुशल, व्यवहार कुशल तथा जानकार कार्मिकों की बदौलत ही संभव हो पाएगा जिसके लिए बैंकों को कौशल प्रवर्तन एवं कौशल उन्नयन की रणनीति अपनानी होगी।

जनशक्ति संरचना में हो रहे परिवर्तन: भारत में युवाओं के लिए बैंकिंग एक वरीय करियर पहले से रहा है। एक समय था जब वाणिज्य, अर्थशास्त्र तथा मानविकी के विषयों की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी बैंकों की जनशक्ति में बड़ा हिस्सा रखते थे। आज की स्थिति इससे भिन्न है। अब बैंकों में विज्ञान, इंजीनयरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा प्राप्त कर चुके युवाओं की भी अच्छी-ख़ासी तादाद है। सामान्य भूमिकाओं के लिए बैंक किसी भी विषय में स्नातक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को स्वीकार करते हैं, पर बैंकिंग में इन सभी विषयों का ज्ञान समान रूप से उपयोगी नहीं है। फिर बैंकों में कार्मिकों की पदोन्नति के उदार मापदण्डों के चलते अब योग्य पाए गए कार्मिकों को पदोन्नति जल्दी मिलने लगी है। अस्सी व नब्बे के दशक में वेतनमान I से II में पदोन्नति में कम से कम 7-8 वर्ष लग जाते थे, आज इसमें दो वर्ष जितना कम समय लगता है। विविध शैक्षणिक पृष्ठभूमि के कार्मिकों तथा जल्दी-जल्दी पदोन्नत होने वाले कार्मिकों को बैंक की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशलयुक्त करने में कौशल प्रवर्तन एवं कौशल उन्नयन की भूमिका को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

प्रौद्योगिकी पर बैंकों की बढ़ती निर्भरता : आज की बैंकिंग में प्रौद्योगिकी का दखल व्यापक रूप से विद्यमान है, परंतु बैंकों में कंप्यूटरीकरण तथा इस पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने के रास्ते में कम मुश्किलें नहीं आई थीं। हाथ से खाता बहियों में प्रविष्टि करने, वाउचर बनाने की अभ्यस्त जनशक्ति का एक बड़ा हिस्सा कम्प्यूटरों का स्वागत करने को तैयार नहीं था। खैर, बैंक के लोगों ने कंप्यूटर पर काम करना सीखा और आज हमें एक नई ही तस्वीर देखने को मिलती है। बैंकों में कम्प्यूटरों पर की बोर्ड और कमांड देने का कौशल आज प्रायः सभी कार्मिकों के पास है। बैंकों में सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े विशेषज्ञ अधिकारी भी हैं, पर अभी भी कम्प्यूटरों से जुड़ी बहुत सी सेवाएँ बैंक आउटसोर्स किया करते हैं जिस पर खर्च भी काफी आता है। साइबर सुरक्षा, क्लाउड कम्प्यूटिंग, कृत्रिम मेधा, मशीन अधिगम को बैंक अपनाना चाहते हैं तथा अपना भी रहे हैं, पर इस हेतु बैंकों में जानकार लोगों की कमी है। बैंकों के लिए आसान हो सकता है कि वे इन सेवाओं को बाहर से खरीद लें, पर बेहतर होगा कि बाहर से इस खरीद को केवल एक अस्थायी समाधान के रूप में देखा जाए तथा संबन्धित जरूरतों की क्रमशः पूर्ति कौशल प्रवर्तन के जरिए की जाए। यह बैंकों के लिए किफ़ायती तो होगा ही, संगठन की मानव संसाधन बुनियाद को भी मजबूत करेगा। जिस तरह से प्रौद्योगिकी में बदलाव होते रहते हैं, तथा इसमें नए फीचर शामिल होते जाते हैं, बैंकों में आंतरिक टीम द्वारा इसे संभाला जाना उचित होगा और ऐसी टीम कौशल प्रवर्तन तथा कौशल उन्नयन के जरिए तैयार की जा सकती है।

नयी सोच की जरूरत

जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास होगा तथा सामाजिक परिदृश्य में बदलाव होगा, मौजूदा कौशल या कौशलों के मौजूदा स्तर अपर्याप्त साबित होंगे। बैंकिंग क्षेत्र में हम ऐसा होते हुए अभी भी देख सकते हैं। अपने करियर में आगे बदने के लिए तथा बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुरूप खुद को तैयार करने हेतु बैंक कर्मियों को अपनी तरफ से पहल करनी होगी। बेशक वे बैंक प्रबंधन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर सकते हैं तथा उनसे इसमें सहयोग मांग सकते हैं । इस हेतु कार्मिकों को यह नयी तथा परिपक्व सोच अपनाने की जरूरत होगी कि उन्हें अपना विकास खुद करना है तथा इस विषय में वे पूरी तरह अपने नियोक्ता बैंक पर निर्भर नहीं रह सकते। बैंकों में कार्यग्रहण करने वाली नयी पीढ़ी संगठन में कार्य के अवसरों की विविधता के मद्दे नज़र अपने लिए संभावनाओं का आकलन कर अपनी रुचि का कार्य क्षेत्र चुनना चाहती है। उदाहरण के लिए हाल के वर्षों में बैंकों में भरती अधिकारियों में से कई ट्रेजरी अथवा जोखिम प्रबंधन में कार्य करने की इच्छा रखते हैं। ऐसे अधिकारियों को अपनी रुचि के क्षेत्र में अपने कौशल का विकास करना चाहिए। बैंकों का भी दायित्व बनाता है कि जहां तक हो सके वे कार्मिकों के रुझान को पहचानते हुए उन्हें उनके रुझान के क्षेत्र में कौशलयुक्त कर उनकी करियर अभिलाषाओं को पूरा करने में सहयोग का हाथ बढ़ाएँ।

बैंकों में कौशल के उपलब्ध स्तर (गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों प्रकार से) एवं वांछित स्तर के बीच की खाई को पाटने के लिए गहन एवं गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है। इसमें नवोन्मेष की भी आवश्यकता है क्योंकि बदलते परिवेश में पुरानी तरकीबें अब इसके लिए पर्याप्त नहीं रहीं।

यदि हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बात करें तो वे जनशक्ति का चुनाव एक साझा स्रोत अर्थात कॉमन पूल से करते हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें से किसी बैंक के हिस्से में ज्यादा योग्य कार्मिक आते हैं और दूसरों के हिस्से में में कम योग्य। फर्क इस बात से होता है कि बैंक अपनी जनशक्ति को संगठन हेतु वांछित कौशलों से किस प्रकार युक्त करते हैं, उनका नियोजन किस प्रकार से करते हैं तथा उनकी प्रतिभा का लाभ किस प्रकार लेते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में कौशल प्रवर्तन तथा कौशल उन्नयन का महत्व आसानी से समझा जा सकता है।

कौशल प्रवर्तन एवं उन्नयन को अपनी मानव संसाधन प्राथमिकताओं में शामिल करने वाले बैंक भविष्य के लिए खुद को अच्छी तरह से तैयार कर सकेंगे।यह आसानी से देखा जा सकता है कि आगामी वर्षों में बैंकिंग अब से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होने वाली है। बैंकों को यह ध्यान में रखना होगा कि आने वाले समय के लिए तैयारी बैंकों को अभी से करनी होगी। इस तैयारी में निस्संदेह बहुत सारी बातें शामिल होंगी पर इसमें सबसे अधिक ज़ोर कार्मिकों के कौशल प्रवर्तन एवं उन्नयन पर होना चाहिए।

कार्मिक जुड़ाव में वृद्धि हेतु कौशल प्रवर्तन एवं उन्नयन

मानव संसाधन प्रबंधन एवं विकास की दुनिया में कार्मिक जुड़ाव अर्थात इंप्लायी इंगेजमेंट एक जाना पहचाना शब्द है। प्रगतिशील मानव संसाधन प्रथाओं को अपनाने वाले संगठनों की नीति कार्मिक जुड़ाव में वृद्धि करने की होती है। बैंक भी अब कार्मिक जुड़ाव का महत्व समझने लगे हैं। जिन संगठनों में कार्मिक जुड़ाव का स्तर ऊंचा होता है, वहाँ उत्पादकता अधिक होती है तथा कार्मिक संगठन की प्रगति में अपना सर्वोत्तम योगदान देने को तत्पर होते हैं। कार्मिकों की सृजनशीलता तथा नवोन्मेषिता का लाभ भी ऐसे संगठनों को अधिक मिलता है। कार्मिक जुड़ाव में वृद्धि हेतु अनेक उपाय उपलब्ध हैं। इनमें से एक संगठन द्वारा अपने कार्मिकों के विकास पर पूरा ध्यान देना है। इस विकास में कौशल प्रवर्तन एवं उन्नयन की भी भूमिका है। अपने कार्मिकों को बैंकों में उनका दायित्व संभालने हेतु नए कौशलों से युक्त करना कार्मिकों के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा तथा कार्मिक अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छी तरह से कर पाएंगे। बैंक तथा बैंक में अपनी भूमिका के प्रति वे अधिक लगाव भी महसूस करेंगे। इस प्रकार कौशल प्रवर्तन एवं उन्नयन की उपयोगिता कार्मिक जुड़ाव में वृद्धि हेतु भी है।

यदि हम बैंकों में कार्मिकों की बड़ी संख्या, उनके वितरण तथा विविध कौशल अपेक्षाओं को ध्यान में रखें तो कौशल प्रवर्तन एवं उन्नयन हेतु रणनीति बनाना आसान कार्य नहीं है। सबसे पहले तो कौशल की कमी तथा नए कौशलों की आवश्यकता वाले क्षेत्रो की पहचान करनी होगी। यह प्रक्रिया बैंक तथा कार्मिकों, दोनों के स्तर पर की जानी होगी, इनमें तालमेल बैठा कर ही रणनीति को एक आकार दिया जा सकेगा। बैंक इसमें एचआर अनलिटिक्स तथा डेटा अनलिटिक्स की मदद लें तो वे इस कार्य को वैज्ञानिक ढंग से कर सकेंगे तथा इसमें उन्हें सहूलियत भी होगी।

वैश्विक क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रणाली और पर्यवेक्षण में उनकी भूमिका

- डी. के. लोहारिया
उ.म.प्र. विनियमन विभाग,
केंद्रीय कार्यालय, भारतीय
रिज़र्व बैंक, मुंबई

विश्व बैंक की वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट, 2013 के अनुसार, "एक अच्छी तरह से विकसित वित्तीय बुनियादी ढांचा, सूचना विषमताओं और विधिक अनिश्चितताओं को कम करके उन क्रेडिट बाजारों को अधिक कुशल बनाता है, जो नए क्रेडिट की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। पारदर्शी क्रेडिट रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थानों के आंतरिक जोखिम प्रबंधन में सहायता कर सकती है और वित्तीय विनियामकों को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों के जोखिम प्रोफाइल के बारे में समय से सूचित कर सकती है।

क्रेडिट सूचना साझा करने के ठोस और पारदर्शी तरीके ऋण बाजार दक्षता और स्थिरता में सहायक 3 महत्वपूर्ण तरीके हैं:

(क) ऋण देने वाली संस्थाएं व्यक्तिगत ग्राहकों को ऋण देने के बारे में निर्णय लेने के साथ-साथ अपने समग्र पोर्टफोलियो के जोखिम प्रोफ़ाइल का प्रबंधन करने के लिए ऐसी सूचना का उपयोग कर सकती हैं।

(ख) बैंक विनियामक पूंजी और विवेकपूर्ण जोखिम सीमा से संबंधित नियमों की बारीकी से जांच के लिए क्रेडिट सूचना का उपयोग कर सकते हैं।

(ग) बैंक पर्यवेक्षक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण उधारकर्ताओं और वित्तीय संस्थानों की अंतर-संबंधित जोखिमों के आकलन के लिए ऐसी प्रणालियों का उपयोग कर सकते हैं।

विश्व बैंक ने क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रणाली को उन संस्थानों, व्यक्तियों, विनियमों, प्रक्रियाओं, मानकों और प्रौद्योगिकी के रूप में परिभाषित किया है जो क्रेडिट और ऋण समझौतों से संबंधित निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक सूचना प्रवाह को सक्षम बनाते हैं। उनके मूल में, क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रणाली में देनदारों की सूचना संबंधी डेटाबेस शामिल होते हैं, साथ ही ऐसे डेटाबेस के कुशल संचालन में सहयोग वाले संस्थागत, तकनीकी और विधिक ढांचे भी शामिल होते हैं। इन प्रणालियों में संगृहीत जानकारी व्यक्तियों और व्यवसायों से संबंधित हो सकती है।

विश्व स्तर पर, क्रेडिट रिपोर्टिंग कार्य को तीन समूहों में विभाजित किया जा सकता है:

(क) क्रेडिट रजिस्ट्रियां: क्रेडिट रजिस्ट्री क्रेडिट सूचना विनिमय का एक मॉडल है जिसका मुख्य उद्देश्य बैंक पर्यवेक्षण में सहायता करना और विनियमित वित्तीय संस्थानों तक उनके क्रेडिट पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में सुधार के लिए डेटा पहुंच को सक्षम बनाना है।

(ख) क्रेडिट ब्यूरो: क्रेडिट ब्यूरो क्रेडिट सूचना विनिमय का एक मॉडल है जिसका प्राथमिक उद्देश्य ऋणदाताओं के लिए बेहतर जानकारी संबंधी निर्णय लेने हेतु डेटा की गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार करना है।

(ग) वाणिज्यिक ऋण रिपोर्टिंग कंपनियां: ये सार्वजनिक स्रोतों, प्रत्यक्ष जांच और आपूर्तिकर्ताओं तथा व्यापार लेनदारों द्वारा रिपोर्ट किए गए भुगतान व्यवहार के माध्यम से एकत्र की गई कंपनियों और निगमों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

विश्व बैंक, क्रेडिट रिपोर्टिंग के सामान्य सिद्धांत, 2011 का उद्देश्य क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रणाली के लिए निम्नलिखित सार्वजनिक नीति उद्देश्यों को पूरा करना है:

"क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रणाली अर्थव्यवस्था में क्रेडिट के सुदृढ़ और अनुकूल विस्तार का प्रभावी ढंग से समर्थन करने वाला होना चाहिए ताकि यह सुदृढ़ और प्रतिस्पर्धी ऋण बाजारों के आधार के रूप में काम कर सके। इस उद्देश्य के लिए, क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रणाली सुरक्षित एवं कुशल तथा डेटा विषय एवं उपभोक्ता अधिकारों का पूरी तरह से समर्थन करने वाला होना चाहिए।"

उपर्युक्त उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए, विश्व बैंक ने निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांत निर्धारित किए हैं।

सामान्य सिद्धांत 1: डेटा

क्रेडिट रिपोर्टिंग सिस्टम में प्रासंगिक, सटीक, समयबद्ध और पर्याप्त डेटा-सकारात्मक और नकारात्मक दोनों; विश्वसनीय, उपयुक्त और उपलब्ध स्रोतों से व्यवस्थित आधार पर एकत्र किया जाना चाहिए और इस जानकारी को पर्याप्त समय तक बनाए रखना चाहिए।

सामान्य सिद्धांत 2: डेटा प्रोसेसिंग: सुरक्षा और दक्षता

क्रेडिट रिपोर्टिंग सिस्टम में सुरक्षा और विश्वसनीयता के कठोर मानक होने चाहिए और ये कुशल होने चाहिए।

सामान्य सिद्धांत 3: अभिशासन और जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट रिपोर्टिंग सेवा प्रदाताओं और डेटा प्रदाताओं की अभिशासन व्यवस्था को व्यवसाय से जुड़े जोखिमों के प्रबंधन में जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करनी चाहिए तथा उपयोगकर्ताओं द्वारा सूचना तक निष्पक्ष पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए।

सामान्य सिद्धांत 4: विधि और विनियामक वातावरण

क्रेडिट रिपोर्टिंग के लिए समग्र विधायी और विनियामक ढांचा स्पष्ट, पूर्वानुमानित, गैर-भेदभावपूर्ण, आनुपातिक और डेटा विषय तथा उपभोक्ता अधिकारों का समर्थन करने वाला होना चाहिए। विधायी और विनियामक ढांचे में प्रभावी न्यायिक अथवा न्यायेतर विवाद समाधान तंत्र शामिल होना चाहिए।

सामान्य सिद्धांत 5: सीमापार डेटा प्रवाह

सीमा-पार क्रेडिट डेटा हस्तांतरण की सुविधा, जहां उचित हो, दी जानी चाहिए बशर्ते कि पर्याप्त आवश्यकताएं मौजूद हों।

पूर्वानुमानित शक्ति पर सूचना के प्रकार और स्रोतों का प्रभाव

सूचना का प्रकार / सूचना के स्रोत	सकारात्मक और नकारात्मक सूचना	नकारात्मक सूचना
"पूर्ण" (बैंकों, खुदरा विक्रेताओं, एनबीएफसी द्वारा साझा की गई सूचना)	उच्च पूर्वानुमान (जैसे यूएस, यूके, भारत)	निम्न पूर्वानुमान (जैसे बोत्सवाना, एस्वातीनी)
विखंडित (सूचना केवल बैंकों या केवल खुदरा विक्रेताओं के बीच साझा की गई)	निम्न पूर्वानुमान (जैसे मेक्सिको, कुवैत)	न्यूनतम पूर्वानुमान (जैसे मलेशिया, बोत्सवाना)

स्रोत: वर्ल्ड बैंक, डूइंग बिज़नेस 2019

क्रेडिट रिपोर्टिंग सिस्टम में प्रमुख हितधारक

क्रेडिट रिपोर्टिंग सेवा प्रदाता (सीआरएसपी)	इस डेटा को ऋणदाताओं के बीच मिलान, सत्यापन, पुनर्जांच और एकत्रित करता है और फिर आम तौर पर पारस्परिक आधार पर ऋणदाताओं को क्रेडिट रिपोर्ट प्रसारित करता है।
डेटा	विषय उपभोक्ता, एमएसएमई और बड़े व्यवसाय हैं जिनका डेटा सीआरएसपी द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट में एकत्र, संसाधित और मिलान किया जाता है।
डेटा प्रदाता	ये सीआरएसपी के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पारंपरिक डेटा प्रदाताओं में वाणिज्यिक बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान और क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता शामिल हैं। गैर-पारंपरिक डेटा स्रोतों में खुदरा विक्रेता और उपयोगिता प्रदाता शामिल हैं
उपयोगकर्ता	इन्हें सीआरएसपी के सदस्यों या ग्राहकों के रूप में भी जाना जाता है, इसमें आम तौर पर वित्तीय संस्थान और गैर-बैंक ऋणदाता शामिल होते हैं जो अपने ग्राहकों के खातों के बारे में क्रेडिट सूचना प्रदान करते हैं। यह वित्तीय पर्यवेक्षकों और केंद्रीय बैंकों से लेकर अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं तक, अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए भी रुचिकर हो सकता है।
विनियामक	क्रेडिट रिपोर्टिंग गतिविधियों और सेवाओं पर पर्यवेक्षण की सांविधिक अधिकारों वाला प्राधिकरण है जिसमें लाइसेंस जारी करने और परिचालन नियम एवं विनियम बनाने के अधिकार शामिल होते हैं।

बैंकों और गैर-बैंक उधारदाताओं दोनों से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों जानकारी के संयोजन वाली क्रेडिट रिपोर्ट में क्रेडिट जोखिम आकलन की उच्चतम पूर्वानुमानित शक्ति है। उद्योग द्वारा विभाजित ब्यूरो या क्रेडिट रजिस्ट्रियां जो केवल नकारात्मक जानकारी प्रदान करती हैं, कम पूर्वानुमानित शक्ति के साथ रिपोर्ट प्रदान करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर गलत क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन होता है (आंकड़े देखें)।

पर्यवेक्षी निकायों के विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण और जोखिम निगरानी कार्य का समर्थन करने में क्रेडिट रजिस्ट्री और उभरती हुई क्रेडिट ब्यूरो और वाणिज्यिक क्रेडिट रिपोर्टिंग कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हालाँकि, इनके प्रभावी होने के लिए, क्रेडिट रजिस्ट्रियों और ब्यूरो में सटीक, पूर्ण और अद्यतित रिकॉर्ड उपलब्ध होने चाहिए। डेटा में उधारकर्ता का प्रकार और पहचान का डेटा, वर्तमान जोखिम का वर्गीकरण, क्रेडिट जानकारी का डेटा, और संपार्श्विक एवं गारंटी जानकारी शामिल होनी चाहिए, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं होनी चाहिए, ये सभी पर्यवेक्षकों को विभिन्न उधारकर्ताओं की चूक की संभावना को पहचानने और विभिन्न लेनदारों की चूक को देखते हुए संभावित हानि की गणना और निगरानी करने में सक्षम बनाएंगे।

पर्यवेक्षक क्रेडिट रजिस्ट्रियों या ब्यूरो में निहित जानकारी का उपयोग किसी व्यक्तिगत संस्थान द्वारा, संस्थानों के एक सहकर्मी समूह द्वारा या वित्तीय प्रणाली द्वारा किए गए क्रेडिट जोखिम की निगरानी के लिए कर सकते हैं।

रजिस्ट्रियों में मौजूद जानकारी पर्यवेक्षकों को क्रेडिट आस्तियों की गुणवत्ता का आकलन करने और जोखिम एक्सपोज़र (सेक्टर, भौगोलिक वितरण, उधारकर्ता का प्रकार, या क्रेडिट के प्रकार) की समग्र तस्वीर प्रदान करती है। इस प्रकार, पर्यवेक्षक यह आकलन कर सकते हैं कि क्या वित्तीय संस्थान अपने स्वयं के प्रासंगिक कानून या बासेल ढांचे द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जो बदले में अर्थव्यवस्था में प्रणालीगत जोखिम स्तर का एक संकेतक है। इसके अलावा पर्यवेक्षक, निरीक्षण किए जा रहे वित्तीय संस्थान के पोर्टफोलियो में प्रत्येक क्रेडिट रिकॉर्ड का विश्लेषण करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। क्रेडिट रजिस्ट्री या ब्यूरो डेटा उपयोगी "नमूना डेटा" प्रदान कर सकता है जो वित्तीय संस्थान के पोर्टफोलियो में उन प्रमुख रुझानों और विशेषताओं को उजागर करता है, जिसमें नए वित्तीय उत्पादों की शुरूआत के कारण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में बदलाव भी शामिल हैं। पर्यवेक्षक इस जानकारी का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं कि किसी संस्थान के पोर्टफोलियो के किन क्षेत्रों की सूक्ष्म स्तर पर समीक्षा की आवश्यकता है और इस प्रकार वे अपना समय एवं संसाधन अधिक प्रभावी ढंग से आवंटित कर सकते हैं।

कार्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया - गैर निष्पादक आस्तियों की वसूली में निजी गारंटी-एक प्रभावी विकल्प

- राजेन्द्र सिंह

मई 2021 में उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीशों की खण्डपीठ ने भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2019 में जारी की गई अधिसूचना को मान्यता प्रदान कर दी जिसमें दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया से सम्बन्धित कार्पोरेट प्रवर्तकों / निवेशकों के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही चलाई जा सकती है जहां इन व्यक्तियों द्वारा कर्ज की प्रतिभूति के रूप में निजी गारंटी दी गई है।

उच्चतम न्यायालय के इस महत्वपूर्ण निर्णय का बैंकों / वित्तीय संस्थाओं ने एक स्वर में स्वागत किया है और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकारण में निजी गारंटी से संबंधित मामले दर्ज कराने और उन पर कार्यवाही चल रही है।

निजी गारंटी का महत्व

जब एक व्यावसायिक उद्यमी द्वारा व्यवसाय की स्थापना एवं विकास के लिए कर्ज लिया जाता है कम्पनी के प्रवर्तकों/ निदेशकों को प्रतिभूति के रूप में संबंधित बैंक / वित्तीय संस्था को निजी जमानत देनी होती है। जब कंपनी के प्रवर्तकों/ निदेशकों द्वारा निजी गारंटीकर्ता के रूप में हस्ताक्षर किए जाते हैं तो यह लिमिटेड कम्पनी की "सीमित देयता" की स्थिति को निष्प्रभावी कर देता है। अन्य शब्दों में ऐसे मामलों में आवश्यकता के अनुसार, प्रवर्तकों/ निदेशकों की व्यक्तिगत आस्तियों पर भी बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को कार्पोरेट दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया द्वारा वसूली का अधिकार मिल जाता है।

मुख्य महाप्रबंधक
इंडियन ओवरसीज़ बैंक (सेवानिवृत्त)

भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को उच्चतम न्यायालय में निजी गारंटीकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में इस अधिसूचना को मान्यता देते हुए कहा कि भारत सरकार आवश्यकता के आधार पर विभिन्न अवसरों पर ऐसी अधिसूचनाएं जारी करने के लिए पूरी तरह सक्षम है।

निजी गारंटी से सम्बन्धित वर्तमान अधिसूचना का उल्लेख दिवालियापन कोड के पार्ट-III में किया गया है। यद्यपि पार्ट III वैयक्तिक मामलों और भागीदारी फर्मों से ही संबंधित है, इस अधिसूचना द्वारा पार्ट-III में निजी गारंटीकर्ताओं को भी शामिल किया गया है।

वर्तमान अधिसूचना जारी होने से पहले बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को कर्ज वसूली के लिए कर्ज वसूली न्यायाधिकरणों के समक्ष सरफेसी अधिनियम-2002 के प्रावधानों के तहत वसूली प्रार्थना पत्रों को प्रस्तुत करना पड़ता था जिसमें निजी गारंटीकर्ताओं से संबंधित मामले भी शामिल किए जाते थे।

वसूली न्यायाधिकरणों में बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं को एक लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित "ट्रेंड एण्ड प्रोग्रेशन ऑफ बैंकिंग 2019-20" के अंक के अनुसार कर्ज की वसूली मात्र 4 प्रतिशत थी जबकि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरणों द्वारा वसूली 45.5 प्रतिशत थी। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि वसूली न्यायाधिकरणों द्वारा वसूली भी कम है और इसमें समय भी अधिक लगता है।

कार्पोरेट कर्जों में वसूली की सुस्त प्रक्रिया और बढ़ती गैर-निष्पादक आस्तियों को देखते हुए भारत सरकार ने 15 नवम्बर 2019 को यह अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना के जारी होने के बाद बैंको/ वित्तीय संस्थाओं में आशा की एक नई किरण जगी है कि अब वे निजी गारंटीकर्ताओं के विरूद्ध सीधी कार्यवाही कर वसूली में वृद्धि कर सकते हैं और लम्बित मामलों का निपटारा भी एक समय सीमा में सुनिश्चित किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के विरूद्ध कार्पोरेट देनदारों से संबंधित निजी गारंटीकर्ताओं ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में अपील दायर कर दी। उच्चतम न्यायालय ने इन सब अपीलों को सुप्रीम कोर्ट में अंतरित कर लिया। इसके पीछे उद्देश्य यही था कि दिवालियापन कोड के अन्तर्गत निजी गारंटी प्रावधानों की व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनिश्चित किया जा सके और साथ ही उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए किसी विपरीत दृष्टिकोण के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो।

उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी

उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के उद्देश्यों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह भारतीय संसद का अभिप्राय है कि निजी गारंटीकर्ताओं को अन्य श्रेणी के व्यक्तियों से अलग रखा जाए।

बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को विशेषाधिकार

विशेषज्ञों की राय में उच्चतम न्यायालय ने एक तरह से विशेषाधिकार दिया है कि वे दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया के अन्तर्गत निजी गारंटीकर्ताओं के विरूद्ध वसूली के लिए सीधी कार्यवाही कर सकते हैं। इस निर्णय से कर्ज वसूली न्यायाधिकरणों और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरणों के बीच कभी-कभी आने वाली टकराहट की स्थिति पर भी विराम लग सकेगा। ज्ञातव्य रहे कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, कार्पोरेट देनदारों, निजी गारंटीकर्ताओं और बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के बीच मध्यस्थता करते हुए एक निर्णायक की भूमिका निभाते हैं।

वर्ष 2016 में दिवालियापन कोड लागू होने के बाद भी जानकारी के अभाव में कार्पोरेट देनदार अपने प्रार्थना पत्र वसूली न्यायाधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत करते रहे जिसमें इनके निपटारे में अनावश्यक विलम्ब होता रहा।

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा उठाए गए कदम

कोविड महामारी के फलस्वरूप दबावग्रस्त आस्तियों अथवा दबावग्रस्त होने के स्पष्ट लक्षणों वाले या अतिरिक्त कर्ज की मांग करने जैसे मामलों में अतिरिक्त निजी गारंटी / अतिरिक्त प्रतिभूति की मांग बैंकों द्वारा की जा रही है।

फैमिली ट्रस्ट का निर्माण

कार्पोरेट कर्जा के गैर-निष्पादक आस्तियों की समीक्षा करते हुए पाया गया कि कई मामलों में कार्पोरेट प्रवर्तकों / निदेशकों ने फैमिली ट्रस्ट बना रखे हैं जिसका उद्देश्य अपने आस्तियों (चल/अचल), धन-सम्पदा आदि को दिवालियापन कानून और जांच एजेंसियों से बचाना है।

अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को ऐसे फैमिली ट्रस्ट के विरूद्ध कार्यवाही करने में सफलता नही मिल पाई है। फैमिली ट्रस्ट की संरचना ऐसे की गई है कि इसमें प्रवर्तकों / निदेशकों को ट्रस्टी (न्यासी) नहीं बनाया गया है और यदि बनाया भी गया है तो इनका शेयर मात्र 5-10 प्रतिशत तक ही सीमित है।

बैंको/वित्तीय संस्थाओं को कुछ मामलों में यह भी पता चला है कि प्रवर्तकों/निदेशकों द्वारा फैमिली ट्रस्ट के माध्यम से शेयर खरीद रखे हैं, ऐसे मामलों में भी अब निजी गारंटी की मांग की जा रही है।

नकारात्मक धारणाधिकार पत्र (निगेटिव लियन लेटर)

उपरोक्त अड़चनों को देखते हुए बैंको/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा फैमिली ट्रस्ट मामलों में निगेटिव लियन लेटर की मांग की जा रही है जिसमें प्रवर्तकों / निदेशकों द्वारा यह घोषणा की जाती है कि उनकी समस्त चल/अचल संपत्तियों पर अमुक बैंकों / वित्तीय संस्थाओं का प्रथम प्रभार रहेगा। ऐसी स्थिति में प्रवर्तकों / निदेशकों द्वारा किसी भी चल अचल संपत्ति की बिकी करने की दशा में अमुक बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से लिखित में अनापत्ति प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

निजी गारंटी की संवैधानिक वैधता

निजी गारंटी की संवैधानिक वैधता को 75 याचिकाओं द्वारा उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने इन

याचिकाओं पर स्पष्ट रूप से निर्णय देते हुए कहा कि जब एक कार्पोरेट देनदार को दिवालियापन कोड के अन्तर्गत प्रस्तुत संकल्प योजना की स्वीकृति हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भी निजी गांरटीकर्ताओं की देयताएं समाप्त नहीं होती और न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है।

उच्चतम न्यायालय ने तर्क दिया कि निजी गारंटीकर्ताओं की श्रेणी अन्य हित धारकों से भिन्न होती है। दिवालियापन कोड में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि एक कार्पोरेट देनदार और निजी गारंटीकर्ता के विरूद्ध समान रूप से और साथ-साथ दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

निजी गारंटीकर्ताओं का तर्क था कि जब एक कार्पोरेट देनदार द्वारा प्रस्तुत संकल्प योजना को स्वीकृति मिल जाती है तो निजी गारंटीकर्ताओं की पिछली, वर्तमान और भविष्य में होने वाली देयताएं अपने आप समाप्त हो जाती है।

उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 128 के अनुसार एक निजी गारंटीकर्ता की देयताएं, मुख्य उधारकर्ता की देयताओं के समानान्तर चलती हैं और यही आधार है कि संकल्प योजना की स्वीकृति के बाद भी निजी गारंटीकर्ताओं की देयताएं समाप्त नहीं होती और वसूली की कार्यवाही जारी रहती है।

निजी गारंटीकर्ताओं का तर्क

निजी गारंटीकर्ताओं ने उच्चतम न्यायालय में इस बात को स्वीकार किया कि केन्द्र सरकार को इस बात का अधिकार है और इस बात के लिए स्वतंत्र भी है कि दिवालियापन कोड के प्रावधानों को सरकारी गजट के माध्यम से जारी कर सकते हैं। परन्तु इस बार दिवालियापन कोड के पार्ट-।।। में दिए गए प्रावधानों में परिवर्तन कर केन्द्र सरकार ने अपनी निहित शक्तियों का अतिक्रमण किया है।

अधिसूचना में दिवालियापन कोड की धारा-243 का जिक नहीं किया गया है जो प्रेसिडेन्सी टाउन्स अधिनियम 1909 और प्रोविंशियल दिवालियापन अधिनियम 1920 को निरस्त कर देते हैं। निजी गारंटीकर्ताओं का तर्क था कि इन दोनों अधिनियमों के निरस्त न होने के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना असंगत और अप्रासंगिक है क्योंकि इससे निजी गारंटीकर्ताओं को दो परस्पर विरोधी अधिनियमों का सामना करना पड़ेगा।

उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी

उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार द्वारा अधिसूचना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह भारतीय संसद के अभिप्राय को दर्शाता है कि निजी गारंटीकर्ताओं को अन्य श्रेणी के व्यक्तियों से अलग रखने को कहा गया है। साथ ही एक कार्पोरेट देनदार और उसके निजी गारंटीकर्ताओं पर समान रूप से और साथ-साथ दिवालियापन अधिनियम के अन्तर्गत वसूली कार्यवाही की जा सकती है।

भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को लागू करने हेतु एक समयबद्ध तरीके से दिवालियापन कोड में निम्न संशोधन किए गए हैं-

(अ) धारा 2(ई): इस धारा के जोड़े जाने का उद्देश्य निजी गारंटीकर्ताओं पर दिवालियापन कोड लागू करना,

(ब) धारा 5(22): इसका उद्देश्य को निजी गारंटी की परिभाषा लागू करना,

(स) धारा 29 (ए): इसके अन्तर्गत एक कार्पोरेट देनदार के निजी गारंटीकर्ता जिसके विरूद्ध दिवालियापन कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है उसे संकल्प योजना प्रस्तुत करने के लिए अयोग्य ठहराना।

दिवालियापन कोड में इस बात की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया गया है कि निजी गारंटी से सम्बन्धित मामले चाहे वे व्यक्तिगत हो या भागीदारी फर्मों से सम्बन्धित हो, इन सब में न्याय निर्णय का अधिकार केवल राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण का है, न कि वसूली न्यायाधिकरणों का।

निजी गारंटीकर्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आधार पर शीर्ष कोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी की है कि भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को एक अतिक्रमण के रूप में न लिया जाए। शीर्ष कोर्ट ने इस बात को भी नकार दिया है कि दिवालियापन कोड के प्रावधानों को

चुनिंदा रूप से व्यक्तियों और निजी गारंटीकर्ताओं पर लागू करने का शीर्ष कोर्ट पर कोई दबाव था।

इसी तरह प्रेसिडेन्सी टाउन्स दिवालियापन अधिनियम 1909 और प्रोविंसियल दिवालियापन अधिनियम 2016 के बारे में स्पष्ट टिप्पणी दी है कि इन प्रावधानों और निजी गारंटीकर्ताओं से संबंधित प्रावधानों में कोई परस्पर विरोध नहीं है।

उच्चतम न्यायालय ने दिवालियापन अधिनियम 2016 की धारा 238 पर बल देते हुए कहा कि इसमें एक "नान-आब्सटैन्टी' शर्त है जो इस कोड को समस्त प्रचलित और प्रतिकूल कानूनों पर सर्वोपरि सिद्ध करता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक कार्पोरेट देनदार को कर्ज अदायगी योजना या एक मुश्त समझौता योजना यदि है तो उसे राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण द्वारा पूर्व निर्धारित समय सीमा में ही प्रस्तुत करना होगा।

निजी गारंटी अधिनियम का व्यापक प्रभाव

बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की राय में निजी गारंटी अधिनियम आने से कार्पोरेट इकाइयों के प्रवर्तकों / निदेशकों/अध्यक्षों पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखने में आ रहा है कि वे स्वयं बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से सम्पर्क कर वसूली राशि के निपटारे के लिए पहल कर रहे हैं।

कार्पोरेट देनदारों को यह भय भी सता रहा है कि कर्ज़ निपटारा न होने पर कही उनको "दिवालिया" न घोषित कर दिया जाए क्योंकि ऐसा होने पर उनके वित्तीय सम्बन्धी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

सारांश

उच्चतम न्यायालय का निर्णय बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है इससे एक और लाभ यह भी है कि जिन मामलों में संकल्प योजना के माध्यम से की गई वसूली में कमी रह जाती है तो उसकी भरपाई कार्पोरेट देनदारों के निजी गारंटीकर्ताओं के विरूद्ध स्वतंत्र रूप से कार्यवाही कर वसूली की जा सकती है।

इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि निजी गारंटीकर्ताओं की निवल मालियत क्या है? यदि कर्ज देने के बाद निवल मालियत में कमी आई हो तो वसूली में सफलता भी आंशिक ही होगी। अतएव कर्ज देते समय निजी गारंटीकर्ताओं की निवल मालियत की जांच-पड़ताल में पूरी सतर्कता एंव सावधानी की आवश्यकता है। साथ ही कार्पोरेट कर्जा के नियमित अनुसरण और निगरानी जांच भी आवश्यक है।

साख सूचना कंपनियाँ - भारतीय संदर्भ में

- शिवानंद जंबगी

एक अच्छा क्रेडिट स्कोर किसी बैंक या किसी भी वित्तीय संस्थान से उधार/ऋण लेने के लिए एक आवश्यक शर्त है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके क्रेडिट स्कोर को कौन और किन कारकों के आधार पर संकलित करता है?

क्रेडिट सुविधा के मूल्यांकन की प्रक्रिया को क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सेवाओं द्वारा पूरा किया जाता है, जो ऋण या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने वाले ग्राहकों की क्रेडिट योग्यता निर्धारित करने में बैंकों की सहायता करती है। सीआईसी या क्रेडिट ब्यूरो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त और अधिकृत संगठन है, जो देश भर में व्यक्तियों और कंपनियों की उपभोक्ता और व्यावसायिक क्रेडिट जानकारी एकत्र करता है, इसे बनाए रखता है और इसका विश्लेषण करता है। सीआईसी भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005, सीआईसी नियम, 2006 और सीआईसी विनियमन, 2006 के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होते हैं।

सीआईसी एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष संस्थान है जो क्रेडिट संस्थानों (बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, सहकारी बैंक) से व्यक्तियों और वाणिज्यिक संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋण, क्रेडिट कार्ड और किसी अन्य फंड आधारित/गैर-फंड-आधारित क्रेडिट सुविधा के संबंध में वित्तीय डेटा एकत्र करता है)। इस प्रकार, सीआईसी एकत्रित किए गए ऐसे डेटा का डेटाबेस बनाए रखता है और अपने सदस्यों व व्यक्तिगत स्तर पर उपयोग के लिए डेटाबेस के आधार पर क्रेडिट रिपोर्ट और अन्य उत्पाद तैयार करता है। उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर, क्रेडिट सूचना कंपनी व्यक्तिगत स्तर पर क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) और कंपनियों के लिए क्रेडिट कंपनी रिपोर्ट (सीसीआर) तैयार करती है। इसके बाद सीआईसी व्यक्तियों के लिए क्रेडिट स्कोर की गणना करता है और उनकी साख पात्रता और पिछले क्रेडिट विवरण (हिस्टरी) के अनुसार कंपनियों के लिए क्रेडिट रैंक तैयार करता है।

प्रबंधक, पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सीआईसी का इतिहास:

वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के दौरान, आरबीआई, केंद्र सरकार, क्रेडिट संस्थानों (सीआई) और बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र के अन्य हितधारकों द्वारा एक कुशल डेटाबेस के माध्यम से उधारकर्ताओं के बारे में पर्याप्त, व्यापक और विश्वसनीय सूचना प्रणाली की आवश्यकता महसूस की गई थी।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा क्रेडिट सूचना कंपनी की स्थापना की संभावना का पता लगाने के लिए श्री एन एच सिद्दीकी की अध्यक्षता में एक कार्य समूह का गठन किया गया था। समूह ने नवम्बर, 1999 की अपनी रिपोर्ट में भारत में क्रेडिट ब्यूरो की स्थापना के लिए तत्काल आवश्यकता की पुनर्पुष्टि की और महसूस किया कि प्रस्तावित ब्यूरो द्वारा सूचना के संग्रह और आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए एक मास्टर कानून अधिनियमित किया जाना चाहिए।

क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सिबिल) को अगस्त 2000 में निगमित किया गया था। सिबिल ने अप्रैल 2004 में अपना क्रेडिट ब्यूरो संचालन और मई 2006 में अपना वाणिज्यिक ब्यूरो संचालन शुरू किया।

साख सूचना कंपनियों को विनियमित करने और ऋण के कुशल वितरण को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से वर्ष 2005 में क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम (सीआईसीआरए) अस्तित्व में लाया गया था। सीआईसीआरए के कार्यान्वयन के

लिए नियम और विनियम 14 दिसंबर, 2006 को अधिसूचित किए गए थे।

वर्ष 2010 के दौरान तीन अन्य सीआईसी अर्थात इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड, एक्सपेरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड को पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) दिया गया था जबकि सिबिल को वर्ष 2012 में सीओआर दिया गया था। वर्तमान में सभी चार सीआईसी परिचालन में हैं।

सीआईसी का कार्य:

सीआईसीआरए की धारा 14 (1) के तहत, एक सीआईसी कारोबार के निम्नलिखित रूपों में से किसी एक या अधिक में संलग्न हो सकता है, अर्थात्

(क) क्रेडिट संस्थान के उधारकर्ताओं, जो कि क्रेडिट सूचना कंपनी के सदस्य हैं, की व्यापार, क्रेडिट और वित्तीय स्थिति पर जानकारी एकत्र करना, संसाधित करना और उन्हें क्रमवार लगाना।

(ख) अपने निर्दिष्ट उपयोगकर्ताओं (सीआई (क्रेडिट संस्थान) और बीमा कंपनियों, दूरसंचार कंपनियों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियों आदि जैसे अन्य) या किसी अन्य क्रेडिट सूचना कंपनी के निर्दिष्ट उपयोगकर्ताओं या किसी अन्य क्रेडिट सूचना कंपनी जो इसके सदस्य हैं, को क्रेडिट सूचना प्रदान करना।

(ग) अपने निर्दिष्ट उपयोगकर्ताओं या किसी अन्य क्रेडिट सूचना कंपनी के निर्दिष्ट उपयोगकर्ताओं या अन्य क्रेडिट सूचना कंपनियों को क्रेडिट स्कोरिंग प्रदान करना जो इसके सदस्य हैं।

(घ) किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वयं की क्रेडिट सूचना प्रदान करना।

(ङ) अनुसंधान परियोजना शुरू करने के लिए।

सीआईसी कैसे काम करता है:

सीआईसी के पास व्यक्तियों और कंपनियों के क्रेडिट लेनदेन और भुगतान के पूर्व विवरणों का डेटाबेस होता है। जब भी, निर्दिष्ट उपयोगकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति या कंपनी के संबंध में पूछताछ की जाती है, तो सीआईसी एकत्रित डेटा के आधार पर एक क्रेडिट रिपोर्ट/क्रेडिट स्कोर तैयार करता है। आमतौर पर, क्रेडिट स्कोर 350 से 850 के बीच होता है, जिसमें 750 से ऊपर का कोई भी स्कोर एक अच्छा स्कोर समझा जाता है। क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर किसी व्यक्ति की वित्तीय यात्रा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ऋणदाता ऋण या क्रेडिट कार्ड देने से पहले किसी व्यक्ति की क्रेडिट तय करने के लिए इस रिपोर्ट और स्कोर का उल्लेख करते हैं। क्रेडिट स्कोर अनुकूल ऋण विकल्प और बेहतर क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन यह भी यहां एकमात्र कारक नहीं है। अन्य कारक जैसे उम्र, नौकरी की प्रकृति (वेतनभोगी हों या अन्य) आदि भी क्रेडिट प्राप्ति की संभावनाओं को प्रभावित करते हैं।

सितंबर 2016 में जारी आरबीआई अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक ग्राहक/व्यक्ति को प्रत्येक सीआईसी द्वारा वर्ष दर वर्ष एक बेस लेवल उपभोक्ता क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) नि:शुल्क प्रदान की जानी चाहिए। यह रिपोर्ट क्रेडिट स्कोर सहित एक नि:शुल्क पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट (एफ़एफ़सीआर) होनी चाहिए। आरबीआई ने अगस्त 2022 में सीआईसी को एकीकृत लोकपाल योजना के दायरे में रखकर शिकायत निवारण तंत्र को सरलीकृत किया है। इसके अलावा, आरबीआई के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सीआईसी और बैंकों को सामूहिक रूप से 30 दिनों की अवधि के भीतर किसी भी गलत स्कोर को सुधारना होगा, जिसके बाद ग्राहक आगे इसे आरबीआई लोकपाल के पास प्रेषित कर सकता है।

एक स्फूर्त क्रेडिट बाजार विकसित करने और क्रेडिट के महत्व और इसके जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता फैलाने की दिशा में सीआईसी की एक अहम भूमिका है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सीआईसी केवल तथ्यात्मक क्रेडिट सूचना प्रदान कर सकता है। यह ऋण देने या न देने के संबंध में कोई राय या संकेत नहीं देता है। यह किसी भी व्यक्ति के सर्वोत्तम हित में है कि वह एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाए रखे और जरूरत के समय में शीघ्र और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक अच्छा क्रेडिट विवरण (हिस्टरी) बनाए रखे।

वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन, एवं उपभोक्ता संरक्षण: सिंहावलोकन और संभावनाएं

- डॉ. आशीष श्रीवास्तव

वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन एवं उपभोक्ता संरक्षण देश के आर्थिक विकास को संबल प्रदान करते हैं और साथ ही वित्तीय व्यवस्था में भागीदारों की संख्या बढ़ाते हुए एवं सूचना आधारित निर्णय प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हुए वित्तीय व्यवस्था को स्थायित्व भी प्रदान करते हैं। वित्तीय साक्षरता के प्रभावी प्रसार से वित्तीय समावेशन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है और उपभोक्ता संरक्षण को बल मिलता है। डिजिटल माध्यमों का अधिकाधिक प्रयोग वित्तीय समावेशन को दक्ष एवं प्रभावी बनाता है। इसे और भी अधिक सुलभ तथा सफल बनाने के लिए वित्तीय साक्षरता के साथ डिजिटल साक्षरता और साइबर जागरूकता का विस्तार करना, लोगों में डिजिटल माध्यमों के प्रति विश्वास जगाना तथा शिकायत निवारण प्रक्रियाओं को सबल एवं सक्षम बनाना आवश्यक है।

I. प्राक्कथन

आधुनिक युग में एक सुदृढ़, सबल एवं बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था किसी भी देश की प्रगति, साख, सक्षमता और मज़बूती का प्रतिमान मानी जाती है। अर्थव्यवस्था के एक अभिन्न अंग के रूप में वित्तीय व्यवस्था, कृषि, औद्योगिक, सेवा आदि क्षेत्रों को आवश्यक वित्तपोषण तथा तरलता प्रदान करती है, साथ ही मुद्रा, वित्त, तथा आर्थिक संसाधनों से संबंधित प्रणालियों, प्रक्रियाओं, बाज़ारों, भागीदारों और उनमें प्रयोग किए जाने वाली लिखतों, प्रतिभूतियों एवं आस्तियों को परिलक्षित करती है। अर्थव्यवस्था में बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, सहकारी समितियों, वित्तीय बाजारों, जैसे मुद्रा बाज़ार, पूंजी बाज़ार, विदेशी मुद्रा बाज़ार आदि, के सफल एवं कुशल संचालन का विशेष महत्व है, और सभी देशवासी विभिन्न वित्तीय सेवाओं के प्रदाता अथवा उपभोक्ता के रूप में वित्तीय प्रणाली में भागीदारी करते हैं। एक सुदृढ़ वित्तीय ढ़ांचा तथा वित्तीय संस्थाओं का उचित विनियमन और पर्यवेक्षण वित्तीय बाजारों को स्थायित्व प्रदान करता है। वित्तीय व्यवस्था में भागीदारी करने वाले लोग, जिनमें सभी देशवासी किसी न किसी रूप में सम्मिलित हैं, अर्थव्यवस्था के विकास तथा सफल संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। अर्थव्यवस्था का समावेशी विकास, विस्तार एवं व्यापक उपयोग तभी संभव है जब देश के सभी नागरिक वित्तीय रूप से साक्षर हों और बचत, उधार, भुगतान, निवेश, बीमा, पेंशन, आदि के बारे में पूरी जानकारी के साथ सोच-समझकर निर्णय करने की क्षमता रखते हुए वित्तीय व्यवस्था में भागीदारी करें। इस परिप्रेक्ष्य में वित्तीय साक्षरता लोगों को उनके आर्थिक व्यवहारों, संबन्धित अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग करते हुए उपभोक्ता संरक्षण को संबल प्रदान करती है।

उप महाप्रबंधक ,वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

चित्र 1: जानकारी – भागीदारी – समझदारी

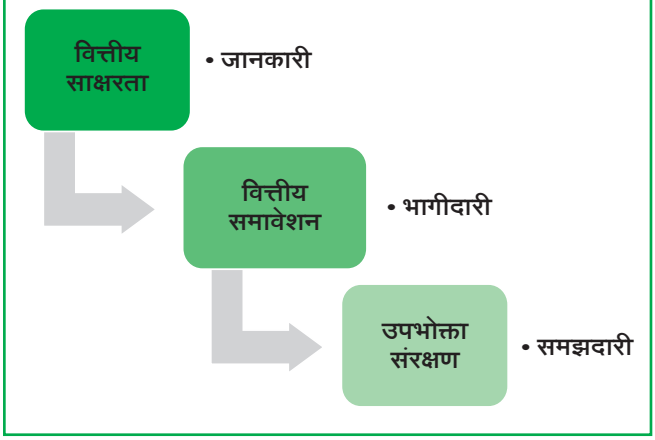

इस प्रकार से देखते जाने पर वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन एवं उपभोक्ता संरक्षण एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते हुए आर्थिक विकास को संबल प्रदान करते हैं और साथ ही वित्तीय व्यवस्था में भागीदारों की संख्या बढ़ाते हुए एवं अद्यतन सूचना आधारित निर्णय प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हुए वित्तीय व्यवस्था को स्थायित्व भी प्रदान करते हैं। इस लेख में इन सभी विषयों से संबन्धित कार्यों का सिंहावलोकन प्रस्तुत करते हुए संभावनाओं की चर्चा की गई है, जिन्हें सरल भाषा में "**जानकारी – भागीदारी – समझदारी**" के रूप में निरूपित किया गया है (चित्र 1)।

II. वित्तीय साक्षरता

वित्तीय साक्षरता का अर्थ है अपने दैनिक जीवन में किए जाने वाले वित्तीय व्यवहारों जैसे मुद्रा, बैंकिंग, धनांतरण, लघु बचत, निवेश, बीमा, पेंशन आदि के बारे में मूलभूत जानकारी रखना। व्यापक रुप में वित्तीय शिक्षा, वित्तीय बाजारों तथा उसके उत्पादों, विशेषतया उनके प्रतिफलों एवं जोखिमों के ज्ञान से लोगों को परिचित कराती है ताकि वे अपने विकल्पों का चयन अच्छी तरह से समझ-बूझ के कर सकें। वित्तीय साक्षरता, वित्तीय जानकारी एवं सलाह की तुलना में एक व्यापक विषय है। वित्तीय साक्षरता पर होने वाली कोई भी चर्चा मूल रूप से ऐसे व्यक्ति पर केंद्रित होती है जिसके पास दैनिक जीवन के वित्तीय व्यवहारों की जटिलताओं को समझने हेतु सीमित संसाधन एवं योग्यता होती है।

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओ.ई.सी.डी.) ने वित्तीय साक्षरता/ शिक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया रूप में परिभाषित किया है जिसके द्वारा वित्तीय उपभोक्ता/ निवेशकर्ता वित्तीय उत्पादों, अवधारणाओं एवं जोखिमों के बारे में अपनी समझ को समुन्नत करते हैं और जानकारी, निर्देश और/ अथवा वस्तुनिष्ठ सुझाव के जरिए दक्षता एवं आत्मविश्वास का विकास करते हैं, जो उन्हें वित्तीय जोखिमों तथा अवसरों के बारे में अधिक जागरूक बनाते हैं। इनकी मदद से वे अपने विकल्पों का चयन समझ-बूझकर करते हैं। उन्हें यह पता होता है कि मदद के लिए कहां जाना चाहिए और वे अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने हेतु प्रभावशाली कदम उठाने में सक्षम बनते हैं। इस प्रकार वित्तीय साक्षरता स्वयं की, अपने परिवार की और अपने व्यवसाय की समृद्धि को बढ़ाने के लिए आर्थिक संसाधनों से परिचित होने, उनपर नज़र रखने और प्रभावशाली रूप से वित्तीय संसाधनों के प्रयोग करने की व्यक्ति की क्षमता है। वित्तीय साक्षरता के प्रसार के लिए नेशनल स्ट्रेटजी ऑफ फ़ाईनेंसियल एजुकेशन ने एक पाँच सूत्रीय योजना प्रतिपादित की है (चित्र 2)।

नेशनल स्ट्रेटजी ऑफ फ़ाईनेंसियल एजुकेशन[1] के अंतर्गत पांच बिंदुओं – कन्टेन्ट, कैपेसिटी, कम्यूनिटी, कम्युनिकेशन, तथा कोलैबरेशन के आधार पर उपयुक्त पठन सामग्री बनाना, क्षमता विकास करना, सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना, संवाद को

चित्र 2: नेशनल स्ट्रेटजी ऑफ फ़ाईनेंसियल एजुकेशन (2020 – 2025)

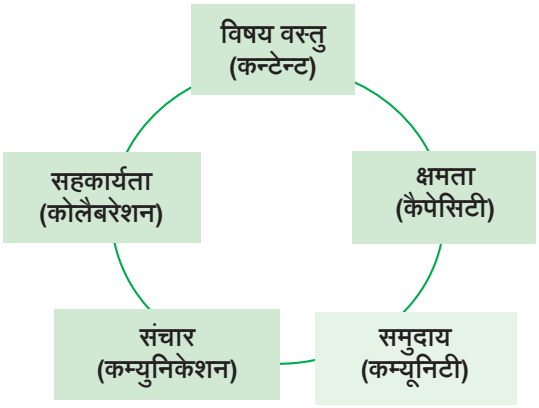

[1] https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=1156

सुदृढ करना, और सभी का सहयोग प्राप्त करना वित्तीय शिक्षण कार्यक्रम के प्रमुख अंग हैं। वित्तीय साक्षरता के प्रसार का वित्तीय समावेशन एवं उपभोक्ता जागरूकता तथा संरक्षण से एक गहरा संबंध है। वित्तीय साक्षरता लोगों को जागरूक बना कर उपभोक्ता संरक्षण की प्रक्रियाओं का संवर्धन करती है, जिससे प्रभावी वित्तीय समावेशन के प्रसार एवं संवर्धन में सहायता मिलती है। वर्ष 2023-24 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्कूली बच्चों के लिए ब्लॉक स्तर से अखिल भारतीय स्तर तक वित्तीय साक्षरता से जुड़े विषयों पर एक विस्तृत प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम ने न केवल स्कूली बच्चों के ज्ञान एवं आत्मविश्वास में बढ़ोत्तरी की अपितु उन्हें अपने परिवार एवं समाज के मध्य वित्तीय साक्षरता का प्रसार करने का संबल प्रदान किया।

III. वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन और उपभोक्ता संरक्षण

अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय बाजारों को सबल, सफल तथा विकसित बनाने के लिए उनमें काम करने वाले या उनसे संबंध रखने वाले लोग जैसे सामान्य जनता, निवेशक, प्रबंधक, संचालक, आदि का वित्तीय बाजारों के विभिन्न उत्पादों, उनमें व्याप्त जोखिमों, परिपाटियों, नियमों तथा विनियमों, दूरगामी परिणामों आदि से भली-भांति परिचित होना आवश्यक है। सभी को उनके दायित्वों के संबंध में उचित जानकारी के बिना बाज़ार में स्थायित्व एवं गतिशीलता लाना संभव नहीं है। इस प्रकार वित्तीय साक्षरता संसाधनों के बेहतर आवंटन में मददगार होती है, जिससे अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक विकास की संभावना मजबूत होती है। वित्तीय समावेशन लोगों को वित्तीय बाज़ारों से जोड़ने के लिए सोपान का कार्य करता है और वित्तीय साक्षरता उसको संबल प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय बाजारों की जटिलताओं तथा बाजारों और आम जनता के बीच सूचनाओं की विषमताओं के कारण आम लोगों के लिए अच्छी तरह सूझ-बूझ के साथ विकल्प का चयन करना बहुत सरल नहीं होता। सूचनाओं की विषमता और सही जानकारी की कमी उपभोक्ता संरक्षण के लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक है। इसके कारण वित्तीय बाजारों और उपभोक्ता संरक्षण के संदर्भ में वित्तीय साक्षरता का महत्व बहुत अधिक है। वित्तीय जागरूकता और साक्षरता का अभाव वित्तीय उत्पादों के उपलब्ध होने के बावजूद उनका उपयोग न कर पाने की एक प्रमुख वजह है। वित्तीय साक्षरता और जागरूकता का अंतिम लक्ष्य लोगों को इतना सक्षम बना देना है कि वे अपने हित को पूरा करनेवाले फैसले स्वयं कर सकें और उसके अनुकूल कदम उठा सकें।

इस रूप में, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय बाज़ारों में जोखिम प्रबंधन का एक प्रमुख अंग है एवं वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता वित्तीय बाजारों के आधार स्तंभ हैं। वित्तीय साक्षरता से मांग का पक्ष सक्रिय होता है। लोगों को पता चलता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ वित्तीय समावेशन आपूर्ति के पक्ष में काम करता है और लोगों की मांग के अनुरूप वित्तीय बाज़ार उपलब्ध कराता है। अत: वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन, उपभोक्ता संरक्षण तथा अंतत: वित्तीय स्थायित्व को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

IV. वित्तीय समावेशन के लक्ष्य और वित्तीय साक्षरता की भूमिका

[1]वित्तीय समावेशन के प्रयासों का लक्ष्य देशवासियों को सरल, सुलभ, पारदर्शी और सुरक्षित माध्यमों द्वारा जमा, ऋण, धनांतरण, निवेश, बीमा, पेंशन आदि सुविधाओं को उपलब्ध कराना है ताकि

चित्र 3 : वित्तीय समावेशन के दिशांक

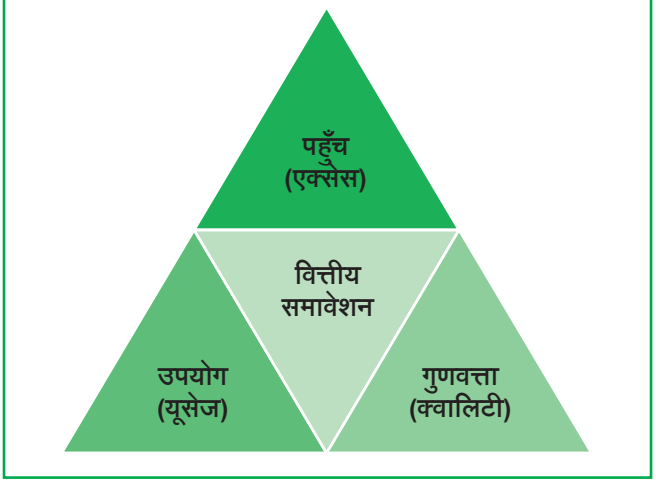

कोई भी व्यक्ति इनसे वंचित ना रहे। इस संदर्भ में वित्तीय समावेशन को पहुँच (एक्सेस), उपयोग (यूसेज), और गुणवत्ता (क्वालिटी) के समुच्चय के रूप में समझा जाता है और वित्तीय समावेशन के प्रयासों को इन तीनों दिशांकों में केन्द्रित किया जाता है (चित्र 3)।

वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय कार्यनीति (एन.एस.एफ.आई. 2019-24)[2] के अंतर्गत छः रणनीतिक लक्ष्यों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है जिसे चित्र 4 में प्रदर्शित किया गया है।

चित्र 4: वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय कार्यनीति (एन.एस.एफ.आई. 2019-24) के रणनीतिक लक्ष्य

- वित्तीय सेवाओं तक सभी की पहुँच
- आधारभूत वित्तीय सेवाओं के समुच्चय की उपलब्धता
- जीविकोपार्जन तथा कौशल विकास के साधनों तक पहुँच
- वित्तीय साक्षरता एवं शिक्षण
- ग्राहक संरक्षण एवं शिकायत निवारण
- प्रभावी समन्यव

स्वाभाविक रूप से वित्तीय साक्षरता और ग्राहक संरक्षण (व्यापक रूप में उपभोक्ता संरक्षण), वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण रणनीतिक अंग हैं तथा इनके अतिरिक्त वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न संस्थाओं और क्रियान्वयन एजेंसियों के मध्य सफल और प्रभावी संवाद और समन्यव आवश्यक है। वित्तीय समावेशन के दिशांकों, यथा - पहुँच (एक्सेस), उपयोग (यूसेज), और गुणवत्ता (क्वालिटी) में से पहुँच (एक्सेस) से संबंधित विषयों की प्रतिपूर्ति वित्तीय संस्थाओं द्वारा की जा सकती है, जैसे बैंक शाखाओं का प्रसार, बैंक-मित्रों/ बिज़नेस कोरेस्पोंडेंट द्वारा जमा तथा ऋण उत्पादों की व्यापक उपलब्धता, डिजिटल बैंकिंग व्यवहारों को प्रोत्साहन, आदि। पिछले एक दशक में लोगों तक वित्तीय संस्थाओं तथा वित्तीय उत्पादों की पहुँच में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है परंतु वित्तीय समावेशन को प्रभावी बनाने हेतु उनका उपयोग किया जाना आवश्यक है। वित्तीय सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना वित्तीय समावेशन की एक प्रमुख चुनौती है क्योंकि वित्तीय सेवाओं का उपयोग उनकी उपलब्धता के अतिरिक्त अन्य कारकों जैसे जीविका एवं आय के साधन तथा उनकी निरंतरता, व्यय का स्वरूप, बचत की क्षमता, व्यवस्था में विश्वास, आदि पर भी निर्भर करता है जिसमें वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों की बड़ी भूमिका है। पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल माध्यमों के व्यापक प्रयोग, तथा जन-धन खातों के माध्यम से डाइरैक्ट बेनिफ़िट ट्रान्सफर जैसी योजनाओं ने वित्तीय समावेशन के उपयोग संबंधित पहलू को गति प्रदान की है। इस दिशा में और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

V. वित्तीय साक्षरता एवं समावेशन की स्थिति तथा प्रसार के उपाय

वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता की स्थिति पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति के तकनीकी समूह के दिशा-निर्देश पर नेशनल सेंटर फॉर फ़ाईनेंसियल एजुकेशन (एनसीएफई) ने एक राष्ट्रव्यापी वित्तीय साक्षरता और समावेशन सर्वेक्षण (एनसीएफई-एफएलआईएस) 2019[3] किया था। इस सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित थे।

- भारत में समग्र वित्तीय साक्षरता की दर 27% मापी गई, अर्थात देश के 27% नागरिकों को समग्र रूप से वित्तीय साक्षर पाया गया। वर्ष 2103 के सर्वेक्षण की तुलना में इसमें 7% की वृद्धि देखी गई।

[2] https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=1154

[3] https://www.ncfe.org.in/reports/nflis

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओ.ई.सी.डी.) के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक व्यक्ति को समग्र वित्तीय साक्षर माना जाता है यदि उसके पास 22 अंकों में से कम से कम 15 का संयुक्त स्कोर हो, जिसमें वित्तीय व्यवहार में 9 में से न्यूनतम 6, वित्तीय ज्ञान में 8 में से न्यूनतम 6, तथा वित्तीय दृष्टिकोण में 5 में से न्यूनतम 3 अंक प्राप्त हों।

- वित्तीय साक्षरता के मामले में गोवा, चंडीगढ़ और दिल्ली शीर्ष 3 राज्य थे।
- पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर और दक्षिण क्षेत्र की वित्तीय साक्षरता देश के औसत 27% से अधिक थी।
- 33 फीसदी शहरी और 24 फीसदी ग्रामीण नागरिकों को वित्तीय रूप से साक्षर पाया गया।
- 29 प्रतिशत पुरुष वित्तीय रूप से साक्षर पाए गए जबकि महिलाओं में इसका प्रतिशत 21% था।

वित्तीय समावेशन के प्रसार के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार सहित संबंधित हितधारकों के परामर्श से देश में वित्तीय समावेशन का आकलन करने के लिए एक सम्मिश्र वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-इंडेक्स) का निर्माण किया है। मार्च 2022 में **56.4** की तुलना में मार्च 2023 के लिए एफआई-सूचकांक **60.1** था, जिसमें सभी उप-सूचकांकों (पहुँच (एक्सेस), उपयोग (यूसेज), और गुणवत्ता (क्वालिटी) में वृद्धि देखी गई[4]।

वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता के अग्रगामी प्रयासों को दिशा एवं संबल देने हेतु निम्नलिखित सुझावों पर विचार किया जा सकता है।

(क) मांग आधारित विषयों तथा प्रसार-माध्यमों का चुनाव

वित्तीय साक्षरता के प्रभावी प्रसार से वित्तीय समावेशन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है और उपभोक्ता संरक्षण को बल मिलता है। यदि लोगों की आवश्यकताओं और अपेक्षानुरूप वित्तीय साक्षरता का प्रसार किया जाए तो उसका प्रभाव एवं गुणवत्ता कहीं अधिक होगी। अत: यह आवश्यक है कि लोगों की आवश्यकता, मांग और अपेक्षा के अनुरूप वित्तीय शिक्षण का प्रसार किया जाए, जिसके लिए निम्नलिखित बिन्दुओं तथा विभिन्न विकल्पों पर ध्यान देना आवश्यक है।

- **संवाद की भाषा –** हिन्दी/ स्थानीय बोलचाल की भाषा/ अंग्रेजी, आदि।
- **वित्तीय शिक्षण का माध्यम–** व्यक्तिगत संवाद/ समूह में संवाद/ पठन सामग्री/ इलेक्ट्रोनिक मीडिया, सोशल मीडिया जैसे नवीनतम डिजिटल माध्यम, आदि
- **वित्तीय शिक्षण का स्थान –** घर/ स्कूल/ग्राम पंचायत/ बाज़ार/ आंगनवाड़ी/नगर केंद्र, आदि।
- **वित्तीय शिक्षण के विषय –** विभिन्न जनसंख्या समूहों जैसे शहरी/ग्रामीण/विद्यार्थी/महिलाएं/व्यवसाय, आदि की मांग के अनुसार चुने हुए विषय।

(ख) समेकित दृष्टिकोण

वित्तीय साक्षरता के प्रयासों को मात्र **जानकारी** तक सीमित न रखते हुए, प्रभावी **भागीदारी (वित्तीय समावेशन)** और **समझदारी (उपभोक्ता संरक्षण)** को बढ़ावा दिए जाने के उपाय किए जाने पर बल दिया जाना चाहिए।

वित्तीय साक्षरता के प्रयासों में जनअपेक्षाओं के अनुरूप सही विकल्पों का चुनाव और वित्तीय समावेशन तथा उपभोक्ता संरक्षण में वित्तीय साक्षरता की भूमिका हेतु समेकित दृष्टिकोण के साथ कार्य करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस संबंध में किए जा रहे प्रयासों[5] के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर भौतिक माध्यम से वित्तीय साक्षरता पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2017 में नौ राज्यों के 80 ब्लॉकों में पायलट सीएफएल (वित्तीय साक्षरता केंद्र) परियोजना की शुरूआत की गई थी, जिसे बाद में वर्ष 2019 में 20 आदिवासी/ आर्थिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों तक बढ़ा दिया गया था, प्रायोगिक परियोजना से प्राप्त अनभुव और हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर सीएफएल परियोजना को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया गया है। इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईएएफ), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) और प्रायोजक बैंकों द्वारा प्रदान की जाती है। इनके अतिरिक्त बैंकों द्वारा देश के विभिन्न भागों में स्थापित वित्तीय साक्षरता केन्द्रों द्वारा भी वित्तीय साक्षरता का प्रसार किया जाता है।

[4] https://www.rbi.org.in/scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=56380

[5] https://www.rbi.org.in/Scripts/AnnualReportPublications.aspx?Id=1375

(ग) डिजिटल माध्यमों का अधिकाधिक प्रयोग तथा उपभोक्ता संरक्षण

डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान प्रणाली और डेटा विनिमय का समुच्चय, जिसे "डिजिटल पब्लिक इनफ्रास्ट्रक्चर" (डीपीआई) के रूप में जाना जाता है, ने एक अभूतपूर्व पैमाने पर वित्तीय समावेशन में तेजी लाने और लोगों के जीवन को बदलने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। भारत में जनधन खातों, डिजिटल पहचान (आधार संख्या) और मोबाइल कनैक्शन (जे-ए-एम ट्रिनिटी) के साथ डीपीआई के उपयोग के कारण वित्तीय समावेशन में त्वरित वृद्धि संभव हुई है। डिजिटल माध्यमों का अधिकाधिक प्रयोग वित्तीय समावेशन को दक्ष एवं प्रभावी बनाते हुए जन कल्याण का साधन बन रहा है । इसे और भी अधिक सुलभ तथा सफल बनाने के लिए वित्तीय साक्षरता के साथ डिजिटल साक्षरता और साइबर जागरूकता का विस्तार किया जाना आवश्यक है । लोगों में डिजिटल माध्यमों के प्रति विश्वास जगाना इसका एक आवश्यक अंग है, जिसके लिए जागरूकता के साथ-साथ डिजिटल धोखाधड़ी और जालसाजी की घटनाओं को रोकने के लिए संस्थागत स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण हेतु कदम उठाते हुए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (हेल्पलाइन -1930) जैसी शिकायत निवारण तथा परिमार्जन प्रक्रियाओं को सबल एवं सक्षम बनाना आवश्यक है ।

VI. उपसंहार

वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन, और उपभोक्ता संरक्षण वित्तीय व्यवस्था को गति तथा व्यापकता प्रदान करते हैं तथा वित्तीय स्थिरता को संबल देते हैं । वित्तीय साक्षरता लोगों को जागरूक बना कर उपभोक्ता संरक्षण की प्रक्रियाओं का संवर्धन करती है, जिससे प्रभावी वित्तीय समावेशन के प्रसार में सहायता मिलती है। अत: वित्तीय साक्षरता का अधिकाधिक प्रसार अर्थव्यवस्था के विकास और वित्तीय स्थायित्व के लिए आवश्यक है । भारत जैसे देश में जहाँ वित्तीय व्यवस्था एवं वित्तीय बाज़ार विकास एवं विस्तार की अवस्था में हैं, वित्तीय साक्षरता का प्रसार अत्यंत आवश्यक है। वित्तीय साक्षरता के प्रसार से न केवल अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय बाजारों के विकास एवं वित्तीय स्थायित्व में सहायता मिलती है , इससे लोगों के जीवन-स्तर में भी सुधार आता है और देश के समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त होता है । साथ ही वित्तीय साक्षरता के प्रयासों को मात्र जानकारी तक सीमित न रखते हुए, और डिजिटल माध्यमों के प्रति विश्वास जगाते हुए प्रभावी वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने और उपभोक्ता संरक्षण को व्यक्तिगत तथा संस्थागत स्तर पर बढ़ावा दिए जाने के उपाय किए जाने पर बल दिया जाना चाहिए।

महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) का योगदान

- नौशाबा हसन

देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने दिनांक 1 फरवरी 2024 को वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के उस संकल्प को दोहराया जिसके तहत हमारी अर्थव्यवस्था के चार स्तंभों "GYAN" अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी- के विकास की बात की गई है।[1] वित्त मंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं और नारियों की आवश्यकताएं, उनकी आकांक्षाएं और उनका कल्याण देश के नीति-निर्माताओं की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। देश की प्रगति होती है जब ये लोग प्रगति करते हैं और इस बात में कोई संशय नहीं कि उनके सशक्तीकरण और कल्याण से ही देश प्रगति की राह पर और आगे बढ़ेगा।

यूं तो इस बार प्रस्तुत किये गए अंतरिम बजट में जनकल्याणकारी अनेक घोषणाएं की गईं है, किन्तु यहाँ हम चर्चा करेंगे नारी सशक्तिकरण और उनके आर्थिक स्वावलंबन को सुदृढ़ बनाने वाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक- स्वयं सहायता समूह अर्थात् एस.एच.जी. की। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने इस तथ्य की मुक्त-कंठ से सराहना की कि नौ करोड़ महिलाओं के तिरासी लाख स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता से ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। अपने बजट भाषण में उन्होंने लखपति दीदी योजना का उल्लेख भी किया, जिसकी चर्चा हम आलेख में आगे करेंगे।

सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक,
बेलापुर, नवी मुंबई

स्वयं सहायता समूह क्या है?

स्वयं सहायता समूह/ एस.एच.जी. एक समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले दस से बीस लोगों का एक पंजीकृत अथवा अपंजीकृत समूह होता है। समूह के सदस्य स्वेच्छा से, नियमित तौर पर थोड़ी-थोड़ी राशि बचाते हैं (भले ही उसकी मात्रा जो भी हो- कम या ज़्यादा) और उससे एक साझा निधि तैयार करते हैं।[2] समूह सदस्य इस निधि में नियमित योगदान करने के साथ ही अपने समूह के सदस्यों की उत्पादकता/ आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामूहिक निधि को ऋण के रूप में देने के लिए भी सहमत होते हैं। स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में बचत की आदत डालना, नेतृत्व क्षमता का विकास करना, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना तथा समूहों को

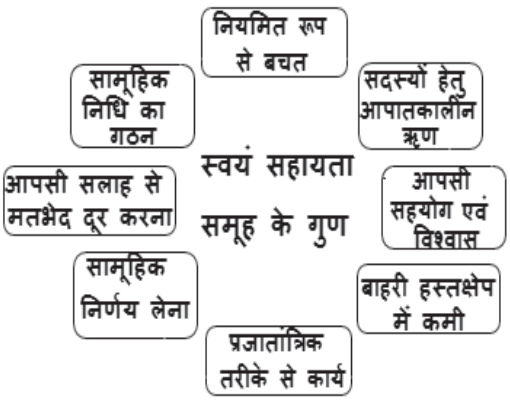

बैंक ऋण से जोड़कर स्वरोज़गार के ज़रिये समूह सदस्यों का सशक्तिकरण करना है।

एक अच्छा एवं मज़बूत स्वयं सहायता समूह निम्नानुसार पंचसूत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है:-

वर्ष 2022-23 में जारी किये गए वार्षिक आर्थिक सर्वे में बताया गया है कि भारत में लगभग 1.2 करोड़ एसएचजी हैं अर्थात् स्वयं सहायता समूह हैं। इन समूहों का एक बड़ा हिस्सा- लगभग 88% Women led SHG अर्थात् महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह हैं। वित्त वर्ष 2013 से लेकर देश 2022 तक एस.एच.जी. को दिए गए ऋण में 10.8% की CAGR Growth अर्थात् चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है। समीक्षा में यह भी बताया गया है कि स्वयं सहायता समूहों के बैंक ऋण की पुनर्भुगतान दर लगभग 96% से भी अधिक है जो इन समूहों के क्रेडिट अनुशासन और विश्वसनीयता को रेखांकित करता है।[3]

स्वयं सहायता समूह का संक्षिप्त इतिहास:

अपने लक्ष्य के प्रति अदम्य विश्वास से प्रेरित दृढ़ संकल्पी लोगों का एक छोटा सा समूह भी इतिहास रच सकता है।

– महात्मा गांधी

स्वयं सहायता समूह के परिप्रेक्ष्य में, सन सत्तर एवं अस्सी के दशक के दौरान समाज के निम्न तबके के लोगों विशेषकर गरीब एवं अशिक्षित महिलाओं के जीवन में आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु 'स्वयं सहायता समूह' की अवधारणा को 'बांग्लादेश ग्रामीण बैंक' के रूप में जीवंत रूप प्रदान करने वाले नोबल पुरस्कार विजेता प्रो. मोहम्मद यूनुस का योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा।[4] "समूह में ही शक्ति है" इस सिद्धांत को शिरोधार्य करते हुए भारत में भी सन नब्बे के दौर के आर्थिक उदारीकरण के दौरान स्वयं सहायता समूहों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया जिसमें नाबार्ड की प्रमुख भूमिका रही। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 1990 में स्वयं सहायता समूह को वैकल्पिक ऋण प्रवाह मॉडल के रूप में मंजूरी प्रदान की गई। स्वयं सहायता समूहों को जमा और ऋण संपर्क के लिये बैंकों के समूह आधारित ग्राहकों के तौर पर मंज़ूर किया गया। भारत की नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान स्वयं सहायता समूहों को ज़मीनी-स्तर पर विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन में उपयोग में लाया गया। हाशिम समिति (1997) ने भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के गरीबी उन्मूलन और रोज़गार सृजन कार्यक्रमों की समीक्षा की। समिति ने व्यक्तिगत लाभार्थी के बजाय समूह आधारित व्यवसाय विकास के दृष्टिकोण की ओर ध्यान केन्द्रित करने की सिफारिश की। इसके बाद समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम अर्थात् इंटिग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और इससे संबंधित योजनाओं का विलय कर दिया गया और उनकी जगह स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोज़गार योजना का शुभारंभ किया गया।[5] इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को स्वयं सहायता समूह की सहायता से निर्धनता के जाल से बाहर निकालना और उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण की राह पर आगे बढ़ाना।

समय बदल रहा था और स्वयं सहायता समूहों के काम करने के तौर-तरीके भी। नई सहस्त्राब्दी के आते-आते देश में यह महसूस किया गया कि विभिन्न स्वयं सहायता समूह, जो अब तक एक वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं की भूमिका निभा रहे थे, अब एक ऐसे सामान्य हित वाले समूह में बदलने लगे थे जो वित्तीय गतिविधियों के अलावा अन्य सामाजिक तथा तकनीकी मुद्दों में भी अपना योगदान दे रहे थे। राधाकृष्ण समिति (2009) ने स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोज़गार योजना के कामकाज की समीक्षा की और यह सुझाव दिया कि योजना के स्वरूप को थोड़ा सा बदला जाए और उसे 'टॉप-डाउन' गरीबी उन्मूलन के बजाय 'समुदाय प्रबंधित आजीविका' का अमली जामा पहनाया जाए। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राधाकृष्ण समिति की सिफारिशों के अनुरूप स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोज़गार योजना में बदलाव कर दिनांक 3 जून 2011 को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन- नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (एन.आर.एल.एम.) आरंभ किया। कालांतर में एन.आर.एल.एम. के नाम के आगे दीनदयाल अंत्योदय योजना

(डी.ए.वाई.) जोड़ दिया गया। डी.ए.वाई.-एन.आर.एल.एम. को 2011 से ही मिशन के तौर पर लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में संगठित करने के साथ ही उन्हें आर्थिक गतिविधियों के लिये प्रेरित करना और सहायता प्रदान करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की मौजूदा डी.ए.वाई.-एन.आर.एल.एम. योजना में विभिन्न राज्यों में स्वयं सहायता समूह को संस्थागत रूप प्रदान करने के काम में तेजी लाने पर जोर दिया जा रहा डी.ए.वाई.-एन.आर.एल.एम. दरअसल अपनी सहायता खुद ही करने की महत्वपूर्ण मानवीय प्रकृति पर आधारित है। इससे उन वंचितों को मदद मिल रही है जो सामाजिक तौर पर लामबंद छोटे मगर सुसंबद्ध अनौपचारिक स्वयं सहायता समूहों में भागीदार हैं। इस योजना ने आर्थिक तौर पर वंचितों और औपचारिक वित्तीय प्रतिष्ठानों के मज़बूत और संवहनीय संबंध को पहचाना और रेखांकित किया है। इस बहुआयामी योजना के ज़रिए सर्वव्यापी वित्तीय समावेशन के अलावा स्वयं सहायता समूह सदस्यों के आजीविका के मौजूदा विकल्पों के उन्नयन और विस्तार पर तो बल दिया ही जा रहा है, साथ ही सदस्यों को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर सशक्त बनाने के लिये उनमें उद्यमिता की भावना पैदा करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। भारत सरकार ने जुलाई 2022 में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डी.ए.वाई.-एन.आर.एल.एम.) के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए एक नई ब्याज सहायता योजना शुरू की है-[6]

डी.ए.वाई.-एन.आर.एल.एम. प्रोटोकॉल का पालन करने वाली अन्य एजेंसियों द्वारा प्रवर्तित महिला स्वयं सहायता समूह भी सहायता योजना के लिए पात्र हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान, डी.ए.वाई.-एन.आर.एल.एम. के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को दिए गए ऋणों और बकाया राशि की संख्या में क्रमशः 12% और 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 27.12.2023 को प्रकाशित भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति रिपोर्ट में डी.ए.वाई.-एन.आर.एल.एम. के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को प्राप्त ऋणों की संख्या और बकाया क्रेडिट राशि में वर्ष-दर-वर्ष निम्नानुसार वृद्धि होने का उल्लेख किया गया है-

महिला एसएचजी के लिए ब्याज सहायता योजना

ऋण राशि	ब्याज दर	ब्याज सहायता
₹3 लाख तक	7 प्रतिशत	4.5 प्रतिशत
₹3 लाख से ₹5 लाख	निधि-आधारित उधार दर की एक-वर्षीय सीमांत लागत, कोई अन्य बाह्य बेंचमार्क-आधारित उधार दर या 10 प्रतिशत प्रति वर्ष, जो भी कम हो	5 प्रतिशत

स्रोत: आर.बी.आई. भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति 2022-23 (24.12.2023) को प्रकाशित रिपोर्ट)

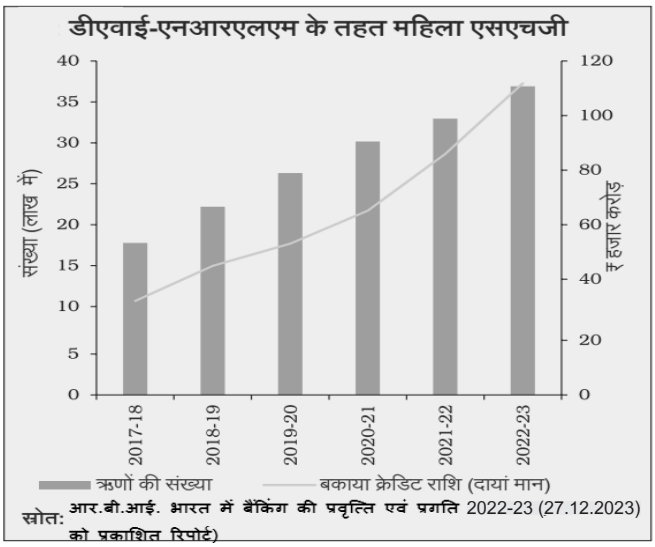

स्रोत: आर.बी.आई. भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति 2022-23 (27.12.2023) को प्रकाशित रिपोर्ट)

स्वयं सहायता समूह और महिला सशक्तिकरण:

देश की तरक्की के लिए पहले हमें भारत की महिलाओं को सशक्त बनाना होगा।

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

महिला सशक्तिकरण को दुनिया के लगभग सभी समाजों में स्त्री-पुरुष भेदभाव को कम करने के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखा है और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के आठवें सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों में एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है। महिला सशक्तीकरण के एक प्रभावी उपकरण के रूप में लाखों महिलाओं को उनकी अपनी पहचान दिलवाने वाले स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण अभियान को एक नई गति प्राप्त हुई है, जिसके कुछ आयाम निम्नानुसार हैं:

1. सामाजिक आयाम:

- स्वयं सहायता समूहों से महिलाओं की सौदा-शक्ति तथा विभिन्न स्तरों पर समस्या समाधान करने की शक्ति में

वृद्धि होने के कारण सामाजिक विकास प्रक्रिया में उनका योगदान उत्तरोत्तर बढ़ता है। देश की सामाजिक पूंजी (कल्चरल कैपिटल) बनकर सशक्त नारियां अपने स्तर से राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रही हैं।

- समूह सदस्यों की सामाजिक सक्रियता का लाभ अनेक स्तरों पर दिखता है। जागरुकता, गतिशीलता और विवेक जैसे अनेक अप्रत्यक्ष प्रभाव इन महिलाओं के व्यक्तित्व में उभरते हैं, जिनका लाभ, उनके परिवारजनों, विशेषकर उनके बच्चों को मिलता है। जागरूक माताएं बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य-पोषण, स्वच्छता आदि का ध्यान रखकर उनके सुरक्षित भविष्य की नींव तैयार करती हैं।
- समूह की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी से महिलाओं की सामाजिक कार्यों के बारे में जागरूकता में वृद्धि होती है जिससे समूह सदस्यों में वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण, जल संग्रहण, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों, अस्पृश्यता, असहाय महिलाओं की सहायता तथा उनके समर्थन के प्रति जागरूकता तथा सक्रिय भूमिका के निर्वाह का आत्मविश्वास पैदा होता है। एक समय में जो महिलाएँ अज्ञानी थीं, समूह से जुड़ने के पश्चात वे अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता तथा परिवार नियोजन के प्रति जागरूक हो गई हैं।
- स्वयं सहायता समूह ने देश की नारी-शक्ति को वह संबल प्रदान किया है जिससे समूह सदस्याएं देश के समक्ष आई किसी भी विपदा से लोहा लेने हेतु सदैव तैयार रहती हैं। ऐसी ही एक विपदा समुदाय-स्तर पर कोविड आपदा से सामना करने की थी जिसमें विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही। समूहों ने कोविड से बचाव के लिए समुदाय को जागरूक तो किया ही साथ ही बड़े पैमाने पर मास्क, पी.पी.ई.किट, सैनिटाइज़र जैसी आवश्यक सामग्रियों का उत्पादन कर जनमानस के लिए सुरक्षा कवच भी तैयार किए।
- किसी भी विकासोन्मुख देश में बदलाव की सबसे महत्वपूर्ण शर्तों में से एक, 'सामाजिक समावेशन' स्वयं सहायता समूह की पहचान होती है। महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यता में विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग व कमजोर वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है जिन्हें सामाजिक मुख्यधारा से जुड़ने हेतु विशेष संरक्षण की आवश्यकता होती है। स्वयं सहायता समूहों ने विभिन्न धर्मों और जातियों के सदस्यों के बीच एक बेहतर समझ का निर्माण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है क्योंकि समूह में विभिन्न समुदायों की महिलाएँ एक समान लक्ष्य से एकत्र होती हैं।

2. वित्तीय आयाम:

- समूहों ने महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करके, बचत एवं निवेश की जानकारी देकर उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। स्वयं सहायता समूहों के प्रयासों के माध्यम से बहुसंख्यक महिलाओं में अपने रोज़गार, धन-प्रबंधन और संसाधन-प्रबंधन से जुड़े वित्तीय निर्णय लेने का विश्वास पैदा होता है। रोज़गार शुरू करने के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त होने से आय अर्जन के अनेक स्त्रोतों के बारे में उनकी जानकारी बढ़ती है। समूह सदस्याएं अपने घर की कमाऊ सदस्य बन जाती हैं जिससे उनके परिवार में पीढ़ी-दर-पीढ़ी चला आ रहा गरीबी का कुचक्र टूटता है और उनका जीवन का स्तर सुधरता है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के मामले भी कम होते हैं और परिवार में उनकी स्थिति में सुधार होता है।
- समूहों से प्राप्त लघु ऋणों से महिलाओं को महाजनी व्यवस्था से काफी हद तक छुटकारा पाने में सहायता मिली है। भारत में अधिकाँश स्वयं सहायता समूह महिलाओं द्वारा स्थापित किए गए हैं। समूह शक्ति और सरकारी प्रोत्साहन के कारण बैंको से ऋण मिलने में आसानी होती है तथा शासकीय योजनाओं का लाभ भी प्राप्त करने की क्षमता विकसित होती है।
- समूह की सदस्यों को सशक्त बनाने के संदर्भ में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका वित्तप्रदाता और एक प्रेरक दोनों की ही रहती है। समूह की महिलायें घर से निकलकर बैंक तक पहुँची हैं, बचत करना सीख गई हैं और पहले से अधिक जागरूक हुई हैं। समूह की महिलाओं में ऋण लेने की प्रकृति भी उपयोग के स्थान पर आय अर्जित करने के

उद्देश्य में परिवर्तित होने लगती है। बैंक द्वारा समूहों को प्रदत्त ऋण के नियमित पुनर्भुगतान करने से महिलाओं में "वित्तीय अनुशासन" आता है। यही कारण है की समूहों के बैंक ऋण खातों में भुगतान दर 95% के आसपास है तथा एन.पी.ए. खातों का प्रतिशत लगभग नगण्य है।

3. मनोवैज्ञानिक आयाम:

- विभिन्न समूहों की महिलाएं महसूस करती हैं कि समूह से जुड़ने के बाद से वे अधिक निर्भीक और मुखर हुई हैं। उनकी झिझक दूर हुई है तथा वे घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर समाज के बीच अपनी बात खुलकर रख पाती हैं। उनके सामाजिक क्षितिज का विस्तार हुआ है तथा उनका दायरा बढ़ा है। दुःख-सुख को बाँटने वाले मित्रों और सहयोगियों की संख्या बढ़ी है तथा वे अपने समाज में अधिक लोकप्रिय और सामाजिक दृष्टि से अधिक सक्रिय हुई हैं और इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है स्वयं सहायता समूह के मंच से।
- सदस्यों को समूह में कार्य करने से अपने मानव अधिकारों का ज्ञान होता है जिससे उनके व्यक्तित्व में बदलाव आता है। समूह की महिलाओं में सहयोग, विश्वास तथा आत्मनिर्भरता का विकास होता है और उनके आत्मबल में वृद्धि होती है। महिलाओं में उद्यमशीलता, प्रबंधकीय गुण, नेतृत्व क्षमता स्वयं निर्णय लेने की शक्ति इत्यादि का विकास होता है।

4. कौशल विकास से जुड़े आयाम:

- स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं में रोजगारोन्मुख कौशल अर्जन तथा विभिन्न उत्पादक गतिविधियों में शामिल होने की क्षमता विकसित होती है। हमारे देश में महिलाएं प्रायः सिलाई, पापड़, अचार बनाने जैसे कार्य करती रही हैं किन्तु इन्ही कार्यों को समूहों के माध्यम से वाणिज्यिक आधार पर किया जाने लगा है। समूहों को विभिन्न संगठनों द्वारा कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता है जिससे वे अपना उत्पादन और बढ़ा सकें।
- महिला स्वयं सहायता समूह विभिन्न क्षेत्रीय कलाओं के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। प्रशिक्षण एवं विपणन जैसे सहयोग से जहाँ अनेक लुप्त-प्राय: हस्तकलाओं को एक नई जान मिली है तो वहीं उनके हस्त-शिल्पकारों को सतत आय के अवसर प्राप्त हुए हैं।
- समूह की गतिविधियों द्वारा मूल्यवर्द्धक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा है जिससे रचनात्मक उद्योगों (क्रिएटिव इंडस्ट्रीज) को प्रोत्साहन मिल रहा है। समूह से जुड़ी महिलायें स्मार्ट तकनीकों को अपना कर नवोन्मेषी पद्धितियों को सीख रही हैं और स्मार्ट उद्यमी बन रही हैं।

महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़े सरकारी प्रयास:

हमारे देश में महिला विकास और उससे जुड़ी विभिन्न योजनाओं को सदा ही प्राथमिकता दी जाती रही है। दिनांक 12.08.2021 को 'आत्मनिर्भर नारीशक्ति से संवाद' कार्यक्रम में महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा था कि *"स्वयं सहायता समूहों ने देश में एक नए आंदोलन का सूत्रपात किया है। कोरोना काल में जिस प्रकार से हमारी बहनों ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से देशवासियों की सेवा की वो अभूतपूर्व है। मास्क और सेनेटाइज़र बनाना हो, ज़रूरतमंदों तक खाना पहुंचाना हो, जागरूकता का काम हो, हर प्रकार से आपकी सखी समूहों का योगदान अतुलनीय रहा है"*। महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने और गरीब ग्रामीण परिवारों को स्वयं-सहायता समूहों से जोड़ते हुए, उनकी आजीविका के लिए और जीवन स्तर में सुधार के उद्देश्य से प्रारंभ किये गए दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डी.ए.वाई.-एन.आर.एल.एम.) में विश्व बैंक ने भी निवेश किया है। इस मिशन की कई पहलों को कार्यान्वित किया जा रहा है जिससे समूहों से जुड़ी महिलाएं प्रशिक्षित होकर अपने समुदाय की अगुआ बन गई हैं, जैसे कृषि सखी, पशु सखी, बीमा सखी, आदि। दूर दराज के क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिये स्वयं सहायता समूह के सदस्य को बैंक सखी के रूप में नियुक्त किया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 50,000 महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में बी.सी. (बिज़नेस करेसपाँडेंट) सखी के रूप में राष्ट्र को समर्पित किया गया है और इस पहल को "वन जी.पी. वन बी.सी. सखी" अभियान का नाम दिया गया है।

लखपति दीदी योजना:

नौ करोड़ महिलाओं के तिरासी लाख स्व-सहायता समूह सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता से ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में बदलाव ला रहे हैं। इनकी सफलता से अब तक लगभग एक करोड महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। वे अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं। उन्हें सम्मानित करके उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान की जाएगी। इस सफलता से उत्साहित होकर लखपति दीदी का लक्ष्य दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ करने का निर्णय लिया गया है।

-दिनांक 01.02.2024 को वित्त मंत्री द्वारा दिए गए अंतरिम बजट के अंश।

लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर कहा था कि भारत सरकार गांवों में 2 करोड़ 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य लेकर महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के साथ काम कर रही है।[7] 'लखपति दीदी' योजना गरीबी उन्मूलन और आर्थिक सशक्तीकरण के व्यापक मिशन के अनुरूप है जिसमें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने की पहल की गई है। योजना के तहत सरकार पात्र महिलाओं को स्वरोज़गार शुरू करने के लिए एक लाख से पांच लाख रुपये तक की ब्याज-मुक्त आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिससे गरीब परिवारों की महिलाओं को आर्थिक स्वावलम्बन के अवसर मिल सकें। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना एक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इस योजना के माध्यम से देश की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उनकी आय अर्जित करने की क्षमता में विस्तार किया जाता है। यह योजना ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और अधिकारों तक उनकी पहुँच बढ़ाने के लिए सामाजिक लामबंदी, वित्तीय समावेशन, सतत आजीविका और सामाजिक विकास पर केंद्रित है। योजना के तहत महिलाओं को उभरते उद्यमों की मांगों के अनुरूप कई व्यवहारिक क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण देने और उनकी वित्तीय समझ बढ़ाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। कौशल प्रशिक्षण के अंतर्गत महिलाओं को LED बल्ब बनाने, प्लंबिंग (Plumbing) समेत अन्य उद्यमों में निपुण बनाया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण कृषि परिदृश्य को बदलने के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना भी इस योजना का एक अहम हिस्सा है। योजना के तहत लगभग 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन के संचालन और मरम्मत का प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है जिससे महिलाओं को अत्याधुनिक कौशल के साथ-साथ आय सृजन के नए अवसर भी प्राप्त होंगे।

निष्कर्ष: भारत जैसे देश में, जहाँ महिलाएँ पीढ़ियों से भेदभाव का शिकार होती रही हैं- लाखों गरीब महिलाओं को संबल प्रदान करने वाला, उन्हें स्वावलंबी बनाने वाला और उनके विकास में अहम भूमिका निभाने वाला स्वयं सहायता समूह आंदोलन एक मौन क्रांति की तरह है। स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन कर आत्मनिर्भरता की दिशा की ओर उन्मुख किया है। अपनी विभिन्न गतिविधियों द्वारा स्वयं सहायता समूह न केवल महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं अपितु समाज में सकारात्मक व रचनात्मक वातावरण को विकसित करने में भी सहायक हो रहे हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं ने अपनी सामूहिक शक्ति को पहचाना है और एक सफल उद्यमी के रूप में देश-विदेश में अपना परचम लहराया है।

स्रोत::

1 https://www.indiabudget.gov.in/indexhindi.php
2 https://www.nextias.com/blog/self-help-groups-shgs/
3 https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/file EconomicSurvey2023Q44O.pdf)
4 https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2006/grameen/facts/
5 https://www.drishtiias.com/pdf/self-help-groups-shgs.pdf
6 https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12360&Mode=0https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/trend.aspx
7 https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1948890

गूगल से रि-डाएरेक्टेड अन्य वेबसाईट्स

भारतीय अर्थव्यवस्था: दुर्बल पाँच से सबलता की यात्रा

- कुणाल प्रियदर्शी

वित्तीय बाजारों की अनिश्चितताओं के कारण बढ़ी वैश्विक मंदी के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी रही। आशा की किरण यह है कि अर्थव्यवस्था ने कई बाहरी विपरीत परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना किया, साथ ही महामारी की पीड़ा से उबरने में आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की स्थिरता देखी गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी दूसरे अग्रिम अनुमान (सएई) के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 2023-24 में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ की है, जो 2022-23 के वृद्धि दर 7.0 प्रतिशत से ज्यादा है (चार्ट 1)। इसका मतलब है कि कोरोना-19 महामारी के पश्चात भारत लगातार तीन वित्तीय वर्षों तक 7.0 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर रखने में कामयाब हुआ है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के विश्व आर्थिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) अप्रैल 2024 अंक के अनुसार, भारत को 2027 तक जापान और जर्मनी से आगे बढ़ने की उम्मीद है जिसके बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा.[1] यह भारतवर्ष के लिए एक गौरव की अनुभूति होगी।

सहायक महाप्रबंधक, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

चार्ट 1: वृद्धि दर

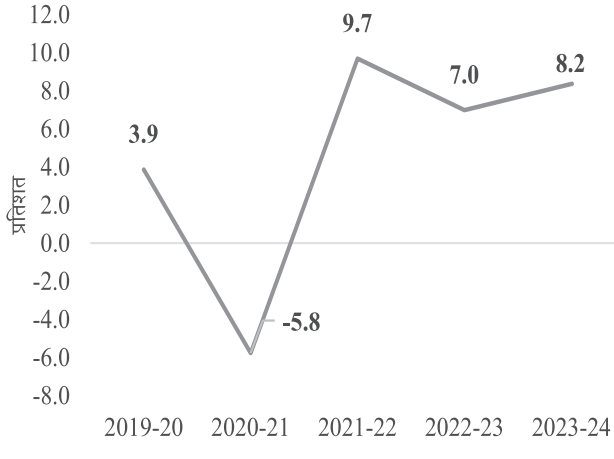

स्रोत: एनएसओ।

भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति

इस 8.2 प्रतिशत की वृद्धि को सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीफसीफ) में मजबूत प्रदर्शन, पूंजीगत व्यय पर सरकार के जोर और आवासीय आवास क्षेत्र में बढ़ती मांग के कारण मदद मिली है (सारणी 1)। यह निकटतम संकेतकों - इस्पात की ख़पत और सीमेंट उत्पादन - में भी परिलक्षित हुआ, जिन्होंने 2023-24 में दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज की है। निजी ख़पत - कुल मांग का मुख्य आधार, मुख्य रूप से कमजोर ग्रामीण मांग की स्थिति के कारण मातहत रहा। इसका कारण 2023-24 में कम फसल उत्पादन था, क्योंकि दक्षिण-पश्चिम मानसून लंबी अवधि के औसत (एलपीए) से 6 प्रतिशत नीचे था। केंद्र सरकार के राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के कारण सरकारी अंतिम उपभोग व्यय में धीमी वृद्धि हुई। वैश्विक मांग की स्थिति में गिरावट के कारण निर्यात वृद्धि में गिरावट आई।

[1] (भारत के लिए, डेटा वित्तीय वर्ष 2027-28 से संबंधित है)।

सारणी 1: वास्तविक जीडीपी संवृद्धि (प्रतिशत)

		2021-22	2022-23	2023-24
I.	**कुल उपभोग व्यय**	**9.8**	**7.1**	**3.0**
	निजी	11.7	6.8	3.0
	सरकार	0.0	9.0	3.0
II.	**सकल पूंजी निर्माण**	**25.4**	**2.0**	**9.4**
	सकल स्थिर पूंजी निर्माण	17.5	6.6	9.0
	शेयरों में बदलाव	525.4	14.5	5.9
	क़ीमती	32.5	-19.1	21.2
III.	**निवल निर्यात**			
	निर्यात	29.6	13.4	2.6
	आयात	22.1	10.6	10.9
IV.	**जीडीपी**	**9.7**	**7.0**	**8.2**

स्रोत: एनएसओ।

आपूर्ति पक्ष से, बुनियादी कीमतों पर जोड़े गए वास्तविक सकल मूल्य (**जीवीए)** में 2022-23 में 7.2 प्रतिशत की तुलना में 2023-24 में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (सारणी 2)। विकास को औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों द्वारा प्रेरित किया गया जबकि कृषि विकास में कमी आई। 2023-24 में विनिर्माण और निर्माण में आशा की किरण का प्रदर्शन था।

2024-25 के लिए विकास दृष्टिकोण

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के फरवरी 2024 के संकल्प के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था में 2024-25 में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है। यह वृद्धि निवेश मांग में तेजी, आशावादी व्यापारिक भावनाओं और बढ़ते उपभोक्ता विश्वास के कारण होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार 1 जनवरी, 2024 से पांच साल की अवधि के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी। आगे चलकर ग्रामीण उपभोग को बढ़ावा मिलेगा। कॉरपोरेट्स और वित्तीय संस्थानों की मजबूत बैलेंस शीट अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है।

चुनौतियाँ और अवसर

- **वैश्विक आर्थिक स्थितियाँ**: भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास पथ में मुख्य चुनौती मुख्य रूप से बाहरी क्षेत्र से उत्पन्न होती है। वैश्विक मांग की बदलती स्थितियों के बीच निर्यात वृद्धि धीमी बनी हुई है। इसके अलावा, भू-राजनीतिक तनाव के बार-बार बढ़ने से भू-आर्थिक

सारणी 2: वास्तविक जीवीए संवृद्धि (प्रतिशत)

		2021-22	2022-23	2023-24
I.	**कृषि, वानिकी और मछली पकड़ना**	**4.6**	**4.7**	**1.4**
II.	**उद्योग**	**9.6**	**-0.6**	**9.3**
	खनन और उत्खनन	6.3	1.9	7.1
	विनिर्माण	10.0	-2.2	9.9
	बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपादेयता सेवाएँ	10.3	9.4	7.5
III.	**सेवाएँ**	**10.6**	**9.9**	**7.9**
	निर्माण	19.9	9.4	9.9
	व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएँ	15.2	12.0	6.4
	वित्तीय, रियल इस्टेट और पेशेवर सेवाएँ	5.7	9.1	8.4
	लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएँ	7.5	8.9	7.8
IV.	**आधार कीमतों पर जीवीए**	**9.4**	**6.7**	**7.2**

स्रोत: एनएसओ।

विखंडन हो रहा है, जिससे मौजूदा आपूर्ति श्रृंखलाओं के बाधित होने का खतरा मंडरा रहा है। इससे वैश्विक व्यापार में और गिरावट आ सकती है जो मंदी के बाहर पिछले 50 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर है (विश्व बैंक, 2024)। वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं की मित्रता और पुनर्स्थापना से दक्षता कम हो सकती है, जिससे विकास की संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त, कमोडिटी की कीमतों, विशेष रूप से कच्चे तेल की कीमतों में कोई भी अनुचित अस्थिरता, भारत के विकास और बाहरी क्षेत्र के लचीलेपन के लिए चुनौतियां पैदा कर सकती है।

- **मुद्रास्फीति:** विकास की गति को बनाए रखने के लिए एक और प्रमुख चुनौती मुद्रास्फीति को कम करके इसे टिकाऊ आधार पर लक्ष्य के अनुरूप बनाना है। खाद्य कीमतों में तेज वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति के दबाव में वृद्धि ने निजी खपत को प्रभावित किया है, जो ग्रामीण घटकों के लिए अधिक स्पष्ट है। मध्यम अवधि में उच्च मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति की उम्मीदों को असंतुलित कर सकती है, और इससे हाल के महीनों में देखी गई निजी निवेश में तेजी पर असर पड़ सकता है। इसलिए, विकास को समावेशी और निरंतर बनाए रखने के लिए मुद्रास्फीति को उसके लक्ष्य के अनुरूप टिकाऊ रूप से संरेखित करना होगा (आरबीआई, 2024)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारत सरकार ने मुद्रास्फीति कम करने के क्षेत्र में ठोस कदम उठाये हैं। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने रेपो दर को मई 2022 से 250 बेसिस अंक से बढ़ाया है जिससे मुद्रास्फीति को 2-6 प्रतिशत की सहिष्णुता सीमा के भीतर लाया जा सका है। भारत सरकार ने खुले बाजार में बिक्री योजना के माध्यम से कुछ वस्तुओं को उतारकर और कुछ वस्तुओं पर निर्यात को प्रतिबंधित करके खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आपूर्ति पक्ष के मुद्दों का प्रबंधन करने की कोशिश की है। इसके अलावा, 8 मार्च 2024 को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 300 रुपये की कटौती की गई थी।
- **विनिर्माण:** मध्यम और दीर्घावधि में भारत की वृद्धि को बनाए रखने के लिए विनिर्माण पर जोर दिया गया है। हालाँकि, पिछले डेढ़ दशकों में विनिर्माण की हिस्सेदारी में मामूली बदलाव नहीं आया है। भारत को विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और अपनी विश्व हिस्सेदारी हासिल करके विकास के इंजन के रूप में निर्यात को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने मार्च 2020 में उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की। श्रम, भूमि और उत्पाद बाजारों में संरचनात्मक कठोरता के कारण जिसने इसे वैश्विक बाजारों में कम प्रतिस्पर्धी बना दिया है (आरबीआई, 2020)। नीतिगत सुधारों, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण पर निवेश और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करके विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जाना चाहिए।
- **जनसांख्यिकीय लाभांश:** भारत ने 2018 में जनसांख्यिकीय लाभांश की अवधि में प्रवेश किया, जो 2055 तक चलने की उम्मीद है। मुख्य चिंता इस चरण के दौरान इस लाभांश को प्राप्त करना है जहां भारत के पास युवा लेकिन कम कुशल कार्यबल है। महामारी ने आबादी के बड़े हिस्से के लिए सीखने के परिणामों को भी खराब कर दिया है, जिसे अतिरिक्त नीतिगत जोर देने की जरूरत है। ज्ञान-उन्मुख क्षेत्रों में विकास के अवसरों का दोहन करने के लिए कार्यबल के इस बड़े समूह को सफलतापूर्वक संलग्न करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है (बेहेरा एट अल, 2023)।
- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से निरंतर विकास के लिए नौकरियों, आय, क्षमताओं और पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है। इसलिए, एमएसएमई के लिए वित्तीय पहुंच बढ़ाने पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था निवेशकों को आकर्षित करना जारी रखती है क्योंकि प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान जीवन, शासन और उद्यम संचालन को बदल देते हैं। भौतिक और डिजिटल दोनों तरह के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में निरंतर निवेश, आर्थिक गतिविधि पर उनके सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए, गति को बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रयासों की आवश्यकता है।

- **वित्तीय स्थिरता:** उम्मीद है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व पिछले चार दशकों में अपने सबसे तीव्र सख्ती के चक्र को 2024 में समाप्त कर देगा क्योंकि मुद्रास्फीति का मार्ग धीरे-धीरे कम हो रहा है। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल ने कहा है कि उन्हें 2024 में फेडरल फंड दर में तीन कटौती की उम्मीद है। बाजार की उम्मीदों से नीति पथ में कोई भी विचलन अतिरिक्त अस्थिरता को बढ़ावा दे सकता है जो उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) की वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।

- **सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग:** हाल की अवधि में मजबूत वृद्धि हासिल करने के बावजूद, भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को बाहरी एजेंसियों से अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इसका प्राथमिक कारण भारत के प्रतिस्पर्धियों की तुलना में जीडीपी अनुपात में अधिक ऋण (बजट अनुमान के अनुसार 2023-24 के लिए 81.6 प्रतिशत) को माना जाता है। तथ्य यह है कि भारत की ऋण हिस्सेदारी मुख्य रूप से घरेलू है (लगभग 97 प्रतिशत) और डिफ़ॉल्ट का कोई उदाहरण नहीं है, इसे भी नजरअंदाज कर दिया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए ऋण को जीडीपी अनुपात में धीरे-धीरे 60 प्रतिशत - 40 प्रतिशत और 20 प्रतिशत के करीब लाने की आवश्यकता होगी। साथ ही, टिकाऊ परिसंपत्तियां बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए जो मध्यम अवधि में विकास को बढ़ा सकती हैं। नवीनतम अंतरिम बजट में केंद्र सरकार राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की दिशा में अपनी राह पर कायम है। 2023-24 आरई के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.6 प्रतिशत है, जो सकल घरेलू उत्पाद के 5.9 प्रतिशत के बजट अनुमान से थोड़ा अधिक है। 2024-25 के लिए, अंतरिम बजट में सकल घरेलू उत्पाद के 5.1 प्रतिशत पर कम राजकोषीय घाटे का बजट रखा गया है, जो 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत से नीचे तक पहुंचाने के राजकोषीय समेकन के व्यापक मार्ग के अनुरूप है।

निष्कर्ष

इसलिए, मध्यम अवधि में भारत के नीति निर्माताओं को बदलती वैश्विक और घरेलू स्थिति पर प्रतिक्रिया देने के लिए अपने दृष्टिकोण में चुस्त और गतिशील होने की आवश्यकता है। उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे का निर्माण, जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने से भारत को दुनिया में अपना उचित दर्जा हासिल करने में मदद मिलेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था आज एक मोड़ पर खड़ी है, जहां अगले दशक में भारत को दुनिया भर की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में अपना सही स्थान मिलेगा। पिछले दशक में भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में पांच कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक से एक मधुर स्थान के रूप में उभरने में तेजी से बदलाव किया है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चलाकर अपनी क्षमता दिखाई है। भारत ने पिछले वर्ष सफलतापूर्वक G20 का नेतृत्व संभाला है और वैश्विक पटल पर दक्षिण देशों की सबसे मजबूत आवाज के रूप में उभरा है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश की कई सराहनीय उपलब्धियाँ हैं। जुड़वां बैलेंस शीट सिंड्रोम जहां कॉरपोरेट्स का लाभ उठाया गया था, और बैंकों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों से परेशान होना पडा था, उसे जुड़वां बैलेंस शीट लाभ में बदल दिया गया है। कुशल नीति निर्धारण के साथ, अर्थव्यवस्था की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए संरचनात्मक सुधार करके संकट को एक अवसर में बदल दिया गया। भविष्य में निरंतर विकास सुनिश्चित करने की कुंजी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अधिक हिस्सेदारी, कार्यबल के कौशल सेट को बढ़ाना और बाहरी स्पिलओवर का प्रबंधन करना होगा। केंद्र ने 2024-25 के लिए ₹11.1 लाख करोड़ के नए उच्च स्तर के पूंजीगत परिव्यय का बजट रखा है, जो संशोधित अनुमान के अनुसार 2023-24 के लिए ₹9.5 लाख करोड़ के परिव्यय की तुलना में 16.9 प्रतिशत (उम्मीद से अधिक) की वृद्धि है। नया परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत (2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत) बढ़ा दिया गया है। यह बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की निरंतर मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 2024-25 के लिए केंद्र सरकार उम्मीद से कम बाजार उधार लेगी। इससे निजी क्षेत्र के लिए संसाधन मुक्त हो जाएंगे जो पूंजी व्यय चक्र शुरू करने में मदद कर सकते हैं।

भारत के प्राचीन ज्ञान के अनुसार, यह जरूरी है कि भारत द्वारा चुना गया रास्ता जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखे ताकि नकारात्मक बाह्यताओं पर अंकुश लगाया जा सके। इसके अलावा, प्रगति की दिशा में अपना रास्ता बनाते समय, हमें महात्मा गांधी के तावीज़ (तलिस्मान) को याद रखना चाहिए कि हमें अपने सबसे गरीब और कमजोर नागरिकों को सशक्त बनाना चाहिए। सदियों के बाद भारत महान राष्ट्रों के समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने जा रहा है।

भारत में फिनटेक – वर्तमान और भविष्य

- डॉ. घनश्याम शर्मा

बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाने में सदैव अग्रणी रही हैं। जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी उन्नत होती रही है, उसको अपना कर अपने आधुनिकीकरण में वे कभी पीछे नहीं रहीं। अपनी सेवाओं और उत्पादों की डिलीवरी के लिए बैंक पहले डेबिट /क्रेडिट कार्ड, एटीएम, नेट बैंकिंग और फिर मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाएं लेकर आए। प्रौद्योगिकी का यह अंगीकरण कालांतर में गहनतर होता गया और डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत हुई। किन्तु जो प्रौद्योगिकी अपने पारंपरिक रूप में हमेशा से येन-केन प्रकारेण बैंकों के सहायक और सहयोगी की भूमिका में प्रयुक्त होने वाले नवाचारों, सहज उपलब्ध निधीयन और स्केलिंग की अपनी अंतर्निहित क्षमता के कारण वही प्रौद्योगिकी सहयोगी की भूमिका से आगे बढ़ने लगी। यहीं से वित्तीय प्रौद्योगिकी अर्थात 'फिनटेक' का उदय होता है।

फिनटेक का वर्तमान परिदृश्य:

जब प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनिया बैंकिंग और वित्त के दायरे में आने वाली सेवाएं प्रदान करने लगीं और ग्राहक सुविधा और कारोबारी दक्षता को फिर से परिभाषित करने लगीं तो बैकों को अपने कारोबारी मॉडल पर पुनर्विचार करने पर मजबूर होना पड़ा। बैंकों के सहयोगी की भूमिका निभाने वाली प्रौद्योगिकी ने दिखाया कि उत्पाद केंद्रित कारोबारी मॉडल की तुलना में सेवा अनुभव केंद्रित कारोबारी मॉडल तेजी से आगे निकल सकता है। यह कम लागत, ग्राहक के समय की बचत के साथ उनकी आवश्यकता को पहचानने और तदनुसार विनिर्मित उत्पादों को उन तक पहुंचाने में सफल हो रहा था। मोबाइल क्रांति से बैंकिंग अनुभव का परिदृश्य तेजी से बदलने लगा। इसी बीच कोविड-19 महामारी ने डिजिटलीकरण को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया। आज भारत में अधिकांश बैंक डिजिटल बैंकिंग की तरफ रुख कर चुके हैं। प्रौद्योगिकीय नवाचार में वह फिनटेक की बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन प्रौद्योगिकी को अंगीकृत कर डिजिटलीकृत बैंक अवश्य बन सकते हैं।

प्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, बेंगलुरु

फिनटेक के प्रमुख कारोबार क्षेत्र इस प्रकार हैं

- **भुगतान और प्रेषण:** इस खंड में अत्यधिक वृद्धि देखी गई है, जिसका मुख्य कारण यूपीआई प्लेटफॉर्म है, जिसने लाखों उपयोगकर्ताओं के लिए लेनदेन को सरल बना दिया है।
- **उधार या ऋण :** डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफ़ॉर्म बढ़ रहे हैं, जो त्वरित अनुमोदन समय और न्यूनतम कागजी कार्रवाई के साथ व्यक्तिगत और व्यावसायिक ऋण प्रदान करते हैं।
- **इंश्योरटेक**: बीमा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी-संचालित प्लेटफ़ॉर्म पैठ बना रहे हैं और अनुकूलित और सुलभ बीमा उत्पाद पेश कर रहे हैं।
- **वेल्थटेक:** निवेश और धन प्रबंधन पर केंद्रित फिनटेक स्टार्ट-अप तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, जो स्टॉक ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड और वित्तीय आयोजना के लिए लिखत प्रदान करते हैं।
- **रेगटेक:** कंपनियों को भारत के जटिल वित्तीय नियमों का कुशलतापूर्वक अनुपालन करने में मदद करने के लिए विनियामकीय प्रौद्योगिकी समाधान अपनाए जा रहे हैं।

डिजिटल बैंक तथा फिनटेक:

फिनटेक या फिनटेक बैंक; यथा नियो बैंक, चैलेंजर बैंक, ओपन बैंक; जहां नई प्रौद्योगिकी (ब्लॉकचेन, बिग डाटा, क्लाउड,

एआई, आभासी वास्तविकता आदि) का प्रयोग करते हैं, पारंपरिक बैंक पुरानी प्रक्रियाओं और साधनों का प्रयोग करते हुए उसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। इसलिए फिनटेक कंपनियाँ नवोन्मेष के द्वारा अपनी रफ्तार बनाए रखती हैं जबकि पारंपरिक बैंक नवोन्मेष और प्रौद्योगिकीय उन्नति में पीछे रह जाते हैं। पारंपरिक बैंकों की डिजिटल बैंकिंग जहां डिजिटल चैनलों के माध्यम से पारंपरिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है, फिनटेक वित्तीय प्रौद्योगिकी नवाचार के व्यापक स्पेक्ट्रम को शामिल करता है और पारंपरिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के डिलिवरी चैनल की प्रभावशीलता, समय की बचत, सेवाओं की कम लागत तथा बेहतर ग्राहक अनुभव पर फोकस करता है।

फिनटेक संस्थाओं द्वारा लाई गई नवीन प्रौद्योगिकियां लागत कम करने, उत्पादों और सेवाओं पर फिर से ध्यान केंद्रित करने और ग्राहक पहुंच और अनुभव में सुधार करने में मदद कर रही हैं। फिनटेक क्षेत्र अधिक वित्तीय समावेशन, लागत और समय दक्षता के उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्तमान में बाज़ार में कुछ प्रमुख फिनटेक उत्पाद और सेवाएं पीयर टू पीयर (पी2पी) या अन्य डिजिटल लेंडिंग प्लेटफ़ॉर्म, क्राउड फंडिंग, बिग डेटा, रोबो सलाहकार, ई-एग्रीगेटर आदि हैं। ये फिनटेक उत्पाद किसी नोडल मध्यस्थ एजेंसी के साथ या उसके बिना ही ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं, इच्छुकों और सूचना प्रदाताओं को एक साथ ला रहे हैं। फिनटेक कंपनियाँ ऋण, भुगतान प्रणाली, धन प्रबंधन, निवेश सलाह, बीमा, वित्तीय समावेशन और यहां तक कि वित्तीय क्षेत्र पर्यवेक्षण सहित विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं में बदलाव कर रही हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक और फिनटेक नवाचार:

फिनटेक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने कई कदम उठाए हैं। फिनटेक नवाचारों के बढ़ते महत्व और वित्तीय क्षेत्र के साथ संस्थाओं के साथ उनकी बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद - उप समिति (एफएसडीसी-एससी) ने फिनटेक के विस्तृत पहलू और इसके निहितार्थ पर गौर करने और रिपोर्ट करने के लिए एक कार्यकारी समूह का गठन किया। 2016 में आरबीआई ने अकाउंट एग्रीगेटर्स (एए) के लिए दिशानिर्देश जारी किए, और 2017 में पीयर-टू-पीयर (पी2पी) ऋण देने के लिए नियम स्थापित किए। अगस्त 2019 में, रिज़र्व बैंक द्वारा नियामक सैंडबॉक्स ढांचा जारी किया गया। इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना था। एक से अधिक वित्तीय नियामकों के नियामक दायरे में आने वाले हाइब्रिड उत्पादों/सेवाओं के परीक्षण की सुविधा के लिए एक इंटरऑपरेबल रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स भी स्थापित किया गया है।

भारत में फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र के विनियमित और व्यवस्थित विकास को सक्षम करने के लिए अगस्त 2019 में रिजर्व बैंक उन कुछ देशों में शामिल हो गया, जिनके पास अपना विनियामकीय सैंडबॉक्स पारिस्थितिकी तंत्र है। सैंडबॉक्स के भीतर, पात्र संस्थाएं एक नियंत्रित वातावरण में अपने अभिनव उत्पादों या सेवाओं का परीक्षण कर सकती हैं। नवंबर 2021 में, रिज़र्व बैंक ने 'स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स' थीम के साथ अपना पहला वैश्विक हैकथॉन - "हार्बिंगर" लॉन्च किया। इस उभरते क्षेत्र को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए, इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने जनवरी 2022 को एक फिनटेक विभाग की स्थापना की।

सतत तरीके से नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए, संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से इसका पोषण करना आवश्यक है। तदनुसार मौद्रिक नीति वक्तव्य 06 अगस्त 2020 में की गई घोषणा के अनुसार रिज़र्व बैंक ने रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) की स्थापना की है जिसका पंजीकृत कार्यालय बेंगलुरु में है। आरबीआईएच वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं, प्रौद्योगिकी, औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थाओं के साथ तालमेल बनाएगा और वित्तीय नवोन्मेषों से संबंधित विचारों के आदान-प्रदान और प्रोटोटाइप विकास के प्रयासों के लिए समन्वय करेगा। यह एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में प्रयास करेगा जो वित्तीय सेवाओं और उत्पादों तक पहुंच को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा और वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाएगा। यह फिनटेक अनुसंधान को बढ़ावा देने और नवोन्मेषकों तथा स्टार्ट-अप के साथ जुड़ाव को सुगम बनाने के लिए आवश्यक आंतरिक बुनियादी ढांचे को भी विकसित करेगा।

भारत में 'डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना' तथा फिनटेक

डिजिटलीकरण में तेजी से प्रगति के साथ, भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) अवधारणा को अपनाया है जो बैंकों, एनबीएफसी, फिनटेक कंपनियों और स्टार्ट-अप को भुगतान, ऋण और अन्य वित्तीय गतिविधियों के लिए नवोन्मेषी समाधान बनाने और प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करता है। डिजिटल ऋण संवितरण के लिए, साख मूल्यांकन हेतु आवश्यक डेटा केंद्र और राज्य सरकारों, अकाउंट एग्रीगेटरों, बैंकों, साख सूचना कंपनियों, डिजिटल पहचान प्राधिकरणों आदि जैसी विभिन्न संस्थाओं के पास उपलब्ध है। तथापि, ये अलग-अलग प्रणालियों में हैं, जिससे समय पर और बाधा रहित (friction-less) नियम आधारित ऋण संवितरण में बाधा उत्पन्न होती है। सार्वजनिक तकनीकी मंच, ऋणदाताओं को आवश्यक डिजिटल जानकारी के निर्बाध प्रवाह की सुविधा प्रदान करके घर्षण रहित ऋण संवितरण में सक्षम बनाएगा। एंड-टू-एंड डिजिटल मंच में एक ओपन आर्किटेक्चर, ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) और मानक होंगे, जिससे सभी वित्तीय क्षेत्र के सहभागी 'प्लग एंड प्ले' मॉडल में निर्बाध रूप से जुड़ सकते हैं।

इस मंच को सूचना प्रदाताओं तक पहुंच और उपयोग के मामलों दोनों के संदर्भ में सुविचारित रूप में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू करने का प्रस्ताव है। यह लागत में कमी, त्वरित संवितरण और मापनीयता के मामले में ऋण देने की प्रक्रिया में दक्षता लाएगा। प्रायोगिक परियोजना के दौरान, यह मंच, प्रति उधारकर्ता 1.6 लाख रुपये तक की किसान क्रेडिट कार्ड ऋण, डेयरी ऋण, एमएसएमई ऋण (संपार्श्विक के बिना), व्यक्तिगत ऋण और सहभागी बैंकों के माध्यम से गृह ऋण जैसे उत्पादों पर केंद्रित रहेगा। यह मंच, आधार ई-केवाईसी, शामिल राज्य सरकारों (मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र) के भूमि रिकॉर्ड, सैटेलाइट डेटा, पैन सत्यापन, लिप्यंतरण, आधार ई-हस्ताक्षर, अकाउंट एग्रीगेटरों (एए) द्वारा खाता एकत्रीकरण, चुनिंदा डेयरी सहकारी समितियों से दूध विक्रय संबंधी डेटा, घर/संपत्ति खोज डेटा आदि जैसी सेवाओं के साथ संबद्धता को सक्षम करेगा।

अभी 12 फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री रानिल विक्रमसिंघे के साथ संयुक्त रूप से श्रीलंका और मॉरीशस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) सेवाओं और मॉरीशस में रुपे कार्ड सेवाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री का निम्नलिखित कथन[1] उल्लेखनीय है-

> *फिनटेक कनेक्टिविटी सीमा पार लेनदेन और संबंधों को पहले से और मजबूत करेगी। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे ने भारत में एक क्रांति की है, जहां दूरदराज के गांवों में सबसे छोटे विक्रेता यूपीआई के माध्यम से लेनदेन और डिजिटल भुगतान कर रहे हैं। पिछले साल यूपीआई के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपये के 100 अरब से अधिक लेनदेन हुए। बैंक खातों, आधार और मोबाइल फोन की JAM Trinity के माध्यम से अंतिम छोर तक संवितरण हो रहा है, जहां 34 लाख करोड़ रुपये लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किए गए हैं।*

वर्ष 2009 में वैश्विक स्तर पर फिनटेक में निवेश 2 बिलियन अमेरिकी डालर से कम ही था। उच्च ब्याज दर परिवेश, विकट महंगाई और यूक्रेन तथा मध्य एशिया में छिड़े युद्ध के कारण वर्ष 2023 फिनटेक बाजार में निवेश के लिए कठिन वर्ष था। तथापि, यह 113.7 बिलियन अमेरिकी डालर रहा।[2] इससे फिनटेक उद्योग के बढ़ते आकार का पता चलता है। इसके अलावा भारत में अब यूनिकॉर्न[3] कंपनियां भी हैं।

निष्कर्ष: फिनटेक और भविष्य के बैंक

दुनिया के सबसे बड़े फिनटेक स्टार्टअप अलीबाबा के संस्थापक जैक मा ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम 2015 में बहुत अच्छी टिप्पणी की थी -

[1] https://www.pmindia.gov.in/hi/news_updates/

[2] KPMG Pulse of Fintech H2'23 (Global Analysis of fintech Funding)

[3] यूनिकॉर्न कंपनी होने की दो शर्तें हैं। यह निजी स्वामित्व की होनी चाहिए और एक बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की होनी चाहिए।

वालमार्ट के सीईओ से मैंने एक शर्त रखी है; कि कारोबार के मामले में हम आने वाले 10 वर्षों में वालमार्ट को पीछे छोड़ देंगे। क्योंकि 10,000 नए ग्राहक जोड़न के लिए आपको वेयरहाउस बनाना पड़ेगा और न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। और मुझे.. बस 2 सर्वर ही काफी है।

जैक मा का उपर्युक्त कथन बैंकों के कारोबारी मॉडल और उनको फिनटेक कंपनियों से मिलने वाली प्रौद्योगिकी जनित चुनौतियों को बहुत सूक्ष्म और स्पष्ट तरीके से व्यक्त करता है। जो वित्तीय संस्थाएं अभी भी मानती हैं कि वे हस्ताक्षर आधारित बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती रहेंगी और फिनटेक से मिलने वाली चुनौतियों से बची रहेंगी, दरअसल वे मुगालते में जी रही हैं। अगर आप एक वित्तीय संस्था हैं और अगले 10-20 वर्षों के प्रौद्योगिकीय महासंक्रमण काल से सुरक्षित बच निकलना चाहते हैं तो आपको अपनी संस्था को पुनर्परिभाषित करना होगा, वित्तीय उत्पादों की डिलिवरी की कुशलता में धार लानी होगी, अपनी टीम को कायांतरित करना होगा और उन्हें बहुत तेजी से परिवर्तन के प्रति अनुकूलन के लिए तैयार करना होगा। बैंक समझ चुके हैं कि अब उन्हें अपनी पारंपरिक कार्यशैली और कारोबारी कार्यनीति पर नए सिरे से कार्य करना होगा। 'Pivot or Perish (अर्थात कायांतरण करो या समाप्त हो जाओ)' वित्तीय कारोबार का नया सूत्रवाक्य बन गया है।

फिनटेक बैंकिंग सुविधाओं से वंचित और कम बैंकिंग सेवाओं वाली आबादी को सस्ती और सुलभ वित्तीय सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ा सकता है, जिससे आर्थिक असमानताएं कम हो सकती हैं। भारत में फिनटेक अब ऐसे दौर में है जहां वह बैंकों का प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि सहयोगी और कोलेबोरेटर की भूमिका में है और फर्मों और पारंपरिक बैंकों के बीच सहयोगात्मक उद्यम का तालमेल बन रहा है जो समृद्ध वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे-जैसे फिनटेक परिदृश्य विकसित होता है, संपर्क रहित भुगतान, पीयर-टू-पीयर ऋण और सीमा पार लेनदेन में नवाचार भुगतान परिदृश्य को नया आकार देना जारी रखेंगे जिससे दक्षता और सुविधा में वृद्धि होनी सुनिश्चित है। डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विस्तार को देखते हुए सशक्त साइबर सुरक्षा उपायों और डेटा सुरक्षा के महत्व को भी कम करके आंका नहीं जा सकता है, क्योंकि वे उपयोगकर्ता का विश्वास बनाने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण हैं। फिनटेक से संबंधित क्षेत्रों में कुशल कार्यबल का विकास नवाचार और विकास को बनाए रखने में महत्वपूर्ण होगा।

रेग्युलेटर की नज़र से

- ब्रिज राज

स्वर्ण ऋण - एकमुश्त भुगतान - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 06 अक्तूबर 2023 को सभी वेतन अर्जक बैंकों के अलावा प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को उपर्युक्त विषय पर अपने परिपत्र विवि.सीआरई. आरईसी.42/07.10.002/2023-24 के द्वारा दिशानिर्देश जारी किया।

दिशानिर्देश के अनुसार एकमुश्त भुगतान योजना के तहत दिए जाने वाले स्वर्ण ऋणों की मौद्रिक सीमा को उन यूसीबी के लिए ₹2.00 लाख से बढ़ाकर ₹4.00 लाख किया गया है, जो 31 मार्च 2023 को समग्र पीएसएल लक्ष्य और उप लक्ष्यों को पूरा कर चुके हैं और 8 जून 2023 के परिपत्र विवि.सीआरई. आरईसी.18/07.10.002/2023-24 में निर्धारित लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को पूरा करना जारी रखते हैं। ऊपर निर्धारित सीमाएँ परिपत्र की तिथि से प्रभावी हो गए हैं।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क - सरकारी एनबीएफसी तक विस्तार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 10 अक्तूबर 2023 को सभी जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी सरकारी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), मध्य, उच्च और शीर्ष स्तरों की जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली सभी सरकारी एनबीएफसी को उपर्युक्त विषय पर अपने परिपत्र DoS.CO.PPG/SEC.05/11.01.005/2023-24 के द्वारा दिशानिर्देश जारी किया।

दिशानिर्देश में भारतीय रिज़र्व बैंक के 14 दिसंबर 2021 को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क का संदर्भ दिया गया। दिशानिर्देश के अनुसार मौजूदा पीसीए फ्रेमवर्क की समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया कि 31 मार्च 2024 या उसके बाद एनबीएफसी की लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों, जिनसे वित्तीय स्थिति का पता चलता है, के आधार पर, 1 अक्तूबर 2024 से सरकारी एनबीएफसी (बेस स्तर के अलावा) पर पीसीए फ्रेमवर्क लागू होगा।

क्रेडिट सूचना के विलंबित अपडेशन/सुधार के लिए ग्राहकों को मुआवजे की रूपरेखा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 अक्तूबर 2023 को सभी सभी वाणिज्यिक बैंक (सभी लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, और भुगतान बैंकों को छोड़कर), सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक / केंद्रीय सहकारी बैंक, सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्सिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफ़आईडी), सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों और सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को उपर्युक्त विषय पर अपने परिपत्र विवि.एफ़आईएन. आरईसी.48/20.16.003/2023-24 के द्वारा दिशानिर्देश जारी किया।

दिशानिर्देश के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 अप्रैल 2023 के द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24 के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य का संदर्भ दिया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह घोषणा की गई थी कि

मुख्य महाप्रबंधक, प्रवर्तन विभाग,
भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई

क्रेडिट संस्थानों (सीआई) और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा ऋण सूचना के विलंबित अपडेशन/सुधार के लिए मुआवजा तंत्र स्थापित किया जाएगा।

तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश दिया कि सीआई और सीआईसी द्वारा क्रेडिट सूचना के विलंबित अपडेशन/सुधार के लिए मुआवजा की रूपरेखा कार्यान्वित करें। सीआईसी/सीआई के पास शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज करने की तारीख से तीस (30) कैलेंडर दिवसों की अवधि के भीतर उनकी शिकायत का समाधान नहीं होने पर शिकायतकर्ता प्रति कैलेंडर दिवस ₹100 के मुआवजे के हकदार होंगे।

मुआवज़े की रूपरेखा (ढांचा) उपर्युक्त परिपत्र की तारीख से छह महीने बाद प्रभावी होगी। साथ ही सीआईसी और सीआई को निर्देशित किया गया कि वे इस अवधि के भीतर मुआवजा रूपरेखा को लागू करने के लिए अपेक्षित प्रणाली और प्रक्रियाएं स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएँ। ऐसे सीआईसी और सीआई जो निर्देशों का उल्लंघन करते हैं या अनुपालन में चूक करते हैं, वे सीआईसीआरए, 2005 के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

क्रेडिट सूचना कंपनियों और क्रेडिट संस्थानों द्वारा दी जाने वाली ग्राहक सेवा को मजबूत बनाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 अक्तूबर 2023 को सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित, और भुगतान बैंकों को छोड़कर) सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक/केंद्रीय सहकारी बैंक सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आवास वित्त कंपनियों सहित) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और एनएबीएफआईडी) सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों एवं सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को उपर्युक्त विषय अपने परिपत्र विवि.एफ़आईएन.आरईसी.49/20.16.003/2023-24 के द्वारा दिशानिर्देश जारी किया।

दिशानिर्देश के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के 6 अप्रैल 2023 के द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2023-24 के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषणा की गई थी कि क्रेडिट संस्थानों (सीआई) व क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत बनाने और उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले ग्राहक सेवा को और सुधारने के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार की जाएगी।

तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने सीआईसी और सीआई को उपर्युक्त विषय पर निर्देशों को लागू करने का निर्देश दिया। यह निर्देश उक्त परिपत्र की तारीख से छह (6) महीने बाद प्रभावी होंगे। साथ ही सीआईसी और सीआई को इस अवधि के भीतर इन निर्देशों को लागू करने के लिए आवश्यक प्रणाली और प्रक्रियाएं कार्यान्वित करने के निर्देश दिया गया। जो सीआईसी और सीआई उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हैं या अनुपालन में चूक करते हैं, वे सीआईसीआरए, 2005 के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

उपभोक्ता ऋण और एनबीएफसी को बैंक ऋण से संबंधित विनियामक दिशा निर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 नवंबर 2023 को सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एचएफसी सहित) को उपर्युक्त विषय पर अपने परिपत्र विवि.एसटी आर आरईसी.57/21.06.001/2023-24 के द्वारा दिशानिर्देश जारी किया।

दिशानिर्देश में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 अक्तूबर 2023 के गवर्नर के वक्तव्य का संदर्भ दिया, जिसमें उपभोक्ता ऋण के कुछ घटकों में उच्च वृद्धि को दर्शाया गया है और बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को अपने आंतरिक निगरानी प्रणाली को मजबूत करने, जोखिमों के संकेन्द्रण, यदि कोई हो, का समाधान करने व अपने हित में उपयुक्त सुरक्षा उपाय स्थापित करने हेतु सूचित किया गया था।

उपभोक्ता ऋण में देखी गई उच्च वृद्धि और बैंक ऋण पर एनबीएफसी की बढ़ती निर्भरता को गवर्नर ने प्रमुख बैंकों और बड़े एनबीएफसी के एमडी/सीईओ के साथ क्रमशः जुलाई और अगस्त 2023 में हुए वार्ता में भी उजागर किया था। इस संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 नवंबर 2023 को उपर्युक्त विषय पर दिशानिर्देश जारी किया।

आवर्ती लेनदेन के लिए ई-अधिदेश का प्रसंस्करण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 दिसंबर 2023 को सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक, गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान साधन जारीकर्ता, प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्क एवं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को उपर्युक्त विषय पर अपने परिपत्र केका. डीपीएसएस.नीति.सं.एस-882/02.14.003/2023-24 के द्वारा दिशानिर्देश जारी किया।

दिशानिर्देश में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 08 दिसंबर 2023 के विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य में घोषणा का संदर्भ देते हुवे कहा की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए सीमा को ₹15,000/- से बढ़ाकर ₹1,00,000/- प्रति लेनदेन करने का निर्णय लिया गया है: (ए) म्यूचुअल फंड का अभिदान, (बी) बीमा प्रीमियम का भुगतान, और (सी) क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान।

यह परिपत्र भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10(2) के तहत जारी किया गया था, और तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।

बैंकों में निष्क्रिय खाते/अदावी जमाराशियाँ - संशोधित अनुदेश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 जनवरी 2024 को सभी वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी सहित) और सभी सहकारी बैंकों को उपर्युक्त विषय पर अपने परिपत्र विवि.एसओजी(एलईजी). आरईसी.64/09.08.024/2023-24 के द्वारा दिशानिर्देश जारी किया।

दिशानिर्देश के अनुसार वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, बैंकों में रखे गए किसी भी जमा खाते में क्रेडिट शेष, जिनका दस वर्ष अथवा उससे अधिक समय से परिचालन नहीं किया गया है, या कोई ऐसी राशि जो दस वर्ष अथवा उससे अधिक समय से अदावाकृत बची हुई है, जैसा कि "जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता" (डीईए) निधि योजना, 2014 के पैराग्राफ 3(iii) में उल्लिखित है, उसे बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित डीईए निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। खाताधारकों की सहायता करने के उपाय के रूप में और निष्क्रिय खातों पर मौजूदा अनुदेशों को समेकित और तर्कसंगत बनाने की दृष्टि से, सभी हितधारकों के परामर्श से समीक्षा की गई थी।

समीक्षा के आधार पर, खातों और जमाओं को निष्क्रिय खातों एवं अदावी जमाराशि के रूप में वर्गीकृत करने के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए बैंकों द्वारा किए जाने वाले उपायों, ऐसे खातों और जमाओं की समय-समय पर समीक्षा करने, ऐसे खातों/जमाओं में धोखाधड़ी को रोकने के उपाय, शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र, खातों को पुनः सक्रिय करने के लिए निष्क्रिय खातों/अदावी जमाराशियों के ग्राहकों का उनके नामांकित व्यक्तियों/विधिक उत्तराधिकारियों सहित पता लगाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों, दावों का निपटान या समापन और उनके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो, पर व्यापक दिशानिर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया है।

इन अनुदेशों से बैंकिंग प्रणाली में अदावी जमाराशियों की मात्रा को कम करने और ऐसी जमा राशि को उनके सही उत्तराधिकारी/दावेदारों को वापस करने के लिए बैंकों और रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए धारणीय प्रयासों और पहलों के पूरक होने की उम्मीद है। संशोधित अनुदेश 1 अप्रैल 2024 से लागू हो गए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची - समावेशन के लिए मानदंड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 17 जनवरी 2024 को सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को उपर्युक्त विषय पर अपने परिपत्र विवि. आरईजी/एलआईसी.सं.72/16.05.000/2023-24 के द्वारा दिशानिर्देश जारी किया। दिशानिर्देश के अंतर्गत, यूसीबी को अब भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल करने के लिए पात्रता मानदंडों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है ताकि उन्हें संशोधित विनियामक ढांचे के अनुरूप बनाया जा सके।

इस संबंध में भारत सरकार द्वारा दिनांक 04 सितम्बर 2023 की अधिसूचना एफ.नं.3/16/2023-एसी को भारत के राजपत्र में 23

सितंबर 2023 को प्रकाशित किया गया था। अधिसूचना के अनुसार, लाइसेंस प्राप्त टियर 3 और टियर 4 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय रूप से मजबूत और सुप्रबंधित शहरी सहकारी बैंकों के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं, वे लगातार दो वर्षों तक टियर 3 शहरी सहकारी बैंक के रूप में वर्गीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम जमा राशि बनाए रखने के अधीन, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (ए) के उप-खंड (iii) के प्रयोजन के लिए पात्र वित्तीय संस्थान होंगे। ऐसे पात्र यूसीबी जो उपर्युक्त विषय पर दिशानिर्देशों में दिए गए मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें दूसरी अनुसूची में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

आंतरिक अनुपालन निगरानी कार्य को सुव्यवस्थित करना - प्रौद्योगिकी के उपयोग का लाभ उठाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 जनवरी 2024 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (टियर III और IV), अपर और मिडिल लेयर की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (आवास वित्त कंपनियों सहित), ऋण सूचना कंपनियाँ और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएबीएफआईडी, एनएचबी और सिडबी) को उपर्युक्त विषय पर अपने परिपत्र डीओएस.सीओ.सीएसआईटीईजी.एसईसी.सा. 9/31-01-015/2023-24 के द्वारा दिशानिर्देश जारी किया।

दिशानिर्देश के अंतर्गत, आरबीआई ने हाल ही में चुनिंदा पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) में विनियामक निर्देशों के अनुपालन की आंतरिक निगरानी के लिए मौजूदा प्रणाली और इस कार्य को संबल प्रदान करने में तकनीकी समाधानों के उपयोग की मात्रा का मूल्यांकन किया था। यह देखा गया है कि इस कार्य को संबल प्रदान करने के लिए पर्यवेक्षित संस्थाओं द्वारा अपनाये गए स्वचालन (automation) विभिन्न स्तर के हैं, जिसमें मैक्रो-सक्षम स्प्रेडशीट से लेकर वर्कफ़्लो-आधारित सॉफ़्टवेयर सॉल्युशन के उपयोग तक शामिल हैं।

समीक्षा से पता चला कि पर्यवेक्षित संस्थाओं में अनुपालन निगरानी प्रक्रिया को स्वचालित बनाने का कार्य उत्तरोत्तर पथ पर हैं और इस कार्य के विभिन्न पहलु बड़ी मात्रा में मानवीय हस्तक्षेप के साथ किये जा रहे हैं। अतः इस कार्य की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए व्यापक, एकीकृत, उद्यम-व्यापी और वर्कफ़्लो-आधारित सॉल्युशन/टूल्स लागू करने की आवश्यकता है।

इस तरह के सॉल्युशन/टूल्स में, अन्य बातों के अलावा, सभी हितधारकों के बीच प्रभावी संचार और सहकार्यता (व्यवसाय, अनुपालन और आईटी टीमों, वरिष्ठ प्रबंधन, आदि को एक प्लैटफ़ार्म पर लाकर), अनुपालन आवश्यकताओं की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी और प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएं, गैर-अनुपालन के मुद्दों, यदि कोई हों, का अग्रेषिण सुनिश्चित करने की सुविधा, अनुपालन प्रस्तुत करने में विचलन/विलंब के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने की सुविधा, और समग्र रूप से विनयमित संस्था (आरई) की अनुपालन स्थिति पर वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक एकीकृत डैशबोर्ड होनी चाहिए। विनियमित संस्था (आरई), अपने परिचालन के आकार और जटिलता के आधार पर, अनुपालन की निगरानी और एकीकृत डैशबोर्ड के विकास के लिए उपयोग करने हेतु वांछित टूल्स/तंत्र के संबंध में निर्णय ले सकती है।

तदनुसार, विनयमित संस्थाओं को सूचित किया गया कि वे अधिक से अधिक 30 जून, 2024 तक मौजूदा आंतरिक अनुपालन ट्रैकिंग और निगरानी प्रक्रियाओं की व्यापक समीक्षा करें और मौजूदा प्रणालियों में आवश्यक बदलाव करें या नई प्रणालियाँ लागू करें। कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा के लिए एक उचित निगरानी तंत्र भी स्थापित किया जाए।

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों में निदेशक, प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 फरवरी 2024 को सभी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को उपर्युक्त विषय पर अपने परिपत्र डीओआर.जीओवी.आरईसी.79/18.10.006/2023-24 के द्वारा दिशानिर्देश जारी किया।

दिशानिर्देश के अंतर्गत, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा

3(6) और 'आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसीज़) के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा' पर दिनांक 11 अक्तूबर 2022 को जारी परिपत्र संख्या विवि.एसआईजी. एफ़आईएन. आरईसी.75/ 26.03.001/ 2022-23 के अनुबंध के अनुच्छेद 5(i) में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार एआरसी द्वारा किसी भी निदेशक, प्रबंध निदेशक अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

ऐसे अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एआरसी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी में एकरूपता रखने के लिए, उम्मीदवार के बारे में अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए एक फॉर्म और आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की एक सांकेतिक सूची दिशानिर्देश में अनुबंध I और अनुबंध II के रूप में संलग्न है।

एआरसीज़ को सूचित किया गया कि वे रिक्ति उत्पन्न होने/नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति की प्रस्तावित तिथि से कम से कम नब्बे दिन पहले विधिवत हस्ताक्षरित अनुबंध I, और अनुबंध II में उल्लिखित दस्तावेजों/जानकारी के साथ सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन विनियमन विभाग में जमा करें। यदि आवश्यक हो तो रिज़र्व बैंक आवेदन पर कार्यवाही करने के लिए अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज मंगा सकता है। ऊक्त अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

घूमता आईना
(राष्ट्रीय खंड)

- डॉ. करुणेश तिवारी

भारत तीव्रतम विकास दर वाली अर्थव्यवस्था

मजबूत घरेलू मांग, निरंतर जारी आर्थिक सुधार और बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार द्वारा दिए जा रहे जोर, विदेशी निवेश प्रवाह में वृद्धि की संभावनाओं के मद्देनज़र दुनिया की प्राय: सभी प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसियों ने वर्तमान और आने वाले वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी में मजबूत वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है। मूडीज़ ने 2024-25 के दौरान भारत की जीडीपी वृद्धि-दर 7.5% के आस-पास रहने की संभावना व्यक्त की है। हालांकि, एक अन्य रेटिंग एजेंसी फिच ने इसी वित्तीय वर्ष के लिए वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, भू-राजनीतिक तनावों और संभावित घरेलू चुनौतियों का हवाला देते हुए इसके 7% रहने के आसार व्यक्त किए हैं। फिच भारतीय अर्थव्यवस्था की इस मजबूत रफ्तार के पीछे भारत की आर्थिक सुदृढ़ता और यहाँ किए जा रहे संरचनात्मक सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को देखती है।

S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भी सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने की दिशा में किए गए प्रयासों के महत्त्व को समझते हुए विकास दर 7% रहने की संभावनाएं देखी हैं।

सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा), विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

हाल ही में, एशियाई डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ने भी अपने पहले के अनुमान 6.7% में सुधार करते हुए कहा है कि वर्ष 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था 7% से बढ़ने के आसार हैं। अपनी पत्रिका एशियन डेवेलपमेंट आउटलुक के अप्रैल 2024 अंक में एडीबी ने भारत को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख ग्रोथ इंजन के रूप में देखा है। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के निवेश में हुई वृद्धि और सेवा क्षेत्र की मजबूती को देखते हुए एडीबी ने अपने पहले के अनुमानों में संशोधन किया है। एडीबी का यह पूर्वानुमान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा व्यक्त किए गए 7% वृद्धि के अनुमान के अनुरूप है जिनका उल्लेख गवर्नर महोदय के 5 अप्रैल 2024 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में किया गया था। श्री दास ने मानसून के सामान्य रहने की प्रत्याशा, महँगायी दर में आ रही कमी और विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में लगातार बनी हुई तेजी का हवाला देते हुए ऐसा अनुमान व्यक्त किया था।

सकल अनर्जक आस्ति अनुपात (जीएनपीए) में गिरावट: आरबीआई

रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2023 में *भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर वार्षिक रिपोर्ट* (आरटीपी) प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में देश के केंद्रीय बैंक ने बताया है कि उच्च पूंजी अनुपात, परिसंपत्तियों की बेहतर गुणवत्ता और आय में हो रही उल्लेखनीय वृद्धि के बल पर भारतीय बैंकिंग प्रणाली और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) मजबूत स्थिति में हैं। यही कारण है कि ऋणों में दो अकों की वृद्धि दर बनी हुई है और घरेलू आर्थिक गतिविधियों में तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन इन सुधारों को जारी रखने के लिए यह आवश्यक है कि अभिशासन और जोखिम प्रबंधन से जुड़ी प्रथाओं को अधिक सुदृढ़ बनाया जाए और अतिरिक्त बफर का निर्माण किया जाए। संक्षेप में इस रिपोर्ट की महत्वपूर्ण बातों में से कुछ इस प्रकार हैं:-

क) रिपोर्ट में यह रेखांकित किया गया कि **बैंकों के सकल अनर्जक आस्ति अनुपात में गिरावट आयी है** और 2022-23 में यह 3.9% रह गया है। इसी अवधि में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का समेकित तुलनपत्र के आकार में 12.2% की बढ़ोतरी हुई जो कि पिछले 09 वर्षों में सर्वाधिक है। यूसीबी और एनबीएफ़सी के समेकित तुलन-पत्रों में भी क्रमश: 2.3% और 14.8% की वृद्धि दर्ज की गयी।

ख) यह सुखद रहा कि बैंकों में दर्ज किए गए धोखाधड़ी के मामलों भी पिछले छह वर्षों के न्यूनतम स्तर पर रहे और साथ ही, इन धोखाधड़ियों में शामिल कुल राशि तो पिछले एक दशक में सबसे कम थी। वाणिज्यिक बैंकों का पूँजी-जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) 16.8% रहा।

ग) रिपोर्ट में **ऋण उत्पादों के वेब-एकत्रीकरण (डबल्यूएएलपी) के लिए विनियामक ढांचा** लाने की बात भी की गयी है। ऋण उत्पादों के वेब आधारित एकत्रीकरण का मतलब है भिन्न-भिन्न ऋणदाताओं के ऋण उत्पादों को किसी इलेक्ट्रॉनिक प्लैटफॉर्म पर इकट्ठा करना ताकि उधारकर्ताओं को एक ही स्थान पर सभी ऋण प्रस्तावों को देखने समझने और उनके लिए उपयुक्त ऋण प्रस्ताव का चयन करने का अवसर मिल जाए। डिजिटल ऋण पर गठित कार्यदल (डबल्यूजीडीएल) की सिफारिशों पर अमल करते हुए ऋण सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली इस प्रकार की ऋण एकत्रीकरण सेवाओं को एक व्यापक विनियामकीय फ्रेमवर्क के भीतर लाने का निर्णय लिया गया है।

घ) रिज़र्व बैंक **फिनटेक रिपॉज़िटरी** स्थापित करेगा। रिज़र्व बैंक का मानना है कि फिनटेक क्षेत्र में मजबूती लाने और वहाँ सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए, विनियामकों और हितधारकों दोनों के लिए यह आवश्यक है कि उनके पास फिनटेक संस्थाओं से जुड़ी ज़रूरी जानकारी, जिनमें उनकी गतिविधियों से जुड़ी सूचना भी हो, समय पर मिल सके। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक फिनटेक रिपॉजिटरी स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसमें फिनटेक संस्थाओं की गतिविधियों, उनके उत्पादों, उनके द्वारा इस्तेमाल में लायी जा रही प्रौद्योगिकी और वित्तीय जानकारी मिल सकेगी। फिनटेक संस्थाओं को प्रेरित किया जाएगा कि वे स्वेच्छा से इस प्रकार की सूचना इस रिपॉज़िटरी को दें ताकि उचित नीतिगत निर्णय लिए जा सकें। इस रिपॉज़िटरी का संचालन रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा अप्रैल 2024 या उससे पहले प्रारंभ कर दिया जाएगा।

तथापि, इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे मुद्दों की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया गया है जो बैंकिंग प्रणाली के समक्ष चुनौती पेश कर सकते हैं। इनमें शामिल हैं - यूसीबी में सर्वसमावेशी जोखिम प्रबंधन प्रणाली का अभाव और अनुपालन की कमजोर संस्कृति। एनबीएफ़सी द्वारा दिए जा रहे कॉरपोरेट क्रेडिट में संकेंद्रण (Concentration) का जोखिम। सरकारी क्षेत्र (विशेषकर ऊर्जा क्षेत्र की) की एनबीएफसी का भारी ऋण जोखिम।

राज्य वित्त पर रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट

रिज़र्व बैंक ने भारतीय राज्यों में राजस्व के उपयोग और उनके राजकोष की स्थिति पर 'राज्य वित्त: 2023-24 के बजट का अध्ययन' शीर्षक रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट में जिन प्रमुख बातों को रेखांकित किया गया है, उनमें शामिल हैं- 1) राज्यों का सकल राजकोषीय घाटे और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में कमी आयी है। वर्ष 2020-21 में यह 4.1 % था जो वर्ष 2021-22 में घटकर 2.8% रह गया है; 2) 2023-24 में पूँजी परिव्यय में 42.6% की वृद्धि हुई है जो जीडीपी के 2.9% के समतुल्य है; 3) मार्च 2021 की तुलना में मार्च 2023 में राज्यों का कर्ज-जीडीपी अनुपात भी 31% से घटकर 27.5% रह गया; 4) सरकारों की बाजार से उधारियों में भारी गिरावट आयी है; 5) जीएसटी ढाँचा अधिक मजबूत होने से कर का आधार बढ़ा है।

इसके अलावा, रिपोर्ट में कुछ चिंताएँ भी व्यक्त की गयी हैं, यथा, कर से इतर राजस्व का संग्रह कम रहा है; विकास के कार्यों जैसे शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति, शहरी विकास आदि पर खर्च में कमी आयी है। यह आशंका भी व्यक्त की गयी है कि यदि सभी राज्य पुरानी पेंशन व्यवस्था (ओपीएस) लागू कर देते हैं तो कुल मिलाकर सरकारों पर भारी बोझ पड़ेगा जो एनपीएस का लगभग 4.5 गुना होगा।

वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) ने जारी की क्रिप्टो-असेट इंटरमीडियरी (एमसीआई) रिपोर्ट

एमसीआई क्रिप्टो असेट इकोसिस्टम का अभिन्न अंग है। इसमें क्रिप्टोकरेंसीज़, नॉन-फंजिबल टोकन आदि शामिल होते हैं। बताते चलें कि क्रिप्टो आस्तियाँ वास्तव में किसी भी मूल्य या अधिकार का डिज़िटल रूप होती हैं जिन्हें ब्लॉकचेन जैसी किसी डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र तकनीक का इस्तेमाल करते हुए संरक्षित या अंतरित किया जा सकता है।

एमसीआई ऐसी फर्में अथवा संबद्ध फर्मों का समूह होती हैं जो कि क्रिप्टो-आधारित सेवाएँ देती हैं या उत्पाद डिजाइन करती हैं। इनका कार्य मुख्य रूप से ट्रेडिंग प्लैटफॉर्म के परिचालन से जुड़ा होता है। ऐसी कुछ कंपनियों के नाम हैं- Binance, Bitfinex और Coinbase. ऐसी कंपनियों के आ जाने से क्रिप्टो-आस्ति बाजार तक पहुंच आसान और सस्ती हो गयी है। साथ ही, क्रिप्टो बाजार में निवेश, ऋण और उधारियों के अधिक विकल्प उपलब्ध हुए हैं। यद्यपि, वैश्विक विनियामकीय फ्रेमवर्क के अभाव, सीमा-पार सहयोग और सूचनाओं के आदान-प्रदान से जुड़ी चुनौतियों प्रकटन और रिपोर्टिंग से जुड़े विधिवत निदेशों के अभाव के कारण एमसीआई कुछ परंपरागत वित्तीय प्रणाली के लिए नये जोखिमों को भी जन्म दे सकती हैं।

अब सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफ़सी भी पीसीए के दायरे में

आरबीआई द्वारा अक्तूबर 2023 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार 01 अक्तूबर 2024 से सरकारी स्वामित्व वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ भी पीसीए पर्यवेक्षण मानदण्डों के दायरे में आ जाएँगी। ऐसा करके इन कंपनियों के वित्तीय हालात को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक पर्यवेक्षी हस्तक्षेप समय से किया जा सकेगा और विनियमित इकाइयों से यह अपेक्षित होगा कि वे उपचारात्मक कार्रवाई यथाशीघ्र प्रारंभ करें। यद्यपि बेस लेयर वाली एनबीएफसी अर्थात जमाराशि न स्वीकार करने वाली ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जिनका आस्ति-आकार ₹1000 करोड़ से कम है, उन्हें इससे बाहर रखा गया है।

उल्लेखनीय है कि वित्तीय कंपनियों (एनबीएफ़सी) के लिए पीसीए फ्रेमवर्क 14 दिसंबर 2021 से लागू किया गया था। इसके पीछे सोच यह थी कि वित्तीय प्रणाली के अन्य संभागों के साथ अंतर-संबद्धता के कारण ऐसी कई कंपनियाँ आकार में बहुत बड़ी हो गयी थीं और प्रणालीगत नज़रिए से महत्वपूर्ण बन गयी थीं। प्रसंगवश, पीसीए फ्रेमवर्क के तहत की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई में शामिल हैं- क) कंपनी के अभिशासन, पूँजी की स्थिति, लाभप्रदता और कारोबार से जुड़े मुद्दों पर विवेकपूर्ण कार्रवाई; ख) कंपनी को हुए लाभ के विप्रेषण और लाभांश के वितरण पर प्रतिबंध; *तथा* ग) कंपनी के शाखा विस्तार पर प्रतिबंध आदि।

इरादतन चूककर्ताओं पर रिज़र्व बैंक अब और सख्त

आरबीआई ने भारतीय रिज़र्व बैंक (इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं पर कार्रवाई) निदेशावली, 2023 जारी करते हुए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। रिज़र्व बैंक का प्रयास है कि ऋण सुविधा प्रदान करने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों को एक ऐसा विनियामक ढाँचा उपलब्ध कराया जाए जिससे जानबूझकर चूक करने वाले उधारकर्ताओं की संख्या में कमी आए और वित्तीय प्रणाली सुदृढ़ बनी रहे। इसमें संस्थागत उधारकर्ता आपस में चूककर्ता की क्रेडिट जानकारी प्रसारित करके उस पर दंड लगा सकते हैं और उसे सावधान कर सकते हैं। इसी प्रकार चूक करने की स्थिति में अगले 01 वर्ष तो कोई भी ऋण सुविधा प्राप्त न कर सकने का प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। इसी प्रकार, उधारदाता को यह अधिकार भी होगा कि वह चूककर्ता के साथ-साथ ऋण की गारंटी देने वाले के विरुद्ध भी वसूली की कार्रवाई प्रारंभ कर सकेगा।

यूपीआई अब नई विशेषताओं से लैस हुआ

अभी तक यूपीआई के ज़रिए भुगतान केवल बैंक खाते में जमाराशि से ही संभव था, परंतु अब पूर्व स्वीकृत क्रेडिट व्यवस्था (**Pre-approved credit line**) से भी राशि का भुगतान यूपीआई के ज़रिए किया जा सकेगा। **UPI Lite X** के आ जाने से अब धन-अंतरण ऑफ-लाइन भी किया जा सकेगा। यह Near Field Communication Technology की मदद से संभव हो सका है। **UPI Tap & Pay** सुविधा भी लायी गयी है जिससे व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लगे एनएफसी समर्थित क्यूआर कोड की मदद से बिना पिन डाले सिंगल टैप से भुगतान किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि एनपीसीआई द्वारा विकसित यूपीआई एक ऐसी तत्काल भुगतान प्रणाली है जिसकी लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है। भारत में होने वाले कुल डिजिटल लेनदेन का 40% केवल यूपीआई प्लैटफॉर्म पर हो रहा है। व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) लेनदेन की बाद हो या व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) लेनदेन की, यूपीआई आज दुनिया की सबसे लोकप्रिय तत्काल भुगतान प्रणाली बन चुका है। हाल ही में भारत ने फ्रांस, यूएई और श्रीलंका के साथ भी यूपीआई भुगतान का सौदा किया है।

आरबीआई ने कुछ खास श्रेणियों के लिए यूपीआई लेनदेन सीमा बढ़ाई

सामान्य रूप से यूपीआई लेनदेन की उच्चतम सीमा ₹1 लाख है लेकिन पूँजी बाजार, कलेक्शन, बीमा आदि के लिए इस सीमा को ₹2 लाख किया गया है। अस्पतालों और शिक्षण-संस्थाओं को यूपीआई के ज़रिए अब ₹5 लाख तक का भुगतान किया जा सकेगा।

हरित क्रांति के जनक स्वामिनाथन नहीं रहे

भारत की हरित क्रांति के जनक, महान कृषि और आनुवंशिकी वैज्ञानिक मनकोम्बु संबासिवन स्वामिनाथन का 98 वर्ष की अवस्था में 28 सितंबर 2023 को निधन हो गया। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़कर भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में उनकी भूमिका अतुलनीय थी। उन्हें किसानों का वैज्ञानिक कहा जाता था। जब अमेरिका के World Food Prize Foundation द्वारा 1986 में विश्व खाद्य पुरस्कार (World Food Prize) की स्थापना की गयी, तब फाउंडेशन से पहला पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति होने का गौरव श्री स्वामिनाथन को प्राप्त हुआ। उन्हें अत्यंत प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे अवार्ड भी प्रदान किया गया। श्री स्वामिनाथन को उनके विशिष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया।

एमएसपी को लेकर स्वामिनाथन आयोग की रिपोर्ट मील का पत्थर साबित हुई। उसमें कहा गया कि, सरकार को एमएसपी को उत्पादन की औसत लागत से कम से कम 50% अधिक बढ़ाना चाहिए। इसे C2+ 50% फॉर्मूला के रूप में भी जाना जाता है। इसमें किसानों को 50% रिटर्न देने के लिए पूंजी की अनुमानित लागत और भूमि पर किराया (जिसे C2 कहा जाता है) शामिल है।

जीन प्रौद्योगिकी और हाइब्रिडाइजेशन जैसी तकनीकों की सहायता से फसलों की अलग-अलग किस्मों का आविष्कार करते हुए कृषि की पैदावार में अभूतपूर्व वृद्धि करना, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना, पर्यावरण हितैषी कृषि तकनीकों का विकास, कृषि क्षेत्र में अनुसंधान हेतु संस्थागत ढाँचा तैयार करना – ऐसी अनेक उपलब्धियाँ श्री स्वामिनाथन के उल्लेखनीय योगदान को रेखांकित करती हैं और उन्हें कृषि-विज्ञान के क्षेत्र में युगपुरुष के रूप में स्थापित करती हैं।

घूमता आईना
(अंतरराष्ट्रीय खंड)

- डॉ. गौतम प्रकाश

(1) वियतनाम में व्यापक वित्तीय घोटाला - केन्द्रिय बैंक के पूर्व अधिकारियों पर भी आरोप

वियतनाम में एक व्यापक वित्तीय घोटाले पर न्यायालय ने सुनवाई शुरू की है। मुख्य आरोपी एक प्रमुख महिला उद्योगपति हैं जो कि अचल संपत्ति क्षेत्र (रियल इस्टेट सैक्टर) की एक विशाल कंपनी की मुखिया हैं। यह बताया जा रहा है कि त्रुओंग माइ लान नामक इस उद्योगपति ने अनेक कंपनियों के माध्यम से एक बैंक (साइगोन जाइंट स्टॉक कमर्शियल बैंक) पर नियंत्रण स्थापित किया और फिर लगभग 1230 करोड़ डॉलर का घोटाला किया। उन्होंने बैंक से ऋण मुहैया करवाए जो कि बाद में खराब हो गए। केंद्रीय बैंक (स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम) के बैंक पर्यवेक्षण विभाग के अधिकारियों ने बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को जान-बूझ कर अनदेखा किया। इसके बदले में अभियुक्त से आर्थिक लाभ लिया। गिरफ्तारियाँ शुरू हुईं तो जाम-कर्ताओं में अफरा-तफरी होने लगी। 24 केंद्रीय बैंक अधिकारी शक के घेरे में आए (लेकिन उनमें से सात सरकारी गवाह बन गए हैं)। अब कुल 90 आरोपियों पर मुकदमा चल रहा है। दोषी पाये जाने पर मृत्यु दंड जैसी सख्त सज़ा भी हो सकती है।

महाप्रबंधक, प्रवर्तन विभाग,
भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

(2) यूक्रेन को युद्ध के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु अनूठी योजना

यूक्रेन पर हमलावर रूस के जंगी उन्माद पर अंकुश लगाने के लिए पश्चिमी देशों की सरकारों ने रूसी केंद्रीय बैंक के निवेश (जो कि पश्चिमी देशों में थे) को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया था। फलस्वरूप, रूस इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता हालांकि उसका स्वामित्व बरकरार है। युद्ध के थमने पर ही वह इनका इस्तेमाल कर सकेगा। उधर सीमित संसाधनों वाला यूक्रेन पश्चिमी आर्थिक सहायता पर पूर्णतया निर्भर है। युद्ध के लंबे खिंच जाने से बात बिगड़ रही है – पश्चिमी देशों में जनता आर्थिक भार से कतरा रही है। तो निवारण क्या हो? एक मत है कि रूस की संपत्ति को जप्त करके यूक्रेन को सौंप दिया जाए। लेकिन नियमावली इसकी इजाज़त नहीं देती है। ऐसे में ब्रिटेन के वित्त मंत्री ने एक अनूठी योजना सुझाई है - एक बॉन्ड का सृजन किया जाए, जिसके क्रय से आई धनराशि यूक्रेन को दे दी जाए। रूस की आस्तियों पर आ रहे ब्याज को बॉन्ड-धारकों को ब्याज में दे दिया जाए। और बॉन्ड के जीवन-काल के अंत में रूसी मूल-राशि का प्रयोग कर बॉन्ड-धारकों को मूलधन लौटाया जाए। यदि तब तक युद्ध समाप्त हो गया हो, तो रूस से प्राप्त हरजाने का प्रयोग कर बॉन्ड-धारकों को भुगतान किया जाए। इस योजना पर आम सहमति होना अभी बाकी है परंतु यह अनूठी तो है ही।

(3) यूरोप में महंगाइ का स्रोत "आपूर्ति" है

अर्थशास्त्र कहता है कि कीमतों के दो कारक होते हैं – "मांग" और "आपूर्ति"। यूरोपीय केंद्रीय बैंक के विशेषज्ञों ने एक शोध-पत्र के माध्यम से बताया है कि वर्ष 2021 से लेकर आज तक यूरोप में देखी जा रही मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण "आपूर्ति" पक्ष है। खाद्यान्नों और ईंधन की कीमतों में वृद्धि इसके वास्तविक कारण हैं। और इनके पीछे है - रूस-यूक्रेन युद्ध। कोरोना महामारी के

दौरान मांग में भारी कमी आई थी। चाह कर भी व्यय करना संभव नहीं था। जब महामारी का प्रकोप कम हुआ तो खर्च करने की होड़-सी दिखी। केवल तभी "मांग" पक्ष ने तूल पकड़ी थी। एक और समस्या ने अपना सर उठाया था – आपूर्ति प्रणाली विचलित हो गई थी, जिसका असर कीमतों पर दिखा। फिर जब खाद्यान्न और ईंधन की कीमतों में इजाफा होने लगा तो "आपूर्ति" पक्ष निस्संदेह भारी पड़ गया। महंगाई बढ़ते वेतनों से भी बढ़ सकती है, परंतु इसकी भूमिका अब तक विशेष नहीं रही है।

(4) अमरीका में विद्यार्थी ऋण से संबन्धित समस्याएँ

अमरीकी उच्च शिक्षा प्रणाली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, परंतु यह बहुत महंगी होती है। इसीलिए वहाँ विद्यार्थी प्रायः ऋण लेकर शिक्षा ग्रहण करते हैं और बाद में वे इसे चुकाते हैं। महामारी के कारण थोड़े समय के लिए ऋण चुकता करने से राहत दी गए थी परंतु अक्तूबर 2023 से इसे फिर शुरू कर दिया गया। अब फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ फिलाडेल्फ़िया ने एक शोध-पत्र के माध्यम से बताया है कि ज़्यादातर ऋण लेनेवालों ने ऋण चुकाना शुरू कर दिया है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने दायित्व को पूरा करेंगे, लेकिन ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो ऐसा करने में स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं, या वे ऋण चुकाना ही नहीं चाहते। जो ऋणी कर्ज़ चुका नहीं पा रहे हैं, उनके लिए विशेष नीति की आवश्यकता है। यदि वे कभी-कभी ही ऋण की किस्तें चुका रहे हैं, तो बेहतर है कि ऋण-दाता उन्हें थोड़ी और मोहलत दें। यदि वे बड़ी किस्त देने में असमर्थ हैं, तो किस्तें हल्की की जा सकती हैं। और जो और भी अशक्त हैं, उनको ऋण के कुछ भाग पर रियायत भी दी जा सकती है। सबसे आवश्यक है कि ऋण-दाता अपने ग्राहकों को अपनी इन स्कीमों के विषय में बताएं जिससे उन्हें सहूलियत हो सकती है।

(5) चीन ने अर्थव्यवस्था में 5% विकास दर का लक्ष्य तय किया

चीन के प्रधानमंत्री (ली चांग) ने वहाँ की संसद (नेशनल पीपल्स कॉंग्रेस) में ऐलान किया है कि वर्ष 2024 में अर्थव्यवस्था के लिए 5% विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही, मुद्रास्फीति की दर के लिए 3%, बेरोजगारी दर के लिए 5.5% और नए शहरी रोजगार के सृजन के लिए 1.2 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था अनेक समस्याओं से घिरी है, जैसे कि – देश में "मांग" का पर्याप्त न होना, कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक "आपूर्ति" का होना, वैश्विक बाज़ार में मंदी का होना, देश के कुछ क्षेत्रों में वित्तीय कठिनाइयों का होना, नवाचार (इनोवेशन) की सीमित क्षमता होना और देश की अफसरशाही के काम करने का ढुलमुल तरीका। अतः, लक्ष्य को प्राप्त करना आसान नहीं होनेवाला है। उनके अनुसार आनेवाले समय में सरकार का विशेष ध्यान रहेगा तकनीकी विकास पर और "मांग" की बढ़ोतरी पर। वर्ष 2023 में चीन की विकास की दर 5.2% रही और मुद्रास्फीति की दर केवल 0.2% रही। अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि लक्ष्य अत्यधिक महत्वाकांक्षी हैं।

(6) बैंक ऑफ इंग्लैंड में नए उप-गवर्नर का चयन हुआ

बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ऐलान किया है कि क्लेअर लोम्बार्डेलि बैंक की अगली उप-गवर्नर होंगी। उनका पाँच वर्षों का कार्यकाल जुलाई 2024 से प्रारम्भ होगा। बतौर उप-गवर्नर वे देश की मुद्रा नीति और वित्तीय स्थिरता नीति पर नज़र रखेंगी। इसके अतिरिक्त उनकी ज़िम्मेदारी होगी बैंक के आर्थिक मुद्दों के बारे में पूर्वानुमान लगाने की प्रणाली को पुख्ता करना – इसकी समीक्षा अभी एक विख्यात अर्थशास्त्री कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट महत्वपूर्ण होने वाली है। केंद्रीय बैंकिंग का एक प्रशिक्षण केंद्र भी है जिसमें पूरी दुनिया से सीखनेवाले आते हैं। इसकी मुखिया भी वे ही रहेंगी। क्लेअर लोम्बार्डेलि ने अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत बैंक ऑफ इंग्लैंड से ही एक अर्थशास्त्री के रूप में की थी। इसके बाद वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश (आई.एम.एफ़), ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्रालय, विकसित देशों के संघ ओ.ई.सी.डी., इत्यादि में अर्थशास्त्री रहीं। अब वे बैंक ऑफ इंग्लैंड का मार्गदर्शन करेंगी।

(7) त्वरित खरीद, किस्तों में ऋण चुकनेवाली वित्तीय सुविधा पर शोध

एक समय था जब लोग मनचाही वस्तु के लिए हफ्तों, महीनों, वर्षों संचय करते थे। परंतु आधुनिक युग में ऐसी वित्तीय सेवाएँ उपलब्ध हैं कि व्यक्ति सामग्री की त्वरित खरीद कर ले और भुगतान धीरे-धीरे किस्तों में करे। ऐसी वित्तीय सुविधाओं पर फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ फिलाडेल्फ़िया ने एक शोध-पत्र प्रकाशित किया है।

उनके अनुसार इसका प्रयोग 2019 से निरंतर बढ़ रहा है। अमरीका में इसका सबसे आम उदाहरण है – "छः-में-चार" जिसके अंतर्गत खरीददार को अगले छः हफ्तों में चार किस्तें देनी पड़ती हैं। शोध पत्र में इस सेवा से संबन्धित जोखिम पर ध्यान आकर्षित किया गया है – जैसे की, उपभोगता संरक्षण के स्तर पर अनिश्चितता, उपभोगता की व्यक्तिगत जानकारी का व्यावसायिक प्रयोग, अत्यधिक ऋण लेने की आदत पड़ना, आदि। शोध में यह सामने आया कि पर्याप्त ऋण की उपलब्धि नहीं होना इस सेवा को लेनेवालों के लिए प्रमुख कारण नहीं है। लेकिन ज़्यादातर ग्राहक इस बात से आकर्षित होते हैं कि यह हर जगह मिल जाती है और इसका प्रयोग करना सहज है। परंतु जो ग्राहक इसे लेते हैं, उनमें से कई आर्थिक संकटों से जूझ भी रहे होते हैं। ऋण उतारने के लिए उन्हें प्रायः बचत में कटौती करनी पड़ती है, या अतिरिक्त काम करना पड़ता है या और भी अधिक ऋण लेने पर बाध्य होना पड़ता है।

(8) चीन में विदेशियों के लिए बेहतर भुगतान व्यवस्था करने पर निर्णय

चीन के केंद्रीय बैंक के उप-गवर्नर ने सूचित किया है कि उन्होंने बैंकों और भुगतान सेवा कंपनियों को आदेश दिया है कि वे विदेश से आनेवाले लोगों के लिए भुगतान सेवाएँ बेहतर करें। चीन में आए विदेशियों को मोबाइल भुगतान में कठिनयों का सामना करना पड़ता है, जो कि उचित नहीं है। वे चाहते हैं कि ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि विदेशी चीन आने पर अपने बैंक या कार्ड को चीनी मोबाइल भुगतान एप से आसानी से जोड़ सकें। इसके अलावा, भुगतान सीमाओं को भी बढ़ाया गया है – अब विदेशी प्रत्येक भुगतान में 1,000 डॉलर की जगह 5,000 डॉलर तक भुगतान कर सकेंगे और साल भर के लिए सीमा 10,000 डॉलर से बढ़ाकर 50,000 डॉलर कर दी गई है। चीन में स्थित व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय कार्ड कम ही स्वीकार करते हैं।

(9) रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने मुख्य परिचालन अधिकारी का चयन किया

ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक ने एक नए पद का सृजन किया है – मुख्य परिचालन अधिकारी (चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर) और इस पद के लिए उसने सूसन वुड्स का चयन किया है। इस पद का सृजन सरकार द्वारा बनाई एक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। कमेटी चाहती थी कि बैंक के गवर्नर एवं उप- गवर्नर नीति-संबन्धित विषयों पर केन्द्रित रहें। एक मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किये जाएं जिनका का काम होगा बैंक के सभी अन्य सहायक विभागों को नेतृत्व प्रदान करना। इसमें कई जिम्मेदारियाँ शामिल हैं, जैसे कि मानव संसाधन संबन्धित योजनाएँ बनाना, संसाधनों का आबंटन, जोखिम प्रबंधन, बैंक में सांस्कृतिक परिवर्तन लाना, इत्यादि। मुख्य परिचालन अधिकारी बैंक के उप-गवर्नर के आधीन रहेंगे। वर्तमान में सूसन वुड्स रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया में ही सहायक गवर्नर हैं और कोरपोरेट सेवा विभाग का नेतृत्व कर रही हैं। इससे पहले वे कोरपोरेट जगत की ख्याति-प्राप्त कंपनियों में वरिष्ठ अधिकारी रह चुकी हैं।

(10) बेलगाम महंगाई की मार पीढ़ियों तक नहीं भुलाई जाती है

जग-विदित है की 1920 के दशक में यूरोप के जर्मनी समेत कुछ देशों में बेलगाम मुद्रास्फीति देखी गई थी। अमरीकी अर्थशास्त्रियों ने शोध के द्वारा पाया है कि इस भयावह अनुभव को वहाँ रहने वाले समुदाय आज, इतने वर्षों बाद भी, याद रखते हैं। जिन इलाकों में बेलगाम महंगाई दिखी थी, वहाँ के लोग आज भी अन्य लोगों की तुलना में औसतन 1.4% अधिक मुद्रास्फीति की अपेक्षा करते हैं। कुछ क्षेत्र, जो आज पोलैंड का हिस्सा हैं परंतु 1920 में वे जर्मनी में थे, वहाँ भी ऐसा ही पाया गया है। इससे बरक्स, इन ही इलाकों में रहनेवाले ऐसे लोग, जिनके पूर्वज 1920 के दशक के बाद प्रवास करके आए, वे न कम न ज़्यादा मुद्रास्फीति की अपेक्षा करते हैं। शोधकर्ताओं ने यह भी उजागर किया कि ऐसी यादें कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी यात्रा करती है। इसके तीन जरिये हैं – एक, बुरे दिनों की दुखद दास्तान सुनने-सुनाने से; दो, इन इलाकों में चलनेवाले समाचारपत्र मुद्रास्फीति से संबन्धित अनेक लेख और समाचार, आंकड़े इत्यादि छापते हैं; और तीसरा, इन इलाकों के राजनेता थोड़ी भी महंगाई होने पर इस समस्या पर भाषण इत्यादि के द्वारा सरकार को आगाह करने लगते हैं। इस प्रकार बेलगाम महंगाई की दुखदाई यादें आज भी बिसराई नहीं गई हैं।

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

सदस्यता फार्म

प्रबंध संपादक
'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन'
भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय
सी-9, आठवीं मंज़िल, बांद्रा कुर्ला संकुल
बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

महोदया/महोदय,

मैं तीन वर्षों के लिए 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' का ग्राहक बनना चाहता/चाहती हूँ। आपसे अनुरोध है कि निम्नांकित ब्योरे के अनुसार मुझे नियमित रूप से पत्रिका भेजें।

सदस्यता क्रमांक (यदि पहले से सदस्य हैं) : _____

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) : श्री/श्रीमती/सुश्री/कुमारी _____

पता (स्पष्ट अक्षरों में) : _____

_____

केंद्र _____ पिन कोड _____

मोबाइल नं. _____ टेलीफोन नं. (कार्यालय) _____ निवास _____

फैक्स नं. _____ एसटीडी कोड _____

ई मेल पता: _____

दिनांक: _____

भवदीय/या

(हस्ताक्षर)

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन / अक्तूबर 202 3 – मार्च 2024
पंजीकरण संख्या: 47043/88